भारतीय ग्रन्थ माला-संख्या १३

# नागरिक शिक्षा

*Elementary Civics.*

भगवानदास केला

भारतीय ग्रन्थ माला-संख्या १३

# नागरिक शिक्षा

[ भारतीय पाठकों के लिए, सरकार और उसके कामों का साधारण परिचय ]

लेखक-

भारतीय शासन, भारतीय राष्ट्र निर्म्माण, भारतीय राजस्व, और भारतीय विद्यार्थी विनोद आदि के रचयिता

भगवानदास केला

प्रकाशक

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थ माला, वृन्दावन।

मुद्रक—

त्रैलोक्यनाथ शर्म्मा, जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स, मथुरा।

| प्रथम संस्करण १२५० प्रति | सन् १९२८ ई० | मूल्य आठ आने* |
|---|---|---|

* शिक्षा संस्थाओं के लिए, नमूने की प्रति का मूल्य छः आने।

भारतीय ग्रन्थ माला की पुस्तकें मिलने के पते :—

(१) व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थ माला,
वृन्दावन।

(२) मैनेजर, जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स,
मथुरा।

# समर्पण

स्व० राय बहादुर पंडित लक्ष्मीचन्द्र जी केला.

पूज्य चाचा जी !

अब से अस्सी वर्ष पूर्व ( सन् १८४९ ई० में ), एक गांव ( बाबैल, तहसील पानीपत ) में जन्म लेकर भी आपने अंगरेज़ी पढ़ने में जो अदम्य उत्साह दर्शाया, और आज कल सहज कल्पना में न आने वाली कठिनाइयों का जैसा सामना किया, वह नवयुवकों –भावी नागरिकों के लिए अत्यन्त शिक्षाप्रद है ।

बहुत जल्दी ही सब–डिविज़नल अफसर बन कर, आप अपनी प्रखर योग्यता, परिश्रम और ईमानदारी के कारण पंजाब सरकार से पहिले 'पंडित' और फिर 'राय बहादुरी' के पद से सम्मानित हुए, तथा पीछे लायलपुर के जंगलों को उत्तम 'कालोनी' ( उपनिवेश ) बनाने में कार्य–पटुता दर्शा कर आपने बहु–मूल्य 'सरोपा' पारितोषिक प्राप्त किया । बावन वर्ष की अवस्था में आपका स्वर्गवास होजाने के पश्चात् आपके परिवार को सरकार से से लगभग पांच हज़ार रुपये वार्षिक आय की भूमि मिली । यह

बातें वास्तव में सत्पुरुषों की ईर्षा के योग्य हैं, और, सिद्धांत-हीन हां-हजूरों के लिए भी उपदेश-प्रद हैं।

एक उच्च पदाधिकारी होकर भी आप ने जैसी आदेश सादगी सरलता, दीन-बंधुता, उदारता, गौ-ब्राह्मण सेवा आदि सद्गुणों का परिचय दिया, वह प्रत्येक नागरिक के लिए अनुकरणीय है।

मैं तो अपनी शिक्षा तथा भरण पोषण के लिए, आपका ( तथा आपके सुपुत्र श्री गिरिधारी लाल जी केला का ) अत्यन्त ही ऋणी हूं। आज यह तुच्छ भेंट आपकी पुण्य स्मृति के लिए उपस्थित करता हूं। परमात्मा करे, इस देश का प्रत्येक निवासी आपकी भांति अपने विविध कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करे और, सुयोग्य नागरिक बने।

विनीत

भगवानदास केला

# निवेदन

प्रत्येक सभ्य देश का निवासी अपने राज्य का नागरिक होता है। जिस प्रकार किसी परिवार के हर एक आदमी को यह जानना चाहिये कि उस परिवार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों का परस्पर में क्या सम्बन्ध है, और उसका, उनके प्रति क्या कर्तव्य है; जिस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रबन्ध, संगठन और अनुशासन ( डिसिप्लिन ) सम्बन्धी नियमादि जानने चाहियें, उसी प्रकार राज्य के के प्रत्येक नागरिक को यह जानना आवश्यक है कि राज्य की आवश्यकता क्यों होती है, राज्य क्या क्या कार्य करता है, उसके क्या नियमादि हैं,और,उसके भिन्न भिन्न विभागों का संगठन किस प्रकार है। यह जान लेने पर ही वह राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पालन कर सकता है, और अपने देश की उन्नति में सहायक हो सकता है।

भारतवर्ष का शासन किस प्रकार होता है, इस विषय का सविस्तर वर्णन हमारी 'भारतीय शासन' पुस्तक में किया गया है। हाल में साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिए उसका एक सरल और छोटा संस्करण भी 'सरल भारतीय शासन' के नाम से प्रकाशित हो चुका है।

'नागरिक शिक्षा' भी साधारण योग्यता के पाठकों को लक्ष्य में रखकर ही लिखी गयी है, जो टीका टिप्पणी से लाभ

नहीं उठा सकते। इसी लिए इसकी शैली वर्णनात्मक रखी गयी है, आलोचनात्मक नहीं। इस में यह बतलाया गया है कि भारतवर्ष में सरकार देश की शान्ति और सुव्यवस्था, तथा नैतिक और आर्थिक उन्नति के लिए क्या क्या कार्य करती है। [ये कार्य कैसे हैं, इन में क्या क्या न्यूनतायें या अपूर्णतायें हैं, तथा इन में किन सुधारों की आवश्यकता है, इस विषय पर हमने अपनी 'भारतीय शासन' और 'भारतीय राजस्व' में कुछ प्रकाश डाला है। होसका, तो इस सम्बन्ध में विशेष व्यौरेवार विचार किसी स्वतंत्र पुस्तक में प्रकट करेंगे।]

आज कल मध्य प्रान्त की छठी और सातवीं श्रेणी और 'नार्मल' क्लासों में, तथा संयुक्त प्रान्त के ट्रेनिंग और नार्मल स्कूलों आदि में यह विषय ( Elementary Civics ) पढ़ाया जाता है। आशा है, सर्व साधारण पाठकों के अतिरिक्त यह पुस्तक ऐसी, तथा इनके समान पाठ्य क्रम रखने वाली अन्य संस्थाओं के लिए उपयुक्त प्रतीत होगी।

कुछ मित्रों से सहमत होकर, हमने पहले इस पुस्तक का नाम 'राज्य प्रबन्ध' रखने का विचार किया था। 'सरल भारतीय शासन' के निवेदन में इसी नाम से इसका उल्लेख किया गया है। परन्तु पीछे कई अन्य सज्जनों से विचार करने पर हमने इसका नाम 'नागरिक शिक्षा' ही रखना उचित समझा।

सुहृद्वर श्री० श्रीनारायण दास जी विद्यालंकार, शिक्षक, प्रेम महाविद्यालय, ने इस पुस्तक के कई एक स्थलों को अधिक सरल और स्पष्ट करने में प्रेम पूर्वक सहयोग प्रदान

किया है। परमात्मा ने चाहा तो भविष्य में, आपकी कृपा से हम कुछ विशेष लाभ उठाने का यत्न करेंगे। नेशनल कालिज (कौमी महा-विद्यालय) लाहौर, के भूत-पूर्वक प्रिंसीपल, तिलक-स्कूल-आफ--पोलिटिक्स के भूत-पूर्वक प्रोफ़ेसर, तथा प्रेम महाविद्यालय के वर्तमान आचार्य श्री० जुगल किशोर जी एम० ए० के हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने इस पुस्तक की हस्त-लिखित प्रति देख कर इस के विषय में हमें उपयोगी परामर्श प्रदान किया, तथा इसकी प्रस्तावना लिखने की कृपा की।

'महारथी' सम्पादक मित्रवर पं० रामचन्द्र जी शर्मा बी० ए० ने तथा प्रेम महाविद्यालय के अधिकारियों ने अपने ब्लाकों का हमें उपयोग करने दिया, इससे हम इस पुस्तक में कुछ चित्र देसके हैं। आशा है हिन्दी हितैषियों का सहयोग मिलने से, इसका अगला संस्करण शीघ्र होगा और, उस में हम इस पुस्तक को और अधिक सचित्र तथा मनोरंजक बना सकेंगे। इस पुस्तक के इतनी जल्दी छपने का श्रेय श्री० पं० त्रैलोक्यनाथ जी शर्म्मा, जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स, को है। हम इन सब महानुभावों को धन्यवाद देकर ऊऋण नहीं हो सकते।

विनीत

भगवानदास केला.

# अध्यापकों के लिए

यह पुस्तक अन्यान्य सर्व साधारण पाठकों में, प्रायः-विद्यार्थियों के पास बहुत पहुंचेगी, ऐसी पूरी आशा है। इसीलिए हमने इसे यथा सम्भव सरल करने का प्रयत्न किया है। तथापि उनके वास्ते इस विषय को यथेष्ठ रूप से मनोरंजक बनाने का काम बहुत कुछ अध्यापकों पर निर्भर है। उन्हें चाहिये कि यथा शक्ति सरल उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को यह समझावें कि घर में तथा समाज में, किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के आश्रित रहता है, और क्यों सब को अपना अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये, किस प्रकार स्कूल का काम उसी समय अच्छी तरह चल सकता है, जब न केवल सब अध्यापक ही अपना कर्तव्य पालन करें, वरन् छोटा बड़ा प्रत्येक विद्यार्थी अपना काम ठीक तरह करें, अध्यापक की अनुपस्थिति में भी शान्ति पूर्वक रहे, और किसी के कार्य में बाधक न हो। जिन बालकों को ऐसी शिक्षा हृदयंगम करादी जाती है, वे ही बड़े होकर राज्य के नियम अच्छी तरह पालन करते हैं, और सुयोग्य नागरिक बनते हैं।

अध्यापकों को यह भी चाहिये कि उन्हें जिस नागरिक

विषय की शिक्षा देनी हो, उसके कुछ स्थानीय दृष्टान्त विद्यार्थियों के सामने रखें, और जब कभी अवसर मिले राज्य के भिन्न भिन्न विभागों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं, तथा उनके कार्यालय या दफ्तर आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान करायें। जिन बातों को विद्यार्थी अच्छी तरह समझते हों, उन के उस ज्ञान का सदैव उपयोग करके ही उन्हें अज्ञात वस्तुओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान कराना चाहिये। स्मरण रखना चाहिये कि जो भोजन अच्छी तरह हज़म नहीं होता, वह शरीर की पुष्टि न करके, उलटा विकार उत्पन्न करता है। इस लिए उन्हें विद्यार्थियों को किसी विषय का केवल उतना ही ज्ञान करा कर संतोष कर लेना चाहिये, जितना कि विद्यार्थी खूब अच्छी तरह समझ सकें। ब्योरेवार बातें कंठ करना अनावश्यक और अनुचित है। विद्यार्थियों को समय समय पर, नक्शे, मोडल, मेजिक लालटेन की तस्वीरें, तथा अन्य चित्र दिखाये जाने चाहियें। साथ ही उन्हें कभी कभी, कल कारखानों, नहर या नदी के पुल, रेलवे स्टेशन, अदालतों, पुलिस की चौकी, चुंगी घर, आदि की सैर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहियें, इस से उन के मन में इन विषयों के ज्ञान के लिए अनुराग बढ़ेगा।

अध्यापकों को इन विषयों सम्बन्धी अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आवश्यक साहित्य देखते रहना चाहिये, इस विषय

सम्बन्धी हमारी कुछ पुस्तकें नीचे लिखी जाती हैं:—

१—सरल भारतीय शासन ( Indian Administration, tor beginners. )

२—भारतीय शासन (Indian Administration. )

३—निर्वाचन नियम ( Election Guide. )

४—भारतीय राजस्व ( Indian Finance. )

५—भारतीय राष्ट्र निर्म्माण ( Indian Nation Building. )

६—भारतीय अर्थ शास्त्र ( Indian Economics. )

# Preface.

The contributions of Syt. Bhagwan Das Kela to the Hindi political literature are considerable and are well-known by now to the Hindi-knowing public. These works have been of immense service to those students who have taken Civics and Indian Constitution as their subject of studies. The teachers must have appreciated the ability and the labour of the author of these books. This book on Civics is a further contribution and has been specially written for the beginners. The importance of Civics, as a subject of studies by young boys, has been neglected in the past and the recognition which is being given to it now is much too halting. Consequently not many books have yet made their appearance. Some public-spirited authors, who have ventured to write on the subject have, not been sufficiently encouraged by the Educational authorities. The art and methods of government have remained a mystery to the young men. The conception of healthy citizenship has been denied to the young boys resulting in the vicious stagnation of their social conciousness and disregard of their social obligation. Study of Civics is not only necessary in the future interests of a young boy, when he assumes the responsibilities of family and the city,but directly helps

him to appreciate the difficulties and the nature of the government of his school. It gives him an idea of his obligations towards his school and his class and also makes him more amenable to the control and discipline of the class.

There are many young men who, though have undertaken their degrees of B.A. and M.A., are ignorant even of the Municipal constitution and affairs. Their ignorance and indifference are the direct result of the system of education which not only denied them opportunities of gaining that knowledge but which stiffled every effort on the part of young men to cultivate the spirit of citizenship. The apathy of the young men towards National and Municipal questions is most distressing and alarming. This can only be remedied by making the study of Civics compulsory, and by laying emphasis on the interdependence between the individual and the society. The progress of the society depends upon the intelligent efforts and sacrifices which the individuals make towards it. The progress of the individual depends upon the healthy conditions of the society. If education fails to make a man an useful citizen willing to subordinate his individual interest to the greater interests of his city and country, it not only defeats its own purpose but is likely to prove more dangerous than no education at all. The responsibility of the teacher is considerable. It is for him to make the

subject interesting to his young pupils. It is not by enunciating abstract principles of rights and duties but, by concrete instances of family and school life that the idea of citizenship may be conveyed to him. Family and school life represent many suitable analogies to the life in the state and in the city. It is by the examples of the former that the realities of the latter can be best understood by a young boy. A proper grasp of the responsibilities of the citizenship would raise the moral tone of the students and enable them to take a more genuine interest in the corporate activities of the school.

The study of Civics thus becomes an unfolding of the social and moral consciousness of the individual, the true aim of all education. The author deserves the congratulations, particularly of the teachers for making their task of teaching easier by the lucid treatment of the subject in a manner easily intelligible to an average school sudent. I conclude this preface in the hope that the study of Civics on the line of this book will help the young student to realise his present responsibilities towards the school and family, and to discharge honourably his greater civic responsibilities when he enteres the larger life of the state.

Prem Maha Vidyalaya,
*Brindaban.*

JUGAL KISHORE,
M. A.

# प्रस्तावना

श्री० भगवानदास जी केला ने हिन्दी में राजनैतिक साहित्य रचना का ख़ासा कार्य किया है। उनकी रचनाओं से हिन्दी-भाषा-भाषी जनता अच्छी तरह परिचित होचुकी है। जिन विद्यार्थियों ने नागरिक शास्त्र तथा भारतीय शासन पद्धति का विषय लिया है, उनके लिए ये रचनायें अत्यन्त उपयोगी रही हैं। अध्यापकों ने भी इन पुस्तकों के लेखक के परिश्रम और योग्यता की सराहना की होगी। नागरिक विषय सम्बन्धी उनकी यह पुस्तक राजनैतिक साहित्य में और भी वृद्धि करती है; यह विशेषतया इस विषय को प्रारम्भ करने वालों के लिए लिखी गयी है।

अब तक नवयुवकों की शिक्षा में नागरिक शिक्षा को कुछ महत्व नहीं दिया गया। इस समय भी इस ओर जो ध्यान दिया जाने लगा है, उसकी गति बहुत ही मन्द है। इस लिए अधिक पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुईं। सार्वजनिक सेवा के भावों से जिन थोड़े से लेखकों ने इस विषय पर लिखने का साहस किया है, उन्हें शिक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा समुचित प्रोत्साहन नहीं मिला। राज्य प्रबन्ध सम्बन्धी सिद्धान्त और कार्य नवयुवकों के लिए रहस्यमय रहे हैं। उत्तम नागरिकता के भावों से, नवयुवकों के वंचित रहने का परिणाम यह हुआ है कि उनमें सामाजिक चेतनता विकसित नहीं हो पायी, और उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्य पालन में अवहेलना की। नागरिक विषय का अध्ययन नवयुवक के भावी हित के लिए, केवल उस अवस्था में ही आवश्यक नहीं है, जब कि उस पर परिवार और नगर का

उत्तरदायित्व आता है, वरन् इससे उसे अपने विद्यालय के प्रबन्ध तथा उसकी कठिनाइयों का ज्ञान होने में प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। इससे उसे यह विचार होता है कि उसका अपने विद्यालय, तथा अपनी कक्षा के प्रति क्या क्या कर्तव्य है, और वह अपनी कक्षा के अनुशासन और नियंत्रण रखे जाने में भी सहायक होजाता है।

बहुत से नवयुवक ऐसे हैं जिन्हें बी० ए० और एम० ए० की उपाधि धारण करने पर भी, म्युनिसिपैलिटियों के संगठन और उनके कार्यों तक का भी ज्ञान नहीं होता। उनका अज्ञान और उदासीनता इस शिक्षा पद्धति का प्रत्यक्ष फल है, जिस में उन्हें न केवल इस विषय के ज्ञान का अवसर नहीं दिया गया, वरन् नवयुवकों के नागरिकता के भावों की वृद्धि करने का प्रत्येक प्रयत्न रोका गया है। राष्ट्रीय और नागरिक विषयों में नवयुवकों की उदासीनता आश्चर्य-जनक और दुखदायी है। इसका उपाय यही है कि नागरिक विषय का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाय, तथा व्यक्ति और समाज की अन्योन्य आश्रयिता की ओर भली भांति ध्यान दिलाया जाय। समाज की उन्नति व्यक्तियों के बुद्धिमत्ता-पूर्वक किये हुए प्रयत्नों तथा स्वार्थ-त्यागों पर निर्भर है, और व्यक्ति की उन्नति तभी होती है जब कि समाज अच्छी, विकार-हीन स्थिति में हो। यदि शिक्षा मनुष्य को ऐसा उपयोगी नागरिक बनाने में विफल होती है कि वह अपने व्यक्तिगत हित को नगर और देश के बड़े हित के सम्मुख गौण समझे, तो यही नहीं, कि उस शिक्षा का उद्येश्य नष्ट होजाता है, वरन् वह शिक्षा के अभाव से भी अधिक भयंकर सिद्ध होती है। अध्यापक का उत्तरदायित्व महान है। यह उसका काम है कि वह अपने शिष्यों के लिए विषय को मनोरंजक बनाये।

विद्यार्थियों को नागरिकता का विचार कर्तव्यों और अधिकारों के सूक्ष्म सिद्धान्तों के वर्णन मात्र से नहीं दिया जा सकता; इसके लिए परिवार और विद्यालय के जीवन के स्थूल उदाहरणों की आवश्यकता है। परिवार और विद्यालय के जीवन में नगर और राज्य के जीवन सम्बन्धी बहुत से अच्छे दृष्टान्त मिलते हैं, और उनके उदाहरणों से विद्यार्थी नगर और राज्य के जीवन की वास्तविकता अच्छी तरह समझ सकते हैं। नागरिकता के उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझ लेने से विद्यार्थियों के नैतिक भावों की वृद्धि होती है, और इस से वे विद्यालय के सामुहिक कार्यों में अधिक दिलचस्पी से भाग ले सकते हैं।

इस प्रकार नागरिक विषय के अध्ययन से व्यक्तियों की सामाजिक और नैतिक चेतनता का विकास होता है, और यही सब शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। इस पुस्तक में इस विषय का ऐसी उत्तमता से वर्णन किया गया है कि यह औसत दर्ज़े के विद्यालयों के विद्यार्थियों की समझ में आसानी से आजाय; अतः इसका लेखक विशेषतया अध्यापकों के धन्यवाद का अधिकारी है, जिनका शिक्षा कार्य उसने सुगम कर दिया है। अन्त में, मैं यह आशा करता हूं कि जिस शैली से नागरिक विषय का वर्णन इस पुस्तक में हुआ है, उससे नवयुवकों को इस बात में सहायता मिलेगी कि वे विद्यालय और परिवार के प्रति अपना वर्तमान उत्तरदायित्व समझें, तथा जब वे राज्य के बड़े क्षेत्र में प्रवेश करें तो वे अपने उच्च नागरिक उत्तरदायित्व को सम्मान पूर्वक पूरा करें।

प्रेम महाविद्यालय<br>वृन्दावन.

जुगल किशोर<br>एम. ए.

# विषय-सूची.


| पाठ विषय | | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|---|
| १—विषय प्रवेश | ... | ... | ... | १ |
| २—राज्य और नागरिक | ... | ... | ... | ६ |
| ३—ग्राम प्रबन्ध | ... | ... | ... | ११ |
| ४—नगर प्रबन्ध ... | ... | ... | ... | १७ |
| ५—सेना ... | ... | ... | ... | २१ |
| ६—पुलिस ... | ... | ... | ... | २६ |
| ७—अदालतें ... | ... | ... | ... | ३० |
| ८—जेल ... | ... | ... | ... | ३६ |
| ९—डाक और तार | ... | ... | ... | ४० |
| १०—रेल ... | ... | ... | ... | ४४ |
| ११—सार्वजनिक निर्म्माण कार्य | | ... | ... | ४८ |
| १२—शिक्षा | ... | ... | ... | ५० |
| १३—कृषि ... | ... | ... | ... | ६१ |
| १४—आबपाशी ... | ... | ... | ... | ६४ |
| १५—उद्योग धन्धे | ... | ... | ... | ६७ |
| १६—व्यापार ... | ... | ... | ... | ७३ |
| १७—रुपया पैसा ... | ... | ... | ... | ७८ |

१८—श्रम और पूंजी ... ... ... ८४
१६—बैंक ... ... ... ... ६१
२०—सहकारी समितियां ... ... ... ६७
२१—प्रोवीडेंट फ़ंड और बीमा ... ... १०४
२२—स्वास्थ रक्षा ... ... ... १०९
२३—दुर्व्यसनों का नियन्त्रण ... ... ११४
२४—नागरिकों के कर्तव्य ... ... ... ११६
पारिभाषिक शब्द ... ... ... १२१

# चित्र-सूची.

संख्या चित्र पृष्ठ

१—यात्रा ... ... ... ... ४५
२—हिन्दू बोर्डिंग हाउस, इलाहाबाद ... ५१
३—हिन्दू विश्व विद्यालय, काशी ... ५३
४—टाइप, शार्टहैन्ड और बुककीपिंग ... ५५
५—विद्यार्थी, परीक्षा भवन में ... ... ५७
६—ढलाई का काम ... ... ... ६६
७—कताई और बुनाई का काम ... ... ७१
८—खेल ... ... ... ... १०९

# नागरिक शिक्षा

## पहला पाठ.

---

### ❀ विषय-प्रवेश ❀

मनुष्य आपस में मिलकर रहते हैं—पाठको! तुम में से कोई अकेला नहीं रहता, तुम सब अपने अपने घर में अपने माता पिता आदि के पास, किसी गांव या नगर में रहते हो। अगर तुम में से कोई अकेला रहने लगे तो पहले तो उसका जी ही नहीं लगेगा, और, अगर जी भी लग जाय तो उसका निर्वाह नहीं हो सकता। उसे खाने पहनने के लिए भोजन वस्त्र चाहिये, सर्दी, गर्मी, और बरसात से बचने के लिए मकान चाहिये। कोई आदमी इन भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को अकेला ही पूरा नहीं कर सकता। इन्हें पूरा करने के लिए, हर एक आदमी को दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि प्रायः मनुष्य अकेला नहीं रहता। हरएक, दूसरों से मिलकर रहना चाहता है।

समाज में मिलकर रहने से मनुष्यों को एक दूसरे के विचार मालूम होते हैं। इससे उन्हें अपनी उन्नति करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, उनमें सेवा, प्रेम और सहानुभूति आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है। बड़े बुजुर्ग छोटों के हित के लिए नाना प्रकार के काम करते हैं और कष्ट उठाते हैं। छोटे बड़ों की आज्ञा में रहते हैं। सब एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। इसलिए हम सब मिलकर समाज में रहते हैं।

**हम समाज के एक अंग हैं**--हमें यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिये कि हम सब एक समाज के अंग हैं, और परस्पर में हमारा इस प्रकार सम्बन्ध है कि एक एक को कष्ट पहुंचाने से दूसरों को भी कष्ट पहुंचेगा और एक के अवनत होने की दशा में दूसरों की यथेष्ट उन्नति नहीं हो सकती। वास्तव में समाज को मनुष्य के शरीर से उपमा दी जा सकती है। हाथ, पांव, नाक, कान, आदि जिस प्रकार एक ही मनुष्य-शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, उसी प्रकार प्रत्येक आदमी, पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, सब अपने अपने समाज के एक एक अंग है। चाहे वे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हों, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा पाये हुए हों, और चाहे वे भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले ही क्यों न हों। जिस प्रकार पांव की एक अंगुली में कांटा लगजाने से समस्त

शरीर के भिन्न भिन्न अंग उसकी पीड़ा का अनुभव करते हैं, और यथा शक्ति उस पीड़ा को निवारण करने में सहायक होते हैं; उसी प्रकार समाज के एक मनुष्य के पीड़ित होने की अवस्था में अन्य मनुष्यों को उस कष्ट का अनुभव करके उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

जिस प्रकार मनुष्य के भोजन करने से उसके सभी अंगों की पुष्टि होती है, और हाथ पांव या मुंह का ऐसा ख्याल करना अनुचित है कि हम उदर पूर्ति में क्यों सहायता करें, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की उन्नति से समाज की उन्नति में सहायता मिलती है और समाज के भिन्न भिन्न अंगों का अपने पृथक् पृथक् स्वार्थ का विचार करना अनुचित है।

**समाज की भलाई करना हमारा कर्तव्य है—** पाठको! तनिक विचार करने से यह बात स्पष्ट होजायगी कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें दूसरों के हित का समुचित ध्यान रखना चाहिये। तुम जानते होगे कि जब हमारे पास पड़ौस के किसी स्थान में प्लेग आदि बीमारी फैल जाती है तो उसका हमारे यहां आना कितना सहज है। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो केवल यही काफ़ी नहीं है कि हम अपने घर को साफ़ सुन्दर रखें, यह भी आवश्यक है कि हम अपने ग्राम और नगर निवासियों में स्वास्थ रक्षा के नियमों का प्रचार करें।

इसी प्रकार यदि हमारे चारों ओर अशिक्षित, मूर्ख, दुराचारी, गाली गलौच बकने वाले, दिन भर लड़ाई झगड़ा करनेवाले आदमी रहते हैं तो उनका प्रभाव हमारे मन पर, विशेषतया छोटी आयु के बालक बालिकाओं के कोमल हृदयों पर, पड़े बिना न रहेगा। इसलिए हमें अपने पास वालों की उन्नति का ध्यान रखना चाहिये। उनकी बेहतरी में हमारी भी बेहतरी है। उनके नरक कुंड में पड़े रहने की दशा में, हम स्वर्गीय सुख का आनन्द कदापि नहीं ले सकते। अपने ग्राम, नगर और देश की भलाई करना प्रत्येक आदमी का आवश्यक कर्तव्य है।

प्रत्येक मनुष्य समाज के कार्य में सहायक हो सकता है—बहुत से आदमी सोचते हैं कि हम तो ग़रीब हैं, या असमर्थ हैं; हम दूसरों की भलाई क्या कर सकते हैं। हमें अपना ही निर्वाह करना कठिन है, फिर हम परोपकार की बात क्या सोचें। पाठको! तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिये कि उपर्युक्त कथन सर्वथा अनुचित और असत्य है। पहली बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य चाहे वह जिस अवस्था में हो, यदि चाहे तो, दूसरों की थोड़ी बहुत भलाई अवश्य कर सकता है। कल्पना करो कि एक आदमी किसी रोग में व्याकुल है, वह बहुत घबरा रहा है। उसे एक आदमी दवाई

के लिये पैसे देदेता है, दूसरा उसके लिए उन पैसों की दवाई लादेता है, तीसरा उसके पास बैठा हुआ उसे धीरज देता है। इन सब सज्जनों के सहयोग से उसे आराम होजाता है । इस दशा में यह स्पष्ट है कि पैसे वाला पैसे से जो सहायता कर सकता है, उसकी अपेक्षा वह सहायता किसी प्रकार कम मूल्य की नहीं है, जो, कोई आदमी अपने शरीर से सेवा करके या वाणी से अच्छी बातें कहकर या हृदय की सद्भावनाओं द्वारा कर सकता है। अस्तु, तन से, मन से, या धन से, जैसा अवसर हो, जैसी स्थिति हो, हमें समाज के हित साधन से पीछे न हटना चाहिये।

समाज का हित हमारा ही हित है—यह भी विचारणीय है कि यह धारणा ही ग़लत है कि हम दूसरों का हित करने में कुछ परोपकार कर रहे हैं। वास्तव में वह हमारा ही स्वार्थ है, हमें उसको अपना स्वार्थ समझकर वह काम करना चाहिये। यदि एक आदमी किसी को कुछ आर्थिक या शारीरिक आदि सहायता प्रदान करता है, तो उसे यह न समझना चाहिये कि मैंने उस पर कोई अहसान किया। जब मनुष्य का हाथ किसी खाद्य द्रव्य को मुंह में रखता है, और दांत उसे चबाकर पेट में पहुंचाते हैं, तो क्या हाथ और दांतों को यह अभिमान करना उचित है कि हमने पेट पर कुछ अहसान किया। नहीं, यह करना उनका कर्तव्य था, अपने हित के लिए

उन्हें ऐसा करना आवश्यक था, यदि न करते तो उनकी हानि होती, पर कर दिया तो इसमें अहसान कुछ नहीं हुआ।

ऐसी ही भावना को रखकर हमें समाज में काम करना चाहिये। ऐसे ही विचार हमें राज्य के प्रति रखने चाहियें। राज्य का हमसे क्या समबन्ध है, वह क्या कार्य करता है, इसका विचार आगे के पाठों में किया जायगा।

---

## दूसरा पाठ.

## राज्य और नागरिक

पाठको ! परिवार की बात तुम जानते हो। पिता परिवार का पालन पोषण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं लाता है माता घर का प्रबन्ध करती है। बड़े लड़के लड़कियां उन्हें उनके कार्य में यथा शक्ति सहायता देते हैं, छोटे बच्चों की समुचित देख रेख की जाती है। सबके कर्तव्य पालन तथा सहयोग से परिवार की सुख समृद्धि बढ़ती है। जिस परिवार के आदमी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अपना कर्तव्य पालन

नहीं करते, वह परिवार बहुत दुखी रहता है, और पड़ौस में उसकी बड़ी निन्दा होती है । इसलिए परिवार के सब आदमियों को परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये ।

इसी तरह तुम जानते हो कि क्रिकेट या फुटबाल के खेल में एक केप्टेन होता है, उसे खेलने वाले इस लिए चुनते और कुछ अधिकार सौंपते हैं कि वह खेल का ठीक ठीक प्रबन्ध करे और किसी को नियम विरुद्ध कार्य न करने दे ।

जिस प्रकार परिवार में परिवार के, और खेल में खेल के नियम पालन करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार ग्राम या नगर, तहसील, ताल्लुका, ज़िला, प्रान्त या देश में इन इन स्थानों के नियम पालन किये जाने चाहियें, तभी राज्य में सुख, शान्ति और उन्नति हो सकती है ।

**सरकार की आवश्यकता**—परन्तु, बहुधा आदमी इस बात को भूल जाते हैं । जिस प्रकार माता पिता की अनुपस्थिति में छोटे बालकों का, और मास्टर साहब की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों का कभी कभी झगड़ा होजाता है, उसी प्रकार गांव या नगर आदि में जब तक कोई नियम पालन करानेवाला न हो, अनेक आदमी नियम भंग करने को तत्पर होजाते हैं कुछ आदमियों का ऐसा स्वभाव होता है कि जब तक उन्हें

किसी का डर न हो, वे चोरी या लूट मार करेंगे या अन्य प्रकार से दूसरों को कष्ट देंगे । इससे बड़ी अशान्ति तथा हानि होती है । इस लिए उन्नत समाज वाले देशों में कुछ ऐसे आदमियों का एक समूह या संस्था की बड़ी आवश्यकता होती है जो सब से नियम पालन कराये और शान्ति रखे। ऐसी संस्था की आवश्यकता इसलिए भी होती है कि जिन कामों को आदमी अलग अलग न कर सकें, उन्हें वह सब की ओर से करता रहे, और सबकी उन्नति में सहायक हो। इस संस्था को सरकार या 'गवर्नमेण्ट' कहते हैं।

सरकार के कार्य—सरकार को देश में बहुत से कार्य करने होते हैं। उसके कामों में से कुछ मुख्य मुख्य कार्य ये हैं:-

(१) सरकार देश की बाहर के शत्रुओं से रक्षा करती है। विदेशियों के आक्रमण रोकने के लिए स्थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना रखी जाती है।

(२) वह देश के भीतर शान्ति रखती है। चोर, डाकू आदि से लोगों के जान माल की रक्षा करती है । इस कार्य के लिए पुलिस रखी जाती है।

(३) पुलिस जिन लोगों को अपराधी समझ कर गिरफ्तार करे, अथवा जिन के विरुद्ध कोई अभियोग हो, उन के विषय में वह यह निश्चय करती है कि वे वास्तव में अपराधी हैं या निर्दोष। यह कार्य न्यायालय करते हैं।

( ४ ) जिन आदमियों को अदालतें दोषी ठहरावें, उन्हें क़ैद किया जाता है, तथा जिन अभियुक्तों के भाग जाने का डर हो, उन्हें हवालात में रखा जाता है। इसके लिये जेलों का प्रबन्ध किया जाता है।

( ५ ) प्रजा के पत्र व्यवहार और आमदरफ्त के लिये डाक, तार और रेल आदि का, तथा शिक्षा, व्यापार, कृषि उद्योग, व्यापार और स्वास्थ की वृद्धि के लिए विविध प्रकार की संस्थाओं का प्रबन्ध किया जाता है।

राज्य किसे कहते हैं—यह तो तुम जानते ही हो, कि इस समय हमारे देश में अंगरेज़ों का राज्य है। परन्तु क्या तुमने कभी यह विचार किया कि राज्य का वास्तव में क्या अभिप्राय होता है? जब किसी देश में सरकार अपना कार्य करने लग जाय और वह किसी अन्य सरकार के अधीन न हो, तो वह देश राज्य या 'स्टेट' कहा जाता है। किसी देश का क्षेत्रफल और जन संख्या कुछ ही क्यों न हो, राज्य होने के लिए वहां के लोगों का राजनैतिक संगठन होना और दूसरों से सर्वथा स्वाधीन रहना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यद्यपि भारतवर्ष एक बड़ा देश है, और यहां बत्तीस करोड़ आदमी रहते हैं, इसे वास्तव में राज्य नहीं कह सकते। इसके विपरीत, जापान और जर्मनी आदि बहुत छोटे छोटे होने पर भी राज्य हैं, कारण कि वे स्वाधीन हैं।

**नागरिक या प्रजा**—तुम बहुधा सुनते होगे कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, या अंगरेज़ी राज्य की प्रजा हैं। स्मरण रखो कि 'नागरिक' का अर्थ केवल नगर में रहने वाले ही नहीं होता। राज्य प्रबन्ध के सम्बन्ध में जब यह शब्द व्यवहार किया जाता है तो यह 'प्रजा' के अर्थ का सूचक होता है। इस विषय में अन्य बातें तो तुम्हें पीछे ज्ञात होंगी, इस समय तुम इतना ही जानलो कि किसी राज्य में बहुत समय तक रहने वाले आदमी उस राज्य के नागरिक या प्रजा कहलाते हैं। जिस प्रकार राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों की सब प्रकार से उन्नति तथा रक्षा करे, उसी तरह नागरिकों को भी चाहिये कि राज्य के नियमों (क़ानूनों) का पालन किया करें तथा आवश्यकतानुसार उसकी सहायता करते रहें। नागरिकों को यह जानना चाहिये कि सरकार द्वारा उनके देश में क्या क्या कार्य होते हैं, तभी वे बड़े होकर उनमें सहायक हो सकते हैं, तथा ज़रूरत होने पर उचित सुधार भी कर सकते हैं।

अगले पाठों में इस बात का कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन किया जायगा कि भारतवर्ष में सरकार किन किन कार्यों को तथा किस किस प्रकार करती है। पहले ग्रामों और नगरों के प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें बतलायी जाती हैं।

---

# तीसरा पाठ.

## ग्राम-प्रबन्ध ।

पाठको ! इस पाठ में तुम्हें ग्राम-प्रबन्ध सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें बतलायी जांयगी । इनमें से बहुत सी बातें तुम्हारे देखने में प्रायः आती रहती हैं, इसलिए तुम इन्हें आसानी से समझ सकोगे ।

**गांव के मुख्य मुख्य कर्मचारी**–तुम जानते होगे कि प्रत्येक गांव किसी न किसी तहसील का एक भाग होता है । तहसील का प्रधान अधिकारी तहसीलदार कहलाता है । इस प्रकार एक एक तहसील के सब गांव एक तहसीलदार के अधीन होते हैं । उसकी सहायता के लिए हर एक गांव में प्रायः तीन कर्मचारी रहते हैं:—

१—नम्बरदार

२—पटवारी

३—चौकीदार

नम्बरदार अपने गांव का सब से मुख्य कर्मचारी होता है । यह ज़मीदारों से मालगुज़ारी तथा आबपाशी की रक़म

वसूल करता है, और उसे तहसील में भेज देता है। यह अपने गांव में शान्ति रखने का प्रयत्न करता है।

बड़े गांवों में एक एक ही गांव का, और छोटे गांवों में दो दो या अधिक का, एक पटवारी होता है। वह अपने गांव के किसानों और ज़मीदारों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों के काग़ज़ या रजिस्टर आदि रखता है। जब खेतों में कोई तबदीली हो, कोई खेत या उसका कुल हिस्सा बिक जाय, या किसी खेत का मालिक बदल जाय या मर जाय तो पटवारी इस बात की रिपोर्ट तहसील में करता है। वह खेतों के नक्शे बनाता है, और मालगुज़ारी आदि का हिसाब रखता है।

चौकीदार गांव में पहरा देता और चौकसी करता है। वह पुलिस में प्रति सप्ताह यह ख़बर देता है कि गांव में उस सप्ताह के भीतर कितने आदमी मरे, तथा कितने बालकों का जन्म हुआ। वह गांव की चोरी, क़त्ल या अन्य अपराधों की भी रिपोर्ट देता है।

तहसीलदार—ऊपर बतलाये हुए तीनों कर्मचारी तहसीलदार के अधीन होते हैं। तहसीलदार प्रजा और सरकारी अधिकारियों को एक दूसरे के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देता रहता है। उसका मुख्य कार्य तहसील की मालगुज़ारी वसूल करना है। वह फौज़दारी के मामलों को भी सुनता है।

उसे तीसरे या दूसरे दर्जे की मेजिस्ट्रेटी का अधिकार होता है। इससे वह ५०) रु० से लेकर २००) रु० तक जुर्माना और एक माह से छः माह तक की क़ैद की सज़ा कर सकता है। वह देहाती बोर्डों के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्य करता है। उसके सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदार, क़ानूगो आदि होते हैं।

देहातों के सरकारी प्रबन्ध की बात तुम जान चुके हो। अब हम यह बतलाते हैं कि गांवों के वे काम किस तरह किये जाते हैं, जिन्हें प्रायः लोगों के प्रतिनिधि करते हैं, अर्थात् जिनके विषय में उन्हें ( स्थानीय ) स्वराज्य प्राप्त है।

**लोकल बोर्ड और ज़िला बोर्ड**—बहुत से स्थानों में, एक एक बड़े गांव में, या कई छोटे गांवों के एक समूह में एक 'लोकल बोर्ड' होता है। ज़िले भर के 'लोकल बोर्डों' के ऊपर, ( या ज़िले भर के गांवों के लिए ) एक ज़िला-बोर्ड होता है। उसे मध्यप्रान्त में ज़िला-कौंसिल कहते हैं।

बोर्डों के बहुत से मेम्बर, लोगों के चुने हुए होते हैं, कुछ सरकार द्वारा नामज़द किये जाते हैं। इनके सभापति और उप-सभापति मेम्बरों द्वारा ही चुने जाते हैं। मध्यप्रान्त और संयुक्त प्रान्त आदि कुछ प्रान्तों में ये ग़ैर-सरकारी ही होते हैं।

बोर्डों का नया चुनाव तीन साल में होता है। किस बोर्ड में कितने मेम्बर रहने चाहियें, यह सरकार द्वारा निश्चित किया हुआ होता है। चुनाव के लिए गांव हलक़ों में विभक्त

होते हैं। हर एक हल्के से एक या अधिक उम्मेद्वार खड़े होते हैं। निर्धारित योग्यता तथा आमदनी वाले आदमी अपने अपने हल्के के उम्मेद्वारों के लिए मत देते हैं। जिन उम्मेद्-वारों के पक्ष में अधिक मत आते हैं, वे मेम्बर चुने जाते हैं।

बोर्डों का काम अपने अपने क्षेत्र में सर्व साधारण की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ का प्रबन्ध करना है। ये सड़कें बनवाते तथा उनकी मरम्मत कराते हैं, प्रारम्भिक शिक्षा के के लिए स्कूल खोलते हैं, मनुष्यों तथा पशुओं के लिए पानी तथा दवा-दारू आदि का प्रबन्ध करते हैं। अगर किसी गांव में ये बातें न हों तो समझना चाहिये कि या तो वहां बोर्ड के आदमी ठीक काम नहीं करते या उनके पास इन कामों के लिए काफ़ी पैसा नहीं है।

ज़िला बोर्डों के लिए किसानों से लगान के साथ प्रायः एक आना फ़ी रुपया वसूल किया जाता है। ये नदी के पुल या घाट, आदि पर कुछ महसूल लगा सकते हैं। इन्हें सरकारी सहायता भी मिलती है। लोकल बोर्डों को अपनी कोई अलग आय नहीं होती, उन्हें ज़िला-बोर्डों से ही कुछ रुपया मिलता है।

**पंचायतें**—गांवों में छोटे छोटे झगड़े निपटाने के लिए भी सरकार ने लोगों को कुछ अधिकार दे रखे है। बहुत से गांवों में, इसके लिए पंचायतें स्थापित होगयी हैं, और दूसरे गांवों में क्रमशः स्थापित होरही हैं। भारतवर्ष में प्राचीन काल से जो

पंचायतें चली आती थीं, वे तो अंगरेज़ी अमलदारी में प्रायः नष्ट होगयीं; वे जनता की संस्थायें थीं, उनके अधिकार भी खूब थे। वर्तमान पंचायतें सरकार द्वारा स्थापित नयी संस्थाएं हैं। इनके पंच ज़िला-मेजिस्ट्रेट द्वारा नियत किये जाते हैं और वे अपने प्रान्त के पंचायत क़ानून के अनुसार, एक सीमा तक के मुक़द्मों का फ़ैसला करते हैं। पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ, सफ़ाई आदि के काम में भी यथा-शक्ति सहायता देती हैं। पंचायतें अपराधियों पर कुछ जुर्माना कर सकती हैं, मुक़द्मा लड़ने वालों से कुछ फ़ीस ले सकती है, तथा इन्हें ज़िला बोर्ड या सरकार से कुछ सहायता मिल जाती है। यही उनकी आमदनी है। पंचायतों के विषय में विशेष बातें 'सरल भारतीय शासन' में दी गयी हैं।

पाठको! यह तो तुम जानते ही हो कि भारतवर्ष देहातों का देश है। इस देश के बत्तीस करोड़ आदमियों में से अट्ठाईस करोड़ से अधिक अर्थात् सौ पीछे लगभग नव्वे मनुष्य ग्रामों में रहते हैं। ग्रामों की संख्या ६,८५,६२२ है। इससे यह स्पष्ट है कि इस देश की उन्नति ग्रामों की उन्नति पर ही निर्भर है। पढ़ लिखकर सुयोग्य होजाने पर बहुत से आदमी ग्रामों की ओर ध्यान नहीं देते, इससे देश की यथेष्ठ उन्नति नहीं हो पाती। आशा है, बड़े होकर तुम ग्राम सुधार के विषय म यथा शक्ति भाग लोगे।

[ उच्च अधिकारी—पाठको ! इस पाठ में तुमने ग्राम प्रबन्ध सम्बन्धी बात जानलीं। सम्भव है, अब तुम यह भी जानना चाहो कि तहसीलदार से ऊपर कौन कौन अधिकारी होते हैं। अच्छा, सुनो ! यह तो तुमने भूगोल में पढ़ा ही होगा कि कुछ तहसीलों का एक सब-डिविज़न और कई सब-डिविज़नों का एक ज़िला होता है। सब-डिविज़न के मुख्य अधिकारी को सब-डिविज़नल अफ़सर, तथा ज़िले के हाकिम को ज़िला-मेजिस्ट्रेट कहते हैं। कुछ ज़िलों की एक कामिश्नरी होती है, उसका अधिकारी कमिश्नर कहलाता है। कुछ कामिश्नारियों का मिलकर एक प्रान्त बनता है। छः छोटे प्रान्तों में मुख्य अधिकारी चीफ़ कमिश्नर, तथा नौ बड़े प्रान्तों में मुख्य अधिकारी गवर्नर कहलाता है। भारतवर्ष में, १५ प्रान्तों में अंगरेज़ी राज्य है। इन सब पर गवर्नर-जनरल नामक पदाधिकारी देख रेख करता है।

इन प्रान्तों के अलावा भारतवर्ष में बहुत सी छोटी बड़ी देशी रियासतें हैं, इनमें यहां के ही राजा या नरेश आदि राज्य करते हैं। इन सबके ऊपर वायसराय होता है, यह वही पदाधिकारी है जो गवर्नर-जनरल की हैसियत से अंगरेज़ी अमलदारी के १५ प्रान्तों के शासन कार्य की निगरानी करता है।

इन अधिकारियों के विषय में तुम विशेष व्यौरेबार बातें हमारी 'सरल भारतीय शासन' पुस्तक में पढ़ोगे। यहां हमने केवल उनके पदों के नाम बता दिये है, जिससे तुम्हें कुछ थोड़ी सी तो जानकारी अभी हो सके। ]

---

# चौथा पाठ.

## नगर प्रबन्ध

पाठको ! पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि भारतवर्ष में ग्राम प्रबन्ध किस तरह होता है। अब इस पाठ में हम तुम्हें यह बतलाते हैं कि नगरों का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाता है।

गांवों की भांति प्रत्येक नगर किसी न किसी तहसील का एक भाग होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तहसील का प्रधान अधिकारी तहसीलदार कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक नगर किसी तहसीलदार के अधीन होता है। अधिकतर नगर तहसीलों के सदर-मुकाम ही होते हैं, उनमें तहसीलदार के अतिरिक्त उनके सहायक, कानूंगो आदि रहते हैं, और मालगुज़ारी वसूल करते हैं। हर एक नगर में आवश्यकतानुसार पुलिस का प्रबन्ध रहता है। पुलिस के किस किस कर्मचारी का क्या क्या काम होता है, यह अलग पुलिस के पाठ में बताया जायगा।

यह तो हुआ नगरों का सरकार की ओर से किया हुआ

प्रबन्ध। अब हम यह बतलाते हैं कि नगरों में क्या क्या कार्य जनता के प्रतिनिधियों के सुपुर्द हैं।

**म्युनिसिपैलिटियां**—जिस प्रकार ग्रामों के कुछ स्थानीय कार्यों के लिए ग्राम-बोर्ड ( ज़िला बोर्ड या लोकल बोर्ड ) और पचायतें हैं, उसी प्रकार नगरों में म्युनिसिपैलिटियां स्थापित हैं *। ये अपनी अपनी सीमा में शिक्षा, स्वास्थ, सफ़ाई आदि का प्रबन्ध करती हैं।

म्युनिसिपैलिटियों का नया चुनाव तीन साल में होता है। प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में यह निश्चित रहता है कि इतना म्युनिसिपल कर देने वाला, या इतने किराये के मकान में रहने वाला, या इतनी आय या योग्यता वाला व्यक्ति निर्वाचक होसकता है। अठारह वर्ष से कम उमर के आदमी निर्वाचक नहीं हो सकते। जो निर्वाचक इक्कीस वर्ष से अधिक उमर के हों, वे म्युनिसिपैलिटी की मेम्बरी के लिए उम्मेदवार हो सकते हैं। चुनाव में, जिन उम्मेदवारों के हलके के अधिक आदमी उनके पक्ष में अपना मत देते हैं, वे मेम्बर

* बम्बई, कलकत्ता, मदरास, और रंगून की म्युनिसिपैलिटियों को 'कारपोरेशन' कहते हैं। कहीं कहीं दस हज़ार से कम आबादी वाले कस्बों में 'नोटीफाइड एरिया' होते हैं। इनके काम म्युनिसिपैलटियों के से ही हैं।

चुने जाते हैं। सिविल सर्जन, इंजिनियर, आदि कुछ सरकारी कर्मचारी नामज़द किये जाकर भी मेम्बर होते हैं। ज़्यादहतर मेम्बर जनता द्वारा चुने हुए ही होते हैं। मेम्बर अपना सभापति तथा उपसभापति चुन लेते हैं, ये प्रायः ग़ैर-सरकारी आदमी होते हैं।

म्युनिसिपैलिटियों के काम—म्युनिसिपैलिटियों के मुख्य मुख्य कार्य ये हैं:—

(१) सर्व साधारण की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना; अर्थात् सड़कें बनवाना उनकी मरम्मत करवाना, गली, कूचों में और सड़कों पर रोशनी का इन्तज़ाम करना, तथा सराय आदि ऐसे मकान बनवाना जिनकी नगर के के आदमियों को बहुत ज़रूरत हो।

(२) स्वास्थ्य रक्षा; उदाहरण के लिए दवा दारू देने के वास्ते अस्पताल खोलना या दवाई बटवाना, चेचक और प्लेग का टीका लगवाना, पीने के पानी के वास्ते नल लगवाना, मैले पानी के बहने के लिए नालियां बनवाना, गली कूचों सड़कों और नालियों आदि की सफ़ाई करवाना। म्युनिसिपैलिटियां समय समय पर इस बात की जांच भी करवाती रहती हैं कि दूध, घी आदि खाने की चीज़ों में कोई हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलाई गयी है अथवा कोई ख़राब या

सड़े हुए फल आदि तो नहीं बेचे जा रहे हैं। जो आदमी ऐसा करते पाये जाते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है।

( ३ ) शिक्षा प्रचार; विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूल खोलना।

**म्युनिसिपैलिटियों की आय**--अच्छा; इन कार्यों के लिए रुपया कहां से आता है, यह भी जान लीजिये। आय के मुख्य साधन ये हैं।

क—चुंगी। यह कर म्युनिसिपैलिटियों की सीमा के अन्दर आने वाले माल तथा जानवरों पर लगता है।

ख—मकानों पर कर।

ग—व्यापार धन्धों पर कर।

घ—पुल या घाट आदि पर महसूल।

च—सवारियों अर्थात् गाड़ी, इक्का, साइकिल और मोटर आदि पर कर।

इनके सिवाय म्युनिसिपैलिटियों की आय के कुछ और भी साधन हैं। जब उन्हें कोई विशेष कार्य करना हो, तो कभी कभी सरकार से भी उन्हें कुछ सहायता मिल जाती है।

म्युनिसिपैलिटियों की देख रेख—सरकार प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के काम की देख रेख करती है। जिस काम को वह अनुचित समझे, उसमें वह आवश्यकतानुसार हस्त-क्षेप करती है। यदि उसके विचार से कोई म्युनिसिपैलिटी खराब काम करती दिखायी पड़े और चेतावनी दी जाने पर भी, उसका काम संतोषप्रद प्रतीत न हो, तो सरकार उसे तोड़ भी सकती है। परन्तु ऐसा अवसर कम आता है। हमारे आदमी अपने नगर का ही नहीं, अवसर मिलने पर देश भर का भी प्रबन्ध कर सकते हैं।

---

## पांचवां पाठ।

## सेना

पाठको! इस पुस्तक के पहले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि सरकार का एक कार्य विदेशियों की चढ़ाई से देश की रक्षा करना है। क्या ही अच्छा हो, यदि कोई राज्य किसी दूसरे पर आक्रमण न करे, और सब राज्य परस्पर में प्रेम भाव रखें। परन्तु वर्तमान अवस्था में प्रायः हर एक राज्य

को दूसरों के आक्रमण का भय रहता है। उससे अपनी रक्षा करने के लिए, प्रत्येक देश में कुछ आदमी ऐसे रखे जाते हैं जो युद्ध-विद्या में निपुण हों, जिन्होंने तलवार, बन्दूक, तोप आदि चलाना सीख लिया हो। इन आदमियों के समूह को सेना कहते हैं।

भारतवासी प्राचीन काल से अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। पहले यहां स्थायी सेना बहुत कम रहती थी। स्वयं-सेवक क्षत्रियों ने चिरकाल तक इस देश की रक्षा की, उनकी वीरता तथा आत्म-त्याग के कारण किसी को इधर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हुआ। परन्तु पीछे उनमें फूट, ईर्षा तथा विलासिता आदि दुर्गुण आजाने से, और अन्य जातियों के इस ओर यथेष्ठ ध्यान न देने से, देश क्रमशः पराधीन होगया। अब अंगरेज़ सरकार इसकी रक्षा के लिए वेतन पाने वाली सेना रखती है, और प्रतिवर्ष पचास पचपन करोड़ रुपये इस मद्द में खर्च करती है।

**सेना के भेद**—अन्य देशों की भांति भारतवर्ष में भी प्राचीन काल में अधिकतर लड़ाइयां भूमि या स्थल पर ही होती थीं, और उनमें पैदल या घुड़सवार सिपाही भाग लेते थे। परन्तु, अब समुद्र पर भी लड़ाइयां होती हैं, इन लड़ाइयों में जल सेना काम करती है। जल सेना में लड़ाकू जहाज़,

पनडुब्बियां तथा उन पर रहने वाले सिपाही होते हैं। इसके अतिरिक्त, विज्ञान की उन्नति से अब आकाश से हवाई जहाज़ों द्वारा बम के गोले बरसाये जाते हैं। इसके लिए सरकार वायु सेना के आदमी तथा सामान रखती है। इस प्रकार आज कल सेना तीन प्रकार की होती है, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना।

भारतवर्ष की स्थल सेना—प्राचीन काल में सेना कहने से स्थल सेना का ही बोध होता था। इस समय भी इसी का महत्व विशेष है। यह सेना तीन तरह की होती है, पैदल, रिसाला ( घुड़सवार ) और तोपखाना। भारतवर्ष में सेना के भिन्न भिन्न भागों का अलग अलग प्रान्तों से सम्बन्ध नहीं है, सब सेना भारत सरकार की निगरानी में रहती है। सेना का सदर मुक़ाम या हैड-क्वार्टर शिमला है। प्रधान सेनापति को जंगी लाट या कमांडर-चीफ़ कहते हैं, वह प्रायः कुछ सदस्यों की एक सभा के परामर्श से काम करता है।

स्थल सेना का मुख्य भाग हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहता है। भारतवर्ष की सीमा पर, अथवा भारतवर्ष से बाहर जहां कहीं ज़रूरत हो, वहीं इसे भेजा जा सकता है। यह स्थायी रूप से रहता है। इसे 'रेग्यूलर' सेना कहते हैं।

इसके सिपाहियों और अफ़सरों में लगभग सत्तर हज़ार अंगरेज़, तथा इससे दुगने हिन्दुस्तानी हैं। ऊंचे अफ़सर अधिकतर अंगरेज़ होते हैं।

कुछ सेना ऐसी होती है, जो देश के बाहर नहीं भेजी जाती, यहां ही लड़ती है। इसे मुल्की वा 'टेरीटोरियल' सेना कहते हैं। इसमें लगभग अठारह हज़ार सैनिक हैं।

सेना का एक भाग ऐसे आदमियों का होता है, जो अपना अपना निज का काम करते रहते हैं और, आवश्यकता होने पर हथियार-बन्द हो जाते हैं। इनकी संख्या लगभग चालीस हज़ार है, इनमें अधिकांश युरोपियन, युरेशियन व ईसाई लोग ही हैं। ये प्रायः बन्दरगाहों, रेलों, छावनियों तथा नगरों की रक्षा करते हैं। इनकी सेना को सहायक सेना या 'आग्ज़ीलियरी फ़ोर्स' कहते हैं। इसमें लगभग ३६ हज़ार सैनिक हैं।

भारतवर्ष की बड़ी बड़ी रियासतें अंगरेज़ अफ़सरों के अधीन कुछ पलटनें रखती हैं। इनमें रियासतों के आदमी भरती किये जाते हैं और इनके लिए खर्च भी रियासतें ही करती हैं। इस प्रकार की सेना को भारतीय राज्य सेना या 'इंडयन स्टेट्स ट्रूप्स' कहते हैं। इसमें लगभग तीस हज़ार सैनिक हैं।

जल सेना—इस सेना की शक्ति लड़ाऊ जहाज़ों से जानी जाती है। इसे 'रायल इंडियन मेरीन' कहते हैं। इसका काम सैनिक, तथा युद्ध का सामान लाना लेजाना, भारतीय समुद्र में पहरा देना, समुद्री डाकुओं का दमन, बन्दरगाहों की रक्षा, और समुद्री नाप जोख करना है। इसके कर्मचारियों में केवल एक तिहाई भारतवासी हैं। यह स्वतन्त्र रूप से नहीं रहती, बल्कि ब्रिटिश जहाज़ी बेड़े का एक अंग है।

भारतवर्ष के कुछ स्थानों में सैनिक शिक्षा देने के स्कूल, तथा सैनिक सामान बनाने के कारख़ाने खुले हुए हैं, परन्तु इनकी संख्या अभी बहुत कम है, और इनका काम भी साधारण श्रेणी का है। देश की रक्षा यहां के ही आदमियों द्वारा हो सके, और उन्हें दूसरों का आसरा न तकना पड़े, इसके लिए यह आवश्यक है कि यहां सैनिक शिक्षा का यथेष्ठ प्रबन्ध हो और भारतवासियों को ऊंचे ऊंचे पद समुचित रूप से दिये जांय।

# छठा पाठ.

## पुलिस

पाठको ! पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि देश को बाहर के शत्रुओं से बचाने के लिए सेना रखी जाती है। अब इस पाठ में हम तुम्हें यह बतलायेंगे कि देश के भीतर लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए क्या प्रबन्ध किया जाता है। तुम में से अधिकतर पाठक देश के भीतर ही रहते हैं, सीमा पर नहीं। इस लिए देश की आन्तरिक शान्ति के सम्बन्ध में कुछ बातें तुम स्वयं जानते होगे। तुम नित्य शहरों में और गांवों में दिन भर पुलिस के आदमियों को जहां तहां चौराहों पर खड़े हुए तथा रात को गश्त लगाते हुए, और पहरा देते हुए देखते हो। पुलिस के इन कामों का उद्देश्य यह होता है कि देश के अन्दर शान्ति रहे, चोर डाकू उपद्रव न मचावें, अपराधियों की खोज की जाय, और उन्हें न्यायालय पहुंचाया जाय।

पहले यहां प्रत्येक गांव या शहर के आदमी अपनी रक्षा का प्रबन्ध स्वयं करते थे। शहरों में कोतवाल और गांवों में चौकीदार और लम्बरदार रहा करते थे। उन्हें उपज का कुछ

भाग मिला करता था। अंगरेज़ों की अमलदारी में यहां वेतन पाने वाली पुलिस रखी जाने लगी।

संगठन—आज कल प्रत्येक प्रान्त की पुलिस के प्रधान अफ़सर को इन्स्पेक्टर-जनरल कहते हैं। वह अपने प्रान्त की शान्ति का ज़िम्मेवार होता है। उसके नीचे डिप्टी-इन्स्पेक्टर-जनरल होते हैं, ये आठ-आठ दस-दस ज़िलों की पुलिस का काम देखते हैं। ज़िले की पुलिस का मुख्य अधिकारी सुपरिंटेंडेंट कहलाता है। प्रत्येक ज़िले में तीन चार 'सर्कल' या 'हल्क़े' और एक एक हल्क़े में चार पांच थाने होते हैं। हल्क़ा एक इन्स्पेक्टर के और थाना सब-इन्स्पेक्टर के अधीन होता है। सब-इन्स्पेक्टर के नीचे एक हैड-कान्स्टेबल और कई कान्स्टेबल रहते हैं। शहरों में एक एक कोतवाल भी रहता है।

प्रत्येक थाने में कई कई गांव होते हैं। गांव में जो चौकी-दार रहता है, उसे वहां का पुलिस का सिपाही समझना चाहिये। वह गांव में गश्त लगाता है, और यदि वहां कोई अपराध हो, या होने का अनुमान हो तो वह उस गांव से सम्बन्ध रखने वाले थाने में उसकी रिपोर्ट करता है।

बड़े शहरों में सड़कों पर भीड़ का प्रबन्ध करने के लिए पुलिस के 'सार्जेंट' रहते हैं। रेलवे स्टेशनों तथा रेल गाड़ियों

में भी पुलिस की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पुलिस के आदमी रहते हैं। उनका ज़िले की पुलिस से सम्बन्ध नहीं होता; रेलवे पुलिस का संगठन अलग होता है।

पुलिस का काम—ज़िले में पुलिस दो तरह की होती है, एक के पास हथियार होते हैं, दूसरी के पास हथियार नहीं होते। हथियार-बन्द अर्थात् सशस्त्र पुलिस का काम सरकारी ख़ज़ानों का पहरा देना, क़ैदियों के साथ जाना, और डाकुओं के दल पर चढ़ाई करना है। उसे फ़ौजी ढंग पर क़वायद करना और गोली चलाना सिखाया जाता है। अशस्त्र पुलिस सरकारी जुर्माना वसूल करती है, अदालतों के सम्मन या वारंट की तामील करती है, सड़कों पर भीड़ न न होने देने का प्रबन्ध करती है, आवारा कुत्तों को मारती है, और अपराधियों को पकड़ती है। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस पुराने अपराधियों पर दृष्टि रखती है। थानों में बदमाशों और गुण्डों का रजिस्टर रखा जाता है।

पुलिस का काम ऐसा है जो प्रजा से सहयोग मिलने पर ही आसानी से, तथा अच्छी तरह हो सकता है। इसलिए पुलिसवालों को चाहिये कि वे अपने आपको प्रजा के सेवक समझें। प्रजा के आदमियों का भी यह कर्तव्य है कि वे पुलिस से डरें नहीं, और अपना कार्य शान्ति से तथा निडर होकर करते रहें।

खुफ़िया पुलिस—सरकार कुछ कर्मचारी इसलिए भी रखती है कि वे गुप्त रूप से इस बात का पता लगाते रहें कि प्रजा के कौन कौन आदमी उसके विरुद्ध या ग़ैर-क़ानूनी काम करते हैं। इन कर्मचारियों को 'सी. आई. डी.' या खुफ़िया पुलिस कहते हैं। अन्य पुलिस की तरह इसके कर्मचारियों की कोई ख़ास वर्दी नहीं होती। यह हमारे तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं, इससे इन्हें कोई पहचान नहीं सकता, और ये चुप चाप गुप्त रूप से अपना काम करते रहते हैं। यह पुलिस प्रत्येक प्रान्त में अलग अलग होती है। एक एक प्रान्त की खुफ़िया पुलिस के प्रधान अफ़सर का दर्जा अन्य पुलिस के डिप्टी-इन्सपेक्टर-जनरल के समान होता है। इसके अधीन कुछ इन्सपेक्टर और सब-इन्स्पेक्टर होते हैं।

खुफ़िया पुलिस का काम षड्यन्त्र, जालसाज़ी, राजद्रोह, नक़ली सिक्का बनाने की, तथा डकैती आदि ऐसे अपराधों की खोज करना है जिनका सम्बन्ध एक से अधिक ज़िलों से हो, या जो ऐसे महत्व के हों कि ज़िला-पुलिस को न सौंपे जा सकें।

भारतवर्ष में पुलिस के अफ़सर और अन्य कर्मचारी लग-भग दो लाख हैं। इनके अतिरिक्त ३०,००० अफ़सर और कर्मचारी सैनिक पुलिस में हैं।

पुलिस की शिक्षा—पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग (विशेष शिक्षा) के लिए प्रायः प्रत्येक प्रान्त में ट्रेनिंग स्कूल खोले गये हैं। कान्स्टेबलों की शिक्षा के लिए भी जहां तहां ट्रेनिंग स्कूल स्थापित हैं। वे अपने अपने थाने में क़वायद करना सीखते हैं और क़ानून की भी कुछ बातें याद करते हैं। परन्तु अभी तक पुलिस में अनपढ़ आदमी ही अधिक हैं। ये प्रायः सर्वसाधारण पर धाक जमाते रहते हैं, और अपना कर्तव्य अच्छी तरह पालन नहीं करते। ऐसी आशा की जाती है कि ज्यों ज्यों शिक्षित और ट्रेन्ड आदमियों की भर्ती अधिक होगी, त्यों त्यों पुलिस में क्रमश सुधार होता जायगा।

---

# सातवां पाठ.

## अदालतें

पिछले पाठ में तुम पुलिस का हाल पढ़ चुके हो। जिन लोगों को पुलिस अपराधी समझ कर गिरफ्तार करती है अथवा जिन पर कोई आदमी किसी प्रकार का मुक़द्दमा चलाना चाहता है, उनके विषय में यह निश्चय करना होता है कि वे

सचमुच अपराधी हैं, या निर्दोष। यह कार्य न्यायालय या अदालतें करती हैं।

फ़ौजदारी और दीवानी मामले—तुमने कभी कभी लोगों को यह कहते सुना होगा कि वहां फ़ौजदारी या मार पीट होगयी, या यह कि उन लोगों का लेन देन आपस में नहीं निपटा, अब दीवानी में मामला चलेगा। इस प्रकार अदालतों में जो मामले मुक़द्दमे चलते हैं वे या तो फ़ौजदारी होते हैं या दीवानी। इनका भेद उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जायगा। कल्पना करो कि एक आदमी चोरी करता है, या लूट मार करता है या किसी को गाली देता है। ये अपराध समाज के विरुद्ध माने जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा आदमी जिसका चाहेगा माल असबाब चुरायेगा, लूटेगा और जिसे चाहे, गाली देगा। ऐसे आदमियों से सब को बड़ा भय रहता है, क्योंकि उनसे चाहे जिसकी हानि हो सकती है। इस प्रकार के अर्थात् चोरी लूट आदि के अपराध फ़ौजदारी के अपराध कहलाते हैं। इनका फ़ैसला फ़ौजदारी अदालतें करती हैं।

अब हम दूसरे प्रकार के अपराधों का उदाहरण लेते हैं। कल्पना करो कि एक आदमी किसी से रुपया उधार लेकर नहीं देता, तो यह उसी मनुष्य की हानि करता है, जिसने उसे उधार दिया है। समाज के दूसरे आदमी उससे इस

प्रकार का व्यवहार न करके, हानि से बचे रह सकते हैं। ऐसे अपराधों को दीवानी अपराध, और, इनका फ़ैसला करने वाली अदालतों को दीवानी अदालतें कहते हैं।

अब हम इन अदालतों के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बतलाते हैं। पहिले फ़ौजदारी अदालतों का विचार करते हैं।

फ़ौजदारी अदालतें—कहीं कहीं तो एक ज़िले में, और कहीं कहीं कुछ ज़िलों के एक समूह में एक 'सेशन्स-कोर्ट' या फ़ौजदारी अदालत होती है। इसका प्रधान सेशन्स-जज कहलाता है। यह वही व्यक्ति होता है जो ज़िला-जज की हैसियत से दीवानी मामलों का निपटारा करता है। सेशन्स-जज फांसी का दंड भी दे सकता है, परन्तु इस दंड की मंज़ूरी हाई कोर्ट से मिल जानी चाहिये।

सेशन्स-जज अपने कार्य में कुछ अन्य सज्जनों की भी सहायता लेता है। यदि ये अच्छे शिक्षित, और विचारवान होते हैं तो इन्हें 'जूरर' तथा इनके समूह को 'जूरी' कहते हैं। और, यदि ये साधारण योग्यता के होते हैं, तो उन्हें 'असेसर' कहते हैं। सेशन्स-जज इन्हें मुक़द्दमे की सब बातें समझा कर इनकी सम्मति लेता है। जूरी की राय तो जज को माननी ही पड़ती है, परन्तु असेसरों की राय वह माने या न माने, यह उसकी इच्छा पर रहता है।

यह तो हुई सेशन्स-जज की बात; अब इसके नीचे के कर्मचारियों के विषय में बतलाते हैं।

मेजिस्ट्रेट और उनके अधिकार—सेशन्स-जजों के नीचे पहले दूसरे और तीसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेट रहते हैं। पहले दर्जे के मेजिस्ट्रेट को दो साल तक की क़ैद और एक हज़ार रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार होता है। दूसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेट छः महिने तक की क़ैद और दो सौ रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। तीसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेट एक मास की क़ैद और पचास रुपये तक जुर्माना कर सकते हैं। कुछ शहरों में आनरेरी मेजिस्ट्रेट रहते हैं; ये अवैतनिक होते हैं, अर्थात् इन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। इन्हें पहले, दूसरे या तीसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं।

दीवानी की अदालतें—प्रायः हर एक ज़िले में एक ज़िला-जज होता है। उसकी अदालतें ज़िले में सब से बड़ी दीवानी अदालत है; इसमें नीचे की अदालतों के फ़ैसलों की अपील हो सकती है। ज़िला-जज के नीचे सब-जज होते हैं। सब-जज को सदरआला भी कहते हैं। इनके नीचे मुन्सिफ़ों का दर्जा है। मुन्सिफ़ों के पास साधारणतः १०००) रु० तक के मुक़द्दमे पेश होते हैं, सब-जज की अदालत में बड़ी से बड़ी रक़म तक का मामला दायर हो सकता है; ज़िला-जज

की अदालत में १०,०००) रु० से अधिक का मुक़द्दमा दायर नहीं हो सकता।

**अपराधियों के दंड**—भारतवर्ष की अदालतों में प्रायः निम्न लिखित दंड दिये जाते हैं:—

(क) जुर्माना, (ख) बेत या कोड़े लगाना, (ग) सादी क़ैद, (घ) सख्त क़ैद, जिसमें कुछ समय की एकान्त की क़ैद भी सम्मिलित है, (च) देश-निकाला या काला पानी, और (छ) प्राण दंड या फांसी। दंड देने के विशेषतया तीन उद्देश्य होते हैं:-(१) जिस व्यक्ति को दंड मिले, उसके आचरण का सुधार करना, (२) दूसरों को शिक्षा देना, जिससे वे ऐसे कार्य न करें, और (३) जिसकी हानि हुई हो, उसे या उसके सम्बधियों को सन्तोष दिलाना।

**फ़ैसलों की अपील**—यदि कोई मनुष्य अपने मुक़द्दमे के सम्बन्ध में किसी अदालत के फ़ैसले से संतुष्ट न हो तो वह उसका विचार उससे ऊंचे दर्जे की अदालत से करा सकता है। इसे 'अपील' करना, कहते हैं। फ़ौजदारी मुक़द्दमों में, दूसरे और तीसरे दर्जे के मेजिस्ट्रेटों के फ़ैसले की अपील ज़िला-मेजिस्ट्रेट के यहां होती है, और पहले दर्जे के मेजिस्ट्रेट के फ़ैसले की अपील सेशन्स-जज के यहां होती है। सेशन्स-जज के फ़ैसले की अपील प्रान्त के चीफ़ कोर्ट या

हाईकोर्ट में होती है। जब किसी को फांसी की सज़ा का हुक्म हो तो वह गवर्नर या वायसराय से दया के लिए प्रार्थना कर सकता है। कुछ ख़ास ख़ास हालतों में अपील इंगलैंड की प्रिवी कौंसिल तक भी पहुंचती है।

दीवानी के मुक़द्दमों में, मुन्सिफ के फ़ैसलों की अपील ज़िला-जज के पास हो सकती है, यदि वह चाहे तो उसे सब-जज के पास भेज सकता है। सब-जज या ज़िला-जज के फ़ैसलों की अपील, कुछ दशाओं में, हाई कोर्ट में हो सकती है।

रेवन्यू कोर्ट—मालगुज़ारी सम्बन्धी सब बातों का फ़ैसला करने के लिए कहीं कहीं रेवन्यू कोर्ट और कहीं कहीं सेटलमेंट ( बन्दोबस्त ) कमिश्नर है। इनके अधीन कमिश्नर, मेजिस्ट्रेट, मुन्सिफ़, तहसीलदार आदि रहते हैं, इन्हें मालगुज़ारी सम्बन्धी फ़ैसला करने के थोड़े बहुत अधिकार हैं।

भारतवर्ष में मुक़द्दमेबाज़ी—एक समय था कि भारतवर्ष में लोग मुक़द्दमेबाज़ी को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। अब यह घरों को बरबाद करने वाला खर्चीला काम दिनों दिन बढ़ता ही जारहा है। दीवानी के मुक़द्दमों की वार्षिक औसत २० लाख से ऊपर बैठती है, फ़ौजदारी के कुछ कम हैं। लोगों को चाहिये कि अपना काम शान्ति और ईमानदारी

से करें। यदि कभी किसी से कुछ झगड़ा हो ही जाय तो जहां तक हो सके उसे आपस में या पंचायत द्वारा, निपटालें। व्यर्थ मुक़द्दमेबाज़ी करके धन लुटाने में क्या रखा है?

---

# आठवां पाठ

## जेल

पिछले पाठ में यह बताया जा चुका है, कि अपराधियों को अदालतों से किस किस प्रकार का दंड मिलता है। उनमें से एक दंड, क़ैद भी है। क़ैद की सज़ा पाने वालों को सर्व साधारण से अलग रखा जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि उनका सुधार होसके, और उनसे समाज की और अधिक हानि न हो। इसी वास्ते उनके रहने के लिए बस्ती से बाहर खास मकान बनवाये जाते हैं; इन मकानों में क़ैदी तथा उनका प्रबन्ध करने वाले रहते हैं; और दूसरे आदमी वहां नहीं रहने पाते। इन मकानों को 'जेल' या 'जेलखाना' कहते हैं। सम्भव

है, तुमने बाहर से किसी जेल की ऊंची दीवार देखी हो। जेल के चारों ओर की दीवार इतनी ऊंची और मज़बूत इस वास्ते बनायी जाती है कि क़ैदी भीतर से उसे फलांग कर बाहर न आसकें।

जेलों के भेद—सब क़ैदियों की क़ैद की अवधि समान नहीं होती; अपराध के अनुसार किसी को थोड़े समय की क़ैद होती है, किसी को बहुत समय की। क़ैद की अवधि के अनुसार अलग अलग प्रकार के जेलों का प्रबन्ध किया जाता है। जिन जेलों में साल भर या अधिक समय के क़ैदी रहते हैं, उन्हें सेन्ट्रल जेल कहते हैं। कई कई ज़िलों के वास्ते एक ही सेन्ट्रल जेल होता है। पंद्रह दिन से लेकर साल भर तक के क़ैदी ज़िला-जेल में रहते हैं। पंद्रह दिन से कम की सज़ा वाले क़ैदी छोटे जेल या हवालात में रहते हैं। इस प्रकार तुम्हें मालूम होगया कि जेलों के तीन भेद हैं; सेंट्रल जेल, ज़िला-जेल, और छोटे जेल या हवालात।

जेलों का संगठन—हर एक प्रान्त के जेलों का संगठन और प्रबन्ध अलग अलग है। एक एक प्रान्त के सब जेलों का सबसे उच्च अधिकारी इन्स्पेक्टर-जनरल कहलाता है। प्रत्येक जेल के क़ैदियों का प्रबन्ध, स्वास्थ्य और आचरणादि की देख रेख करने के लिए कुछ कर्मचारी रहते हैं। इनमें से

सुपरिंटेंडेंट जेल के साधारण प्रबन्ध, ख़र्च, तथा क़ैदियों की मेहनत और सज़ा की निगरानी करता है; मेडिकल अफसर क़ैदियों के स्वास्थ और चिकित्सा आदि का ध्यान रखता है; 'जेलर' क़ैदियों के लिए पूर्ण रूप से ज़िम्मेवर होता है, वह हर समय जेल में अथवा जेल के पास ही रहता है, और क़ैदियों के लिए आवश्यक प्रबन्ध करता है। 'वार्डर्स' अर्थात् जेल के पहरुओं का काम पुराने क़ैदियों से भी ले लिया जाता है। ज़िला-मेजिस्ट्रेट भी अपने ज़िले के जेलों की देख रेख करता है।

**क़ैदियों का रहन सहन**—प्रायः एक एक प्रकार के अपराध के क़ैदी जेल में इकट्ठे रहते हैं; फ़ौजदारी के एक जगह, दीवानी के दूसरी जगह। स्त्रियों को पुरुषों से अलग रखा जाता है। सख्त क़ैद वालों को प्रायः नौ घंटे काम करना होता है। ये मिट्टी खोदते, मरम्मत करते, आटा पीसते, पानी भरते, या कोई और काम करते हैं। इन्हें दरी, क़ालीन, निवाड़ या कपड़ा बुनने या अन्य कारीगरी का भी अभ्यास कराया जाता है, जिससे क़ैद से छूटने पर ये अपनी आजीविका सहज ही प्राप्त कर सकें और चोरी या लूट आदि करना छोड़दें। जो क़ैदी दिया हुआ कार्य नहीं करते, उन्हें अधिक सख्त काम दिया जाता है, कभी कभी उन्हें शारीरिक दंड भी मिलता है। इसी प्रकार जो क़ैदी अपना काम अच्छी

तरह कर लेते हैं, और अफ़सरों को खुश रखते हैं, उनकी क़ैद की अवधि कम करदी जाती है।

पंद्रह वर्ष से कम उम्र के बालक प्रायः किसी 'रिफार्मेटरी' या सुधार पाठशाला भेज दिये जाते हैं जिससे शिक्षा पाकर वे किसी उद्योग धंधा करने के योग्य बन जायँ।

**काले पानी की सज़ा**—कभी कभी घोर अपराध करने वालों को जन्म भर के लिए या छः वर्ष के लिए देश-निकाले की सज़ा दी जाती है। इसे काले पानी की सज़ा कहते हैं। इस सज़ा वाले ऐंडमान टापू में, पोर्ट ब्लेयर स्थान में भेज दिये जाते हैं। वहां उनकी निगरानी करने के लिए एक सुपरिंटैंडैंट तथा कुछ उसके सहायक कर्मचारी रहते हैं। आजन्म देश-निकाले की सज़ा वाले साधारणतया बीस वर्ष में स्वतंत्र होजाते हैं, और सरकार से कुछ ज़मीन लेकर खेती द्वारा अपना निर्वाह करने लग जाते हैं।

---

# नवां पाठ.

## डाक और तार

पाठको ! डाक के काम को तो तुम रोज़ देखते हो। इसके प्रबन्ध के कारण, तुम दूर दूर रहने वाले अपने रिश्तेदारों या मित्रों के पत्र जल्दी और थोड़े खर्च से ही पा लेते हो। तुम्हें उनका समाचार मिल जाता है, और तुम उनके पास अपनी ख़बर भेज सकते हो। जब किसी आदमी को दूर रहने वाले अपने किसी भाई बन्धु या मित्र के सम्बन्ध में कुछ ऐसा समाचार जानना होताहै कि उसका स्वास्थ कैसाहै, या वह अपनी परीक्षा में पास हुआ या नहीं,तो डाक बांटने वाले चिट्ठीरसां ( पोस्टमेन ) की कैसी इन्तज़ार की जाती है, यह तुम जानते ही होगे।

पत्रों की यात्रा—परन्तु क्या तुमने कभी यह विचार किया कि चिट्ठियों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया किस तरह होती है। एक उदाहरण से यह बात तुम्हारी समझ में आजायगी। दो पैसे का पोस्टकार्ड लेकर, उसमें, जिधर कोरा है, उधर अपना समाचार लिखदो, और

जिधर कुछ छपा हुआ है, उधर पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखदो। अगर तुम्हें कुछ अधिक समाचार लिखना हो तो पता केवल आधे हिस्से में, दांयी ओर लिखकर, शेष जगह में इधर भी तुम समाचार लिख सकते हो। पश्चात् तुम इस पोस्ट कार्ड को 'लेटर-बक्स' में डाल दो। निश्चित समय पर डाक के आदमी लेटर-बक्स की सब चिट्ठियां निकाल कर डाकखाने ले जांयगे, वहां सब पर टिकट की जगह तारीख और स्थान की मोहर लगायी जायगी, फिर उन्हें थैले में बन्द करके रेलवे स्टेशन पर भेज देंगे। रेल गाड़ी के एक या अधिक डिब्बों में डाक के आदमी रहते हैं, वे एक एक स्टेशन की चिट्ठियां अलग अलग छांट लेंगे और क्रमशः उन्हें वहां देते जांयगे। स्टेशन से डाक के थैले डाकखाने में पहुंचाये जांयगे। वहां चिट्ठियों पर फिर स्थान और तारीख की मोहर लगायी जायगी। पश्चात् पोस्टमेन चिट्ठियों को उन उन आदमियों में बांट देंगे, जिन जिन के नाम की वे हैं। जो पत्र किसी गांव के होंगे, उन्हें गांव में जाने वाला पोस्टमेन लेजायगा। अब तुम्हारी समझ में आगया होगा कि चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती हैं।

**डाकखाने के अन्य काम**—इसी तरह लिफ़ाफ़े, अखबार, तथा पुस्तकों आदि के पार्सल डाक के द्वारा जहां तहां भेजे जाते हैं। यही नहीं, डाक से रुपयों का 'मनिआर्डर' भी

भेजा जाता है। डाकखानों में 'सेविंगबैंक' नाम का भी एक खाता रहता है। उसमें लोग अपनी बचत का रुपया जमा करते हैं। इससे उन्हें किफ़ायत ( मितव्ययिता ) का अभ्यास होजाता है, और आवश्यकता के लिए उनके पास कुछ रुपया जमा होता रहता है। इस रुपये पर कुछ सूद भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि डाकखानों से लोगों का कितना काम निकलता है।

तार—यह तो तुम जानते ही हो कि डाक के द्वारा सैकड़ों मील की दूरी का समाचार भी दो तीन दिन के भीतर मिल जाता है। परन्तु जब काम इस से भी अधिक जल्दी का हो, तो तार भेजा जा सकता है। तार से मिनटों में ख़बर कहीं से कहीं जा सकती है। हां, यह ज़रूर है कि डाक की अपेक्षा इसमें ख़र्च अधिक होता है, परन्तु अपने मतलब के लिए आदमी अधिक ख़र्च करने को भी तैयार रहते हैं; हर रोज़ देश में हज़ारों तार जाते हैं।

तार से व्यापारियों को भी बड़ा लाभ होता है। व्यापारी तार द्वारा दूर देशों में माल का भाव ठहरा लेता है और क्रय विक्रय ( ख़रीद, बेच ) झटपट हो जाती है। ज़रूरत होने पर तार द्वारा ही रुपया भी भेज दिया जाता है।

तार विभाग से राज्य प्रबन्ध में भी बड़ी सुविधा होती है।

भिन्न भिन्न स्थानों के अफ़सर तार द्वारा सलाह मशवरा कर सकते हैं, और आवश्यकतानुसार सेना या पुलिस, तथा अन्य ज़रूरी सामान भेजने के लिए कहा जा सकता है।

डाक और तार विभाग का संगठन– भारतवर्ष में डाक और तार का एक ही विभाग है, उसका देश भर में सब से बड़ा अधिकारी 'डायरेक्टर जनरल' कहलाता है। इस विभाग के प्रबन्ध के लिए यह देश कुछ सर्कलों में, और प्रत्येक सर्कल कुछ डिविज़नों में बंटा हुआ है। सर्कल के अधिकारी को 'पोस्ट-मास्टर-जनरल' और डिविज़न के अधिकारी को 'सुपरिंटेंडेंट' कहते हैं। हर एक सुपरिंटेंडेंट के नीचे कुछ इन्सपेक्टर रहते हैं जो कई कई ज़िलों के डाकख़ानों का निरीक्षण करते हैं। प्रत्येक ज़िले में एक बड़ा डाकख़ाना होता है, उसका मुख्य अधिकारी पोस्ट-मास्टर कहलाता है। ज़िले में कुछ 'ब्रांच-पोस्ट-आफ़िस' और कुछ 'सब-पोस्ट-आफ़िस' भी होते हैं। बड़े बड़े गांवों में भी डाकख़ाने हैं, उनका काम प्रायः वहां मुख्याध्यापक ही करते हैं, उन्हें इस काम के लिए कुछ भत्ता (अलाउंस) मिलता है।

भारतवर्ष में अभी बहुत से स्थानों में डाकख़ाने नहीं हैं, शिक्षा प्रचार के साथ साथ इनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यद्यपि डाकख़ानों की वृद्धि हो रही है, परन्तु जनता की आवश्यकता बहुत अधिक है।

# दसवां पाठ.

## रेल

पिछले पाठ में डाक सम्बन्धी प्रबन्ध बताया जा चुका है। आओ, इस पाठ में रेलों के बारे में विचार करें। डाक का रेलों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। रेलों की सहायता से ही डाक का वर्तमान प्रबन्ध चल रहा है।

यात्रा की सुविधा—रेलों से लोगों को यात्रा करने की बड़ी सुविधा होगयी है। पहले आदमी पैदल जाते थे, या घोड़ों पर सवार होकर; या बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी आदि में। इनमें सफ़र तय करने में समय बहुत लगता था, तथा थकावट अधिक होती थी। अब आजकल साइकल, मोटर, ट्रामवे आदि अनेक सवारियां चल पड़ी हैं। हवाई जहाज़ों का भी प्रचार बढ़ता जा रहा है। परन्तु सर्व साधारण के लिए, लम्बी लम्बी यात्रा करने की और सवारियों में इतनी सुविधा नहीं होती जितनी रेलों में। तुम रोज़ स्टेशनों पर देखते होगे कि हज़ारों आदमी रेल का टिकट लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते आते हैं।

# यात्रा

प्रत्येक टिकट पर यह छपा रहता है कि वह किस स्टेशन से किस स्टेशन तक के लिए है, और उसका मूल्य क्या है। उस पर तारीख़ और नम्बर भी लिखा रहता है। यदि किसी का टिकट खोया जाय तो नम्बर और तारीख़ बताने से उसका काम चल सकता है; नहीं तो उसे फिर दाम भरने पड़ते हैं।

**रेलों से अन्य लाभ**–स्टेशनों पर सवारी गाड़ी के अलावा तुमने माल गाड़ियां भी देखी होंगी। इनमें हज़ारों मन माल इधर से उधर भेजा जाता है। इस प्रकार रेलों से व्यापार की खूब वृद्धि होती है। यदि देश में एक जगह अकाल पड़ रहा हो तो खाने के पदार्थ दूसरी जगह से, जहां वे अधिक हों, जल्दी ही उस जगह लाये जाकर, बहुत से आदमियों को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। *

रेलों द्वारा सरकार को राज्य प्रबन्ध के लिए पुलिस या फ़ौज एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी बड़ी सुविधा तथा किफ़ायत होती है। इसके अतिरिक्त रेलों से मनुष्यों के विचारों तथा रहन सहन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। देश के

* रेलों से एक हानि भी है; बहुत से पदार्थों को व्यापारी उन देशों को भेज देते हैं, जहां वे मँहगे हों, फिर वे पदार्थ हमारे देश में पहले की तरह सस्ते नहीं रहते, विदेशों में निर्यात होजाने के कारण उनका भाव चढ़ जाता है।

जिन भागों में रेल चलती है, वहां के लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर बहुत आता है। भिन्न भिन्न जातियों के, तथा अलग अलग धर्मों को मानने वाले आदमी परस्पर में मिलने जुलने से एक दूसरे को अधिक जानने लगते हैं, और उनमें सहयोग और सहानुभूति का भाव बढ़ जाता है। भारतवर्ष में छूत-छात के विचारों को दूर करने में रेलों ने बड़ी सहायता की है।

**रेलों का विस्तार**—भारतवर्ष में रेलों का काम लार्ड डलहौज़ी के समय में आरम्भ हुआ। बम्बई से चलनेवाली जी० आई०पी० रेलवे, तथा कलकत्ते से चलने वाली ईस्ट इंडियन रेलवे सब से पुरानी हैं। ये १८४९-५० में आरम्भ हुई। इन्हें बनवाने में सरकार ने इस बात का ठेका लिया कि कम्पनियां उसकी सम्मति से जो रुपया रेलों के काम में खर्च करेंगी, उस पर उन्हें पांच फ़ीसदी मुनाफ़ा मिलेगा, यदि इससे कम रहा तो सरकार उसकी भरपायी कर देगी, और जो ज्यादा रहा उसमें से आधा सरकार लेगी और आधा कम्पनियां। हिसाब हर छः माही में होता था। ये लाइनें सरकार की निगरानी में बनवानी होती थीं और सरकार को कुछ समय बाद उन लाइनों को खरीदने का अधिकार होता था। इस ढंग से काम होने में खर्च बहुत अधिक हुआ; कम्पनियों ने किफ़ायत की ओर ध्यान नहीं दिया और मन-चाहा रुपया खर्च कर डाला। इस लिए पीछे इस ढंग में

सुधार किया गया। सरकार अपनी लाइनें भी बनाने लगी।

भारतवर्ष में अब अड़तीस हज़ार मील से अधिक में रेलवे लाइन फैली हुई है। बहुत सी रेलवे लाइनों की मालिक सरकार है। कुछ देशी राजाओं की हैं, तथा थोड़ी सी लाइन ज़िला बोर्डों को उत्साहित करके बनवाई गयी हैं। रेलवे लाइनों की चौड़ाई भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग है। छोटी लाइनें दो ढाई फीट की, और बड़ी लाइने ५ से ५½ फीट तक की हैं।

रेलों का प्रबन्ध—भारतवर्ष में अधिकतर रेलवे लाइनों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में है। कम्पनियों की रेलों पर भी, सरकारी देख रेख रहती है। सब रेलों पर देख रेख का काम एक 'रेलवे बोर्ड' करता है, इसमें एक सभापति और दो अन्य सदस्य होते हैं।

जिन रेलों का प्रबन्ध कम्पनियां करती हैं, उनका 'बोर्ड-आफ़-डायरेक्टर' लंदन (इंगलैंड) में है। उस बोर्ड की ओर से भारतवर्ष में एक 'एजन्ट' रहता है। इस एजन्ट के नीचे ट्रैफिक मेनेजर, चीफ इंजिनियर, और स्टेशन मास्टर आदि कर्मचारी होते हैं। सरकारी रेलों में भी ऐसे ही कर्मचारी काम करते हैं।

# ग्यारहवां पाठ.

## सार्वजनिक निर्माण कार्य

पाठको! तुमने आगरे का ताजमहल, देहली की कुतब-मीनार, या इलाहाबाद का क़िला देखा होगा, अथवा ऐसी इमारतों का नाम तो सुना ही होगा। ये इमारत किस की हैं? ये बादशाहों या राजाओं ने बनवाई हैं। ऐसी इमारतों के बनवाने में दो बातों का ध्यान रखा जाता है, या तो यह कि वे बहुत सुन्दर हों, उनमें अच्छी कला या कारीगरी दिखाई पड़े, अथवा वे बहुत उपयोगी हों। प्राचीन काल में सौन्दर्य का विशेष ध्यान रखा जाता था, आज कल उपयोगिता का अधिक विचार किया जाता है।

पिछले पाठों में तुम यह पढ चुके हो कि भारतवर्ष में सरकार के बहुत से विभाग तथा कार्य हैं। इनके लिए इमारतें आदि बनवाने की ज़रूरत होती ही है। इस वास्ते सरकार का प्रत्येक प्रान्त में एक अलग ही विभाग है। इस का नाम है, सार्वजनिक निर्म्माण विभाग। इसे अंगरेज़ी में 'पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट' कहते हैं; इसका संक्षिप्त होता है, पी०

डब्ल्यू. डी. ( P. W. D. ) । साधारण बोलचाल में बहुधा अंगरेज़ी का यह संक्षिप्त नाम ही काम आता है।

**इस विभाग के काम**—सार्वजनिक निर्म्माण विभाग इस प्रकार के काम करता है :—

( १ ) सड़कें बनाना तथा उनकी मरम्मत करना।

( २ ) सरकारी कामों के वास्ते आवश्यक मकानात, स्कूल, अस्पताल, जेल, दफ्तर, अजायबघर, अदालतें, इत्यादि बनाना और उनकी मरम्मत करते रहना।

( ३ ) सार्वजनिक सुविधा के लिए बन्दरगाह, घाट, पुल आदि बनाना।

( ४ ) आबपाशी के लिए नहरें खोदना।

**इस विभाग का संगठन**—प्रत्येक प्रान्त में इस विभाग का प्रधान कर्मचारी चीफ़ इञ्जिनियर कहलाता है।

सार्वजनिक निर्म्माण कार्यों के लिए, प्रत्येक प्रान्त कुछ सर्कलों में, तथा हरएक सर्कल ५, ६ डिवीज़नों में बटा हुआ होता है। 'सर्कल' भर के कार्यों को निरीक्षण करने का अधिकार 'सुपरिन्टेंडिंग इंजिनियर' को होता है, और डिविज़न एक एग्ज़िक्यूटिव इंजिनियर के सुपुर्द रहता है।

इसके नीचे सहायक इंजिनियर, ओवरसियर और सब-ओवरसियर आदि रहते हैं।

इस विभाग में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी प्रायः इंगलैंड में शिक्षा पाकर आते हैं। भारतवर्ष में रुड़की, शिवपुर, ( बंगाल ), मद्रास, पूना, बम्बई और जबलपुर आदि, जगहों में इस विषय की शिक्षा के लिए स्कूल और कालिज खुले हैं।

---

## बारहवां पाठ.

## शिक्षा

पाठको! तुम इस पुस्तक में पुलिस, अदालतों और जेलों का हाल पढ़ चुके हो। देश की शान्ति के लिए इनकी बहुत ज़रूरत है। परन्तु देश की उन्नति के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों में ज्ञान का प्रचार हो। इस वास्ते स्थान स्थान पर लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल आदि होने चाहियें। लिख पढ़कर आदमी आजीविका भी कमा सकते हैं,

हिन्दू बोर्डिङ्गहाउस, इलाहाबाद ।

फिर वे चोरी या लूट मार आदि नहीं करते। वे देश की सुख शान्ति में सहायक होते हैं, और सुयोग्य नागरिक बन जाते हैं।

प्राचीन काल में भारतवर्ष अपने ज्ञान-भंडार के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहां प्रत्येक ग्राम में ऐसी पाठशालाएं थीं, जिनमें जन-साधारण के बालक भी बिना कुछ खर्च किये अपने गुरु के पास रहते और शिक्षा पाते थे। आज कल भी भी बहुत से स्थानों में थोड़े बहुत प्राचीन ढंग से गुरुकुल, ऋषिकुल, आश्रम तथा विद्यापीठ आदि चल रही हैं, जिनका सरकार से कुछ सम्बन्ध नहीं है।

**आधुनिक काल में शिक्षा प्रचार**—परन्तु अब देश के अधिकतर शिक्षा-कार्य पर सरकारी देख-रेख है। आधुनिक ढंग की शिक्षा संस्थाओं के निम्न लिखित भेद हैं—

१—प्राइमरी स्कूल।

२—सेकिन्डरी या माध्यमिक स्कूल।

३—कालिज या महाविद्यालय, और

४—उद्योग धन्धों के स्कूल और कालिज।

अब हम इन संस्थाओं में मिलने वाली शिक्षा के विषय में कुछ मुख्य मुख्य बातें बतलाते हैं।

**प्रारम्भिक शिक्षा**—प्राइमरी स्कूल बहुत से बड़े बड़े गांवों तथा सब शहरों में हैं। इनमें हिन्दी, बंगला, मराठी, आदि देशी भाषाओं में लिखना पढ़ना तथा कुछ भूगोल और

हिसाब सिखाया जाता है। इनकी पढ़ाई प्रायः चार वर्ष की होती है। तुम्हारे ग्राम या नगर में ये स्कूल होंगे, तुम उनकी शिक्षा पा चुके हो, इसलिए इनका हाल तुम्हें ज्ञात ही होगा। यह और जान लेना चाहिये कि गांवों के प्राइमरी स्कूल ज़िला-बोर्ड या (ज़िला-कौंसिल) के ख़र्च से और शहरों के स्कूल म्युनिसिपलिटियों के ख़र्च से चलते हैं। कुछ शहरों में म्यूनिसपैलटियों ने यह शिक्षा अपने अपने नगर के सब या कुछ मोहल्लों के लड़कों के लिए अनिवार्य (लाज़मी) और निःशुल्क (बिना फ़ीस) करदी है। परन्तु विशेषतया धनाभाव के कारण इस प्रकार का बहुत सा काम होना अभी शेष है, ज़िला बोर्ड तो शिक्षा अनिवार्य या निःशुल्क बहुत ही कम कर सके हैं।

माध्यमिक शिक्षा—प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई कर चुकने पर विद्यार्थी वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल में दाखिल हो सकता है और उसकी पढ़ायी समाप्त करके तथा अंगरेज़ी मिडल क्लास की अंगरेज़ी की पढाई पूरा करके हाई स्कूल में प्रवेश कर सकता है। अथवा, यदि विद्यार्थी चाहे तो वह प्राइमरी क्लास पास करके अंगरेज़ी मिडल स्कूल में जा सकता है, और उसकी शिक्षा पूरी करके फिर हाईस्कूल में प्रवेश कर सकता है। कुछ हाई स्कूलों में शिक्षा देशी भाषाओं द्वारा दी जाने लगी है, अन्यत्र अभीतक अंगरेज़ी की प्रधानता

हिन्दू विश्व विद्यालय, काशी।

है। हाई स्कूल की अन्तिम परीक्षा को एंट्रेंस, मेट्रीक्यूलेशन, स्कूल लीविंग, या हाई स्कूल सर्टीफ़िकट परीक्षा कहते हैं। बराबर पास होने वाले विद्यार्थियों को आरम्भ से इस परीक्षा तक १०-११ वर्ष लगते हैं।

कुछ प्रान्तों में मिडल और हाई स्कूलों की शिक्षा का क्रम निश्चित करने और इनकी अन्तिम परीक्षा लेने का प्रबन्ध करने के लिए हाई स्कूल-बोर्ड बनाये किये गये हैं।

उच्च शिक्षा--हाई स्कूल की अन्तिम परीक्षा पास कर चुकने वाले विद्यार्थियों के लिए कालिजों में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। कालिजों में पढ़ाने वाले 'प्रोफ़ेसर' कहलाते हैं। कालिज की दो वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर एफ़० ए० ( या इंटरमीजियट ) की परीक्षा होती है। चार वर्ष की पढ़ाई पूरी करने पर बी० ए० की परीक्षा होती है। बी० ए० पास को ग्रेजुएट कहते हैं। इसके दो वर्ष बाद की परीक्षा पास करने वाले एम० ए० होजाते हैं। उच्च शिक्षा अभी तक अंगरेज़ी द्वारा ही दी जाती है। हां, कुछ स्थानों में देशी भाषाओं की भी उच्च परीक्षा होती है।

उच्च शिक्षा का क्रम निश्चित करने और उसकी परीक्षा लेने का प्रबन्ध विश्व विद्यालय या 'यूनिवर्सिटियां' करते

हैं। * कलकत्ता, बम्बई, मदरास, पटना, इलाहाबाद, नागपुर, अलीगढ, आगरा, हैदराबाद, और मैसूर आदि सत्तरह स्थानों में विश्व विद्यालय हैं।

विश्व विद्यालय का प्रधान अधिकारी 'चांसलर', और उसके लिए नियम बनाने वाली सभा 'सिनेट' कहलाती है। प्रबन्धकारणी सभा को सिंडिकेट और इसके सभापति को 'वाइस चांसलर' कहते हैं। प्रत्येक विश्व विद्यालय में एक रजिस्ट्रार रहता है। यह वेतन पाता है, और सिंडिकेट और सिनेट की सभाओं की रिपोर्ट लिखता तथा विश्व विद्यालय का अन्य आवश्यक कार्य करता है।

**स्त्री शिक्षा**—पहले यहां स्त्री शिक्षा का विरोध बहुत था, परन्तु अब यह धीरे धीरे घट रहा है, और, शिक्षा का प्रचार बढ़ता जा रहा है। अधिकांश कन्यायें प्राइमरी शिक्षा ही प्राप्त करती हैं। बाल विवाह तथा पर्दे की सामाजिक कुरीतियां उन की उच्च शिक्षा प्राप्ति में बाधा डालती हैं। इन में क्रमशः सुधार हो रहा है। गावों में, और कहीं कहीं नगरों में भी कन्याएं लड़कों के साथ ही पढ़ती हैं।

---

* कुछ स्थानों में हाई स्कूल की अन्तिम दो, तथा कालिजों की प्रथम दो, श्रेणियों की शिक्षा के लिए इंटरमीजियट कालिज खोले गये हैं। इन का शिक्षा-क्रम निश्चित करने और परीक्षा का प्रबन्ध करने का कार्य 'हाई स्कूल और इंटरमीजियट शिक्षा बोर्ड' करता है।

टाईप, शार्टहैंड और बुककीपिंग.

औद्योगिक शिक्षा—पढ़े लिखे आदमी केवल सरकारी दफ्तरों की नौकरियों के ही आश्रित न रहें, वरन् कुछ स्वतंत्र आजीविका भी प्राप्त कर सकें, इस लिए आवश्यक है कि पठन पाठन के साथ ही कुछ पेशों की शिक्षा की भी व्यवस्था हो।

कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, लाहौर तथा लखनऊ आदि में सरकार की तरफ से आर्ट स्कूल खुले हुए हैं, जिन में दस्तकारी, धातु का काम करना, ज़ेवर बनाना, जवाहरात का काम करना, कपड़े और दरी बुनना, मिस्तरी का काम करना, मिट्टी के खिलौने बनाना, चित्रकारी, रंगसाज़ी, मूर्ति बनाना तथा लोहे का काम सिखाया जाता है।

शिल्प विद्यालयों में अधिकांश लुहार बढ़ई व दर्ज़ी का काम सिखाया जाता है।

कुछ स्थानों में व्यापारिक शिक्षा भी दी जाती है। कई प्रान्तों के अंगरेज़ी स्कूलों की परीक्षा में चित्रकारी, कृषि, बुक-कीपिंग ( अंगरेज़ी ढङ्ग का बही खाता ) शार्ट-हैंड (संक्षेप लेख प्रणाली) और टाइप करना आदि सिखाया जाता है।

कुछ बड़े बड़े नगरों में मेडीकल अर्थात् चिकित्सा सम्बन्धी तथा 'ला' ( क़ानून ) की शिक्षा के लिए कालिज खुले हुए हैं, जिनसे डाक्टर और वकील आदि निकलते हैं। अध्यापक का कार्य सीखने के लिए नार्मल स्कूल, तथा ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग कालिज आदि हैं।

शिक्षा विभाग—हर एक प्रान्त में शिक्षा विभाग एक डायरेक्टर की देख रेख में रहता है। डायरेक्टर के अधीन हर एक डिविजन या सर्कल में एक इन्स्पेक्टर और उसके सहायक होते हैं, वे स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। ज़िले में एक डिप्टी-इन्स्पेक्टर होता है जो एक या अधिक अधीन-डिप्टी-इन्स्पेक्टरों की सहायता से ज़िले के स्कूलों का निरीक्षण करता है।

शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार पढ़ाई कराने वाली और उसके कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण करवाने वाली सरकारी, तथा म्युनिसिपल और ज़िला बोर्डों की संस्थाएं 'सार्वजनिक' कहलाती हैं। इनको छोड़ आर्यसमाज, ईसाइयों, तथा अन्य विशेष सम्प्रदायों की संस्थाओं को 'प्राईवेट' कहते हैं। इनमें प्रायः धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। बहुत सी प्राइवेट संस्थायें सरकारी सहायता लेती हैं। उन्हें अपना पाठ्य क्रम निश्चय करने, अपने मकान आदि बनवाने में सरकारी नियमों का पालन करना होता है। सरकारी इंस्पेक्टर समय समय पर उनका निरीक्षण करते हैं। सरकार कुछ स्थानों में अपने स्कूल नमूने के तौर पर खोलती है, जिन्हें देख कर लोगों को यह मालूम होजाय कि सरकार किस प्रकार के स्कूल चलाना पसन्द करती है। तुमने किसी मौडल स्कूल का नाम सुना होगा। 'मौडल' का अर्थ नमूना है।

विद्यार्थी परीक्षा भवन में.

**शिक्षा प्रचार**—यद्यपि सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं द्वारा शिक्षा का प्रचार क्रमशः बढ़ रहा है, अभी यहां बहुत कम व्यक्ति शिक्षित हैं। स्त्री पुरुष मिलाकर केवल सात फ़ी सदी ही कुछ लिखना पढ़ना जानते हैं। जिन बालक बालिकाओं की उम्र पढ़ने योग्य है, उनमें से आधे से कम लड़कों तथा बहुत ही कम लड़कियों के लिए शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध है। सरकार और जनता के सम्मिलित उद्योग से देश की अविद्या दूर होनी चाहिये।

**अवकाश का सदुपयोग**—पाठको! तुम्हें लिखने पढ़ने के काम से कभी छुट्टी मिलती ही होगी। उस समय तुम क्या करते हो? क्या व्यायाम या विश्राम करते हो? बहुत अच्छा, एक सीमा तक ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु कभी कभी और भी तो अवकाश होता होगा। यदि तुम उस समय का ठीक ठीक उपयोग करो तो अपनी, तथा अपने राज्य की बहुत उन्नति कर सकते हो। यदि तुम्हारे ग्राम या नगर में कोई वाचनालय या पुस्तकालय हो तो तुम्हें अवकाश के समय वहां जाकर विविध पत्र पत्रिकायें देखनी चाहियें, या महापुरुषों के जीवन चरित्र अथवा अन्य उपयोगी पुस्तकें पढ़नी चाहियें। इससे तुम्हारा मनोरंजन तो होगा ही। इसके साथ साथ अनेक

विषयों में तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। अगर तुम्हारी रुचि हो तो इस समय में तुम विविध उपयोगी विषयों पर निबन्ध लिखने का अभ्यास कर सकते हो। इससे तुम्हें अपने विचार अच्छी तरह प्रकट करने की योग्यता प्राप्त होजायगी; सम्भव है, तुम कभी अच्छे लेखक बन सको। अवकाश के समय अपने पास पड़ौस के बालकों को लिखने पढ़ने में लगाकर तुम उनमें शिक्षा प्रचार करने में बहुत सहायता कर सकते हो।

जब कभी तुम्हें अपने ग्राम या नगर से बाहर, दूसरी जगह जाने का सुभीता हो,तो तुम्हें वहां की कारीगरी या प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक दृश्य देखने चाहियें। तुम्हें चित्रकारी, तैरने, या बालचर ( स्काउट ) आदि के काम में अपना अनुराग बढ़ाना चाहिये, जिससे तुम्हें भविष्य में, बडे होकर कभी भी अपना अवकाश का समय काटना दूभर प्रतीत न हो, और तुम उसका ठीक ठीक सदुपयोग कर सको। स्मरण रखो कि बहुत से आदमियों ने अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करके ही, अपने जीवन को बहुत उन्नत बना लिया है।

# तेरहवां पाठ

## कृषि

पाठको ! यह तो तुम जानते ही हो कि भारतवर्ष में अधिकतर आदमी गांवों में रहते हैं, और उनमें से बहुतसों के लिए खेती का ही धंधा मुख्य है। वे या तो खेती करते हैं, या खेती करने वालों के काम में किसी न किसी प्रकार की सहायता करते हैं। हिसाब लगाने से मालूम हुआ है कि कुल मिलाकर लगभग तेईस करोड़, अर्थात् सौ पीछे तेहत्तर आदमियों की आजीविका खेती से ही चलती है। सरकार को भी खेती से बहुत लाभ है। सेना, पुलिस, अदालतें, जेल और स्कूल आदि के लिए बहुत ख़र्च की ज़रूरत होती है; उन विभागों से आमदनी बहुत कम होती है। परन्तु खेती से तो ख़र्च काट कर भी सरकार को बड़ी बचत होती है। और, इस बचत से सरकार के अन्य विभागों का काम चलता है। वास्तव में प्रत्येक प्रान्त की सरकार के लिए आमदनी की सब से बड़ी मद्द खेती की मालगुज़ारी है। इस लिए प्रजा तथा सरकार दोनों की दृष्टि से खेती की उन्नति बहुत आवश्यक तथा लाभकारी है।

**भारतवर्ष में कृषि की अवनति के कारण**—भारतवर्ष में अधिकतर खेती की दशा अच्छी नहीं है। भारतवर्ष की जन संख्या तथा क्षेत्रफल को देखते हुए, यहां की पैदावार बहुत कम है। अन्य देशों की तुलना में, फ़ी आदमी अथवा फ़ी एकड़ भूमि, यहां खेती की उपज में बड़ी कमी है।

इसके मुख्य कारण किसानों की दरिद्रता तथा अज्ञान हैं। उनके पास प्रायः इतनी पूंजी नहीं होती कि वे नये यंत्र, बढ़िया खाद, उत्तम बीज आदि खरीदकर काम में ला सकें, अथवा खेतों में पानी देने के लिए कूए आदि जितने चाहियें, खुदवा सकें। भारतवर्ष में खेती पशुओं की सहायता से होती है; अन्य देशों की तरह यहां मशीनों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए यहां पशुओं की रक्षा उन्नति, और चिकित्सा आदि की विशेष आवश्यकता है, इन बातों का यथेष्ट प्रबन्ध न होने से भी यहां खेती अवनत अवस्था में है।

इसके अलावा भारतवर्ष के अधिकतर लोगों में यह रिवाज है कि किसी आदमी के मरने पर, अन्य सम्पत्ति के साथ उसकी भूमि भी उसके बाल बच्चों में बट जाती है। इसका फल यह हुआ कि अनेक आदमियों के हिस्से में ज़मीन का छोटा छोटा टुकड़ा रह गया, अनेक स्थानों में तो ऐसा भी होगया है कि एक आदमी की थोड़ी सी ज़मीन यहां है और

थोड़ी सी बहुत दूर जाकर है। इससे उनमें खेती करना तथा उनकी देख रेख करना बहुत कठिन होजाता है, और ख़र्च भी अधिक पड़ता है।

किसानों तथा ज़मींदारों को चाहिये कि सरकार की सहायता से कृषि सम्बन्धी उपर्युक्त असुविधाओं को दूर करने का यत्न करें, सरकारी कृषि विभाग से लाभ उठावें, तथा उसकी कार्य पद्धति को अपने लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनावें।

कृषि विभाग—कृषि की उन्नति के लिए भारतवर्ष में एक सरकारी कृषि विभाग स्थापित है। उसका प्रधान अधिकारी इन्स्पेक्टर जनरल कहलाता है। अलग अलग प्रान्तों में खेती का डायरेक्टर तथा उसके नीचे डिप्टी-डायरेक्टर, एसिस्टेंट डायरेक्टर, इंजिनियर आदि रहते हैं।

इस विभाग के अफ़सरों के प्रयत्नों से कृषि के सम्बन्ध में —विशेषतया भिन्न भिन्न प्रकार की ज़मीनों में उचित खादों के उपयोग; अच्छे बीज, पौदों के रोग और उनके निवारण, नयी तरह के औज़ारों के उपयोग, और नये तरीक़ों से खेती करने के सम्बन्ध में—कई उत्तम बातों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। हां, सर्व साधारण में अभी तक इस ज्ञान का यथेष्ठ प्रचार नहीं हुआ, कारण उन्हें अंग्रेज़ी तो क्या देशी भाषा भी तो

पढ़नी नहीं आती। उनमें शिक्षा का प्रचार बहुत कम है, और जब तक कि सरकारी कर्मचारी उन्हें इस विषय को भली भांति समझाने तथा उनकी शंकाओं को निवारण करने का विशेष रूप से उद्योग न करें, केवल सरकारी फ़ार्मों या नुमायशों से किसानों को काफ़ी लाभ नहीं होता।

किसानों को आर्थिक सहायता—कृषि सम्बन्धी बहुत से सुधार ऐसे हैं, जिनकी उपयोगिता किसानों की समझ में अच्छी तरह आजाने पर भी, वे उनसे समुचित लाभ इसलिए नहीं उठा सकते कि वे प्रायः बहुत ग़रीब और ऋण ग्रस्त हैं। किसानों को साहूकारों से बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार मिलता है। सरकार उन्हें भूमि की उन्नति करने, पशु, बीज तथा कृषि सम्बन्धी अन्य वस्तुओं को ख़रीदने के लिए कम सूद पर रुपया उधार देती है। इसे 'तक़ावी' कहते हैं। किसानों की बड़ी संख्या तथा उनकी अनेक आवश्यकताओं के लिए उन्हें बहुधा काफ़ी 'तक़ावी' नहीं मिल सकती। सहकारी समितियों से उन्हें बहुत लाभ पहुंच सकता है। इस विषय में आगे लिखा जायगा।

कृषि शिक्षा—कृषि शिक्षा के लिए कुछ स्थानों में कृषि कालिज खुले हुए हैं। पूसा ( बिहार ) में एक बड़ा कृषि-कालिज है, उसके साथ कृषि-विज्ञान-शाला, तथा पशु-शाला

है। वहां अनुभव के लिए खेती की जाती है, जिससे खेती के सम्बन्ध में नयी नयी खोज हो, खेती के रोगों को दूर करने के उपाय काम में लाये जांय। इसके अतिरिक्त, पूना, सेदापट (मद्रास), कानपुर, नागपुर, शिवपुर (बंगाल), लायलपुर, (पंजाब) आदि स्थानों में कृषि-कालिज हैं। इनमें कृषि सम्बन्धी उच्च शिक्षा दी जाती है। परन्तु उनमें शिक्षा अंगरेज़ी भाषा द्वारा दी जाती है, यदि देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा दी जाय तो उनसे अधिक लाभ हो सकता है।

भारतवर्ष में जहां तहां कुछ कृषि विद्यालय भी है। इन में साधारण शिक्षा के अतिरिक्त कृषि के सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती है, तथा इस विषय का व्यवहारिक अनुभव भी कराया जाता है। कृषि के लिए विशेष प्रकार के ऐसे स्कूलों की बड़ी आवश्यकता है,जो किसानों के लड़कों को सुविधाओं का यथेष्ठ ध्यान रखें। इनकी शिक्षा निश्शुल्क हो और, इन की परिपाटी इस तरह की हो कि इनकी शिक्षा पाने वाले कृषि को घटिया दर्जे का काम समझ कर इसे छोड़ने का विचार न करगे लगें, वरन् इसे और भी अधिक उत्साह से, तथा-कुशलता पूर्वक कर सकें। इन स्कूलों में हिसाब और विज्ञान आदि की शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिये जो किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो।

# चौदहवां पाठ.

## आबपाशी

पाठको! पिछले पाठ से तुम्हें यह ज्ञात होगया कि भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है, और यहां प्रायः किसानों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं। इस पर जब बारिश बहुत ज्यादह या बहुत कम होती है तो उनका कष्ट बढ़ने वाला ही ठहरा; क्योंकि इससे खेती की फ़सल ही ख़राब होजाती है जो उनके जीवन का आधार होती है। जिन देशों में विज्ञान की यथेष्ट उन्नति होगयी है, वहां सुना है, कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार वर्षा की मात्रा कम ज्यादह भी कर सकते हैं, तथा कम बारिश होने पर भी खेती कर लेते हैं। परन्तु भारत-वासियों का तो इस विषय पर कुछ वश नहीं चलता।

भारतवर्ष में वर्षा--वर्षा के कम ज्यादह होने की दृष्टि से भारतवर्ष के तीन भाग हो सकते हैं (क) पूर्वी तथा दक्षिणी बंगाल आसाम और बर्मा में बारिश खूब होती है। (ख) उत्तरी पंजाब, संयुक्त प्रान्त, और मदरास प्रान्त के तट की भूमि में वर्षा कुछ निश्चित नहीं है (ग) दक्षिण

मालवा, गुजरात, सिंध और राजपूताने में वर्षा बहुत कम होती है। जिन भागों में वर्षा अनिश्चित है, अथवा कम होती है, वहां खेती करने के लिए आबपाशी की विशेष आवश्यकता है।

आबपाशी के साधन—भारतवर्ष में जो वर्षा होती है, उसका जल संचित करके नहीं रखा जाता। उसमें से बहुतसा पृथ्वी में सूख जाता है, अथवा नदियों के रास्ते समुद्र में बह जाता है। उसे संचित करके आबपाशी के काम में लाने से बहुत लाभ उठाया जा सकता है।

भारतवर्ष में आबपाशी के तीन साधन हैं, कुए, तालाब और नहरें। कूए यहां प्राचीन काल से रहे हैं, और अधिकतर लोगों के ही बनवाये हुए हैं; कभी कभी सरकार भी इनके खुदवाने में सहायता देती है। तालाब भी यहां पुराने समय से हैं। इनके बनाने का तरीक़ा यह है कि बहते हुए पानी को एक सुभीते की जगह रोककर उसके चारों तरफ मेंड (किनारा) बना दिया जाता है। मदरास में तालाब बहुत हैं; कुछ सरकार के बनवाये हुए हैं, और कुछ लोगों के। कुछ तालाबों का घेरा तो कई कई मील का है। बंगाल, बर्मा और बिहार में भी तालाबों से आबपाशी का बहुत काम लिया जाता है।

नहरें यहां मुसलमानों के समय से हैं। अंग्रेज़ी अमलदारी में इनकी अच्छी उन्नति हुई, तथा होरही है। वर्तमान नहरें

प्रायः सरकार की बनायी हुई, और उसी के प्रबन्ध में हैं। ये आबपाशी का सब से बड़ा साधन हैं। नहरें निकल जाने पर बंजर भूमि भी बहुत सुहावनी, हरी भरी, तथा खूब आबाद होजाती है; उदाहरण के लिए पंजाब में नहरें निकलने से कई जगह अच्छी सुन्दर नहरी बस्तियां या उपनिवेश ('कालोनी') होगये हैं। वहां पैदावार तथा आबादी पहले से कई गुनी होगयी है।

भारतवर्ष में कुल मिलाकर लगभग २५०० लाख एकड़ भूमि जोती जाती है। इसमें से इस समय पांचवे हिस्से से भी कम में आबपाशी होती है, शेष भूमि का आसरा केवल वर्षा है। नहरों के काम में धीरे धीरे वृद्धि होरही है, परन्तु अभी उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है।

**आबपाशी का महसूल**—आबपाशी का महसूल भिन्न भिन्न प्रान्तों में अलग अलग हिसाब से वसूल किया जाता है। कितने एकड़ भूमि में आबपाशी की गयी, किस नहर से, तथा किस फ़सल में पानी लिया गया, इन बातों पर महसूल निश्चय किया जाता है। उदाहरणवत् पंजाब में फ़ी एकड़, गेहूं के लिए ३।) से ५।) तक, और गन्ने के लिए ७॥) से १२) तक है। मध्य प्रान्त में फ़ी एकड़ गेहूं के लिए २) से ४) तक, और गन्ने के लिए १२) से २०) तक है। कहीं कहीं, तो यह महसूल लगान के साथ ही, और कहीं कहीं अलग लिया जाता है।

आबपाशी विभाग—आबपाशी का प्रबन्ध करने के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक सरकारी विभाग है, उसे आबपाशी विभाग या 'इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट' कहते हैं। इस विभाग का प्रधान प्रान्तीय अधिकारी चीफ़ इंजीनियर कहलाता है। उसके अधीन एक एक 'सर्कल' के सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर होते हैं। और, इस से नीचे एक एक डिवीज़न के एग्ज़ीक्यूटिव इंजिनियर होते हैं। एग्ज़ीक्यूटिव इंजिनियर के नीचे क्रमशः एसिस्टेन्ट इंजिनयर, और ओवरसियर आदि कर्मचारी काम करते हैं।

---

# पंद्रहवां पाठ

## उद्योग धन्धे.

पाठको! तुम इस पुस्तक में कृषि का पाठ पढ़ चुके हो। इसमें सन्देह नहीं, कि हमें अन्न, कपास, गन्ना, आदि भूमि से उत्पन्न पदार्थों की बहुत आवश्यकता होती है। परन्तु केवल उन चीज़ों से ही हमारा सब काम नहीं चल जाता। हमें ऐसी भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनकी खेती नहीं की

जाती, या जो भूमि से उत्पन्न पदार्थों से, भिन्न भिन्न प्रकार से, बनायी जाती हैं । उदाहरणार्थ हमें पहनने को वस्त्र चाहियें। भूमि से कपास पैदा की जा सकती है, परन्तु उससे सूत के कपड़े बनाने का काम और भी करना बाक़ी रहेगा। तब ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसी प्रकार जंगल में वृक्ष पैदा होते हैं, परन्तु उनसे लकड़ी के तख्ते तैयार करने, या गोंद, लाख आदि एकत्र करने का काम और भी करना होता है। तुमने शायद यह भी सुना होगा कि सोना चांदी लोहा ज़मीन से निकलता है, परन्तु जिस रूप में वह मिलता है,वह बहुत उपयोगी नहीं होता। उसे बड़ी होशियारी और परिश्रम से साफ़ किया जाता है, तब उसकी आवश्यक चीज़ें बन सकती हैं।

**कच्चा और तैयार माल**—इससे स्पष्ट है कि भूमि से जो चीज़ें मिलती हैं, उनमें से बहुत सी को व्यवहार में लाने के लिए हमें तरह तरह के काम करने पड़ते हैं । इन कामों को उद्योग धन्धे का काम कहते हैं। उद्योग धन्धों द्वारा 'कच्चे माल' को 'तैयार माल' बनाया जाता है। उदाहरणार्थ रूई, ऊन, तेलहन, लकड़ी, लोहा आदि कच्चा माल है। उद्योग धंधों से इनके कपड़े, तेल, कुर्सी-मेज़, औज़ार आदि बनते हैं, जिन्हें तैयार माल कहते हैं।

**खेती और उद्योग धंधे**—ज्यों ज्यों सभ्यता की वृद्धि होती

ढलाई का काम.

जाती है, ज्यों ज्यों लोगों के रहन सहन के ढंग में शौकीनी आती जाती है, उनकी तैयार माल की आवश्यकतायें दिनों दिन अधिक होने लगती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि खेती का काम करने वालों की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है, और उद्योग धंधों में काम करने वाले बढ़ने लगते हैं। यद्यपि खेती और उद्योग धन्धों का आपस में एक दूसरे से बहुत सम्बन्ध है, परन्तु दोनों कामों के साथ साथ उन्नत होने से ही जनता खुशहाल होती है। इन में से किसी एक प्रकार की आजीविका के आसरे बहुत से आदमियों को नहीं रहना चाहिये, क्यों कि ऐसा होने से, जब कभी उसकी दशा खराब होगी, तो अधिकांश जनता को कष्ट पहुंचेगा।

**दस्तकारी**—प्राचीन काल में, भारतवर्ष में दस्तकारियों का बहुत प्रचार था। खेती की उपज के अलावा लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रुरत होती थी, उन्हें वे यहां बना लेते थे। उस समय वहां से बहुत सा बढ़िया बढ़िया तैयार माल विदेशों में भी बिकने जाता था। निस्संदेह पहले दस्तकारियों के कारण भारतवर्ष का दर्जा अन्य देशों से कहीं ऊंचा था। पर अब वह बात नहीं रही। जब से कल कारखानों की लहर चली है, भारतवर्ष बहुत पीछे रह गया, अब तो यहां ही बहुत बहुत सा माल विदेशों से आता है।

यह ठीक है कि हाथ से बनाया हुआ माल, मशीनों से

तैयार किये हुए माल का मुक़ाबला नहीं कर सकता, बहुत मंहगा रहता है; तथापि यदि यहां के आदमी दस्तकारियों की ओर काफ़ी ध्यान दें तो उनकी बहुत सी ज़रुरतें यहां ही पूरी हो सकती हैं, और देश का बहुत सा धन विदेशों को जाने से रुक सकता है।

तुम जानते हो कि यहां के किसान बहुत निर्धन हैं, उन्हें खेती से जो पैदा होती है, वह प्रायः काफ़ी नहीं होती। इस के सिवाय खेती का काम साल में हर समय नही होता। खेती से उन का जो समय बचता है, वह बेकार जाता है। यदि वे अपने अवकाश के समय को दस्तकारी में लगावें तो उन के उस समय का भी सदुपयोग हो सकता है और उन्हें कुछ आमदनी भी हो सकती है।

भिन्न भिन्न स्थानों के लिए अलग अलग दस्तकारियां उपयोगी हो सकती हैं। सूत कातना और कपड़ा बुनना एक ऐसा काम है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस की हर जगह ज़रुरत भी होती है। इसको शुरू करने में तथा, अन्य आवश्यकता होने पर इसे छोड़ देने में, कुछ कठिनाई नहीं होती। इस लिए किसानों के लिए यह दस्तकारी विशेष रूप से उपयोगी है। सहकारी समितियों का विस्तार होने से देश की दस्तकारियों की बहुत उन्नति हो सकती है। इन समितियों के विषय में आगे लिखा जायगा।

कताई और बुनाई का काम.

**कल कारख़ाने**–निदान, भारतवर्ष के आदमी दस्तकारियों की तरफ़ अधिक ध्यान दें तो बहुत लाभ हो। परन्तु इस का यह मतलब नहीं, कि देश में कल कारख़ाने बिल्कुल हों ही नहीं। अब तो कल कारख़ानों का ही ज़माना है, उन में बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा, खूब बड़े पैमाने पर, भाफ या बिजली आदि की सहायता से, बहुत सी तरह तरह की वस्तुऐं तैयार की जाती हैं। इस ज़माने में कल कारख़ानों से बचना बहुत मुश्किल है। हमारी ज़रुरतें बहुत बढ़ गयी हैं। ज़रुरत की चीज़ों में बहुत सी ऐसी हैं, जो मशीनों के बिना तैयार ही नहीं हो सकतीं। इसके अलावा जो चीज़ें तैयार भी हो सकती हैं, वे कल कारख़ानों में बनी चीज़ों से कम सुन्दर और अधिक मंहगी पड़ती हैं। निदान अब हर एक देश में, कुछ बडे बड़े कारख़ानों की ज़ुरुरत होती है। हां, कारख़ानों में वही माल बनना चाहिये, जिसकी देशवासियों को वास्तव में ज़ुरुरत हो। फ़ैशन, या भोग विलासादि की सामग्री का बहुत प्रचार होना अनुचित है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कल कारख़ानों में काम करने वालों की भलाई तथा स्वास्थादि की रक्षा के लिए उचित क़ानून हो।

**कारख़ानों का क़ानून**––भारतवर्ष के बड़े बड़े नगरों में कुछ कारख़ाने खुले हुए हैं। यहां के कारख़ानों के क़ानून की कुछ मुख्य मुख्य बातें ये हैं :—

१—जिन कारखानों में मशीन से काम होता हो, और बीस या अधिक आदमी काम करते हों, उनमें यह क़ानून लागू होता है।

२—बारह वर्ष से कम उम्र वाले बालकों से कारखानों में काम नहीं लिया जा सकता।

३—बालकों से अधिक से अधिक छः घंटे काम लिया जा सकता है। उन्हें औसत से साढ़े पांच घंटे में आध घंटे का अवकाश मिलना चाहिये, और उनसे लगातार चार घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता।

४—बड़ी उमर वाले, हफ्ते में साठ घंटे से अधिक, और एक दिन में ग्यारह घंटे से अधिक, काम नहीं कर सकते।

५—स्त्रियों से, तथा अठारह वर्ष से कम उमर वाले आदमियों से, जोखम के काम नहीं लिये जा सकते।

६—मशीनों के चारों तरफ़ घेरा या बाड़ लगानी चाहिये।

७—पानी, रोशनी, हवा, सफ़ाई आदि का सुप्रबन्ध रहना चाहिये।

८—काम करते समय चोट चपेट लग जाने पर मज़दूरों को, तथा उनके काम करते हुए मर जाने पर उनके कुटुम्ब को, कुछ धन दिया जाने का प्रबन्ध किया गया है।

८—यदि कारख़ाने के मालिक इस क़ानून को तोड़ें तो उन पर ५००) तक जुर्माना हो सकता है।

इस बात की जांच करने के लिए, कि कारखानों में इस क़ानून के अनुसार काम होरहा है, या नहीं, सरकार की तरफ़ से कुछ निरीक्षक या इन्स्पेक्टर रहते हैं।

---

# सोलहवां पाठ.

## व्यापार.

पाठको! रेलों का पाठ तुम पढ़ चुके हो; उनसे व्यापार में कैसी सहायता मिलती है, यह तुम जानते हो। प्राचीन काल में रेल नहीं थीं, डाक तार की तरह के, समाचार भेजने के साधन भी नहीं थे। इस लिए उस समय भिन्न देशों के निवासियों में पारस्परिक सम्बन्ध इतना नहीं था। पहले प्राय: प्रत्येक गांव (या नगर) के आदमी आवश्यक पदार्थों को वहीं मोल लेते तथा बेचते थे। यदि कभी किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, जो उनके निवास स्थान में न मिले तो वह बाज़ार या हाट के दिन, पास के दूसरे गांव

से ले आते थे। जो चीज़ वहां भी न मिलती वह तीर्थ यात्रा के समय, भारतवर्ष के ही दूसरे स्थानों से लायी जाती थी।

यद्यपि प्राचीन काल में भी भारतवर्ष का तैयार माल मिश्र और रोम आदि पश्चिमी देशों के बाज़ारों में बहुत जाता था, पर अब तो वहां का अन्य देशों से व्यापार बहुत ही बढ़ गया है। व्यापारी जब और जहां कोई चीज़ सस्ती पाते हैं, उसे मोल ले लेते हैं, और उसे ऐसे समय में तथा ऐसे देश में बेचते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक दाम मिलें और खूब लाभ हो। नयी नयी वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों से इस में बहुत सुविधा होगयी है।

व्यापार के साधन—व्यापार के तीन मार्ग हैं—स्थल मार्ग, जल मार्ग, और वायु मार्ग। स्थल मार्ग में कच्ची पक्की सड़कों पर, ठेलों, पशुओं, मोटरों आदि से माल ढोया जाता है। आधुनिक व्यापार वृद्धि में रेलों से बड़ी सहायता मिल रही है। ये कहीं कहीं ज़मीन के नीचे भी जाती हैं। जल मार्ग में नदियों, नहरों, और समुद्रों में नाव, स्टीमर और जहाज़ चलते हैं। युद्ध काल में पनडुब्बियों द्वारा पानी के नीचे नीचे भी माल ढोया जाता है। वायु मार्ग में काम थोड़े ही समय से लिया जाने लगा है, और हवाई जहाज़ों द्वारा अभी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा माल पहुंचाया जाता है, आगे आगे

इसमें बहुत उन्नति की सम्भावना है। डाक, तार, टेलीफ़ोन, बेतार के तार द्वारा एक जगह से दूसरी जगह व्यापार सम्बन्धी सम्वाद भेजने का काम बड़ी सुगमता तथा शीघ्रता से होजाता है, और इससे व्यापार की खूब वृद्धि होती है। डाक से तो छोटे छोटे पार्सल या पेकेट आदि भी भेजे जाते हैं।

व्यापार की वृद्धि के लिए उपर्युक्त सब साधनों की उन्नति होना आवश्यक है। यह काम अधिकतर सरकार के ही करने का है। भारतवर्ष में सरकार द्वारा, इनमें से कई विषयों में जो काम होरहा है, उसका वर्णन पिछले पाठों में हो चुका है। बड़े होने पर तुम्हें अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी ज्ञान होजायगा।

**तोल और माप**—व्यापार करने के लिए मुद्रा ( रुपये पैसे ), तथा तोल और माप ठीक होना आवश्यक है। यदि किसी देश में ये भिन्न भिन्न प्रकार के हों तो वहां के आदमियों को परस्पर में व्यापार करने में बड़ी असुविधा होती है, और अनेक आदमियों को धोखा भी हो सकता है। उक्त तीन वस्तुओं में से मुद्रा का वर्णन तो अगले पाठ में किया जायगा, यहां तोल और माप का ही विचार किया जाता है।

सन् १८७१ ई० से, भारतवर्ष में सार्वजनिक व्यवहार में

तोल के लिए सेर काम में लाया जाता है। एक सेर, अस्सी तोले का होता है। साधारणतया सब चीज़ों का वज़न सेर में किया जाता है। भारी वस्तुएं मन या पंसेरी आदि में तोली जाती हैं तो उनका सेरों से हिसाब लग सकता है। इसी प्रकार साधारणतः माप के लिए गज़ काम में लाया जाता है। एक गज़ दो हाथ या छत्तीस इंच का होता है।

भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है; इस लिए भिन्न भिन्न प्रान्तों में स्थानीय कार्यों के लिए तोल और माप में कुछ कुछ भिन्नता होनी स्वाभाविक है। तथापि 'सेर' और 'गज़' का प्रचार होने से हमारी व्यापारिक एकता बहुत बढ़ गयी है, तथा बढ़ती जा रही है।

व्यापार नीति—विदेशों से व्यापार करने में किस प्रकार की नीति बर्ती जाय, इसका निश्चय सरकार करती है। यह नीति भिन्न भिन्न समय में तथा भिन्न भिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में बदलती रहती है। कभी कभी किसी देश की सरकार कुछ या सब विदेशी वस्तुओं पर ऐसा कर लगा देती है कि वे इतनी महंगी हो जांय कि उस देश में उनकी खरीद बिलकुल न होसके अथवा बहुत ही कम होसके, और इस प्रकार स्वदेशी उद्योग धन्धों की उन्नति में सहायता पहुंचे। इसे संरक्षण ( Protection ) नीति कहते हैं। इस

नीति को व्यवहार में लाने वाली सरकार कभी कभी अपने देश के कला कौशल और उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए कारखाने वालों को पुरस्कार या सहायता भी देती है। इसे अंगरेजी में 'बाउंटी' कहते हैं। जिन देशों के उद्योग धन्धे गिरी हुई हालत में हो, उन्हें संरक्षण नीति से बड़ा लाभ होता है।

जिन देशों में उद्योग धन्धे उन्नत अवस्था में हों, जो विदेशी माल का मुक़ाबिला आसानी से कर सकते हों, वहां सरकार कर लगाने में स्वदेशी या विदेशी वस्तुओं में कोई भेद भाव नहीं रखती, जैसे अपना माल अन्य देशों को स्वतन्त्रता पूर्वक जाने दिया जाता है, वैसे ही दूसरे देशों का माल अपने देश में बे-रोक-टोक आने दिया जाता है। इस प्रकार की नीति को मुक्त व्यापार ( Free Trade ) नीति कहते हैं। भारतवर्ष के उद्योग धन्धे उन्नत अवस्था में नहीं हैं, परन्तु यहां इंगलैंड की तरह प्रायः मुक्त व्यापार नीति ही काम में लायी जाती है।

अब तुम समझ गये होगे कि व्यापार नीति के दो भेद हैं, संरक्षण नीति और मुक्त व्यापार नीति। इन के विषय में विशेष बातें तुम हमारे 'भारतीय अर्थ शास्त्र' से जान सकोगे।

# सत्तरहवां पाठ.

## रुपया पैसा

पाठको ! पिछले पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि देश में तथा विदेशों में व्यापार किस तरह होता है। यह तुम जानते ही हो कि व्यापार इस लिए किया जाता है कि धन पैदा हो, और बिना धन के व्यापार नहीं हो सकता। हम अपने जीवन में बहुत से काम धन के लिए ही करते हैं और उनके करने के वास्ते धन की आवश्यकता होती है। अब इस पाठ में हम धन सम्बन्धी कुछ बातों का विचार करेंगे।

**धन किसे कहते हैं ?**—पहले तो हमें यही समझ लेना चाहिये कि धन किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत से आदमी बोल चाल में 'धन' शब्द का प्रयोग तो करते हैं, पर इसका ठीक अर्थ नहीं जानते। तनिक विचार करो तो तुम्हें मालूम होगा कि रुपये पैसे से हमारा निवार्ह नहीं होसकता, इससे हमारी भूख प्यास या सर्दी गर्मी नहीं मिटती। हां, रुपये पैसे से अन्न वस्त्र आदि की क़ीमत ठहरायी जाती है और ये चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। इस लिए असल में रुपया पैसा धन नहीं है। धन

तो वह वस्तु है जिससे हमारी किसी आवश्यकता की पूर्त्ति होती हो, साथ ही उस वस्तु में यह भी गुण होना चाहिये कि उसे किसी को देकर हम बदले में उससे कोई और उपयोगी चीज़ ले सकें। इस प्रकार, भोजन, वस्त्र, मकान, कोयला, लोहा, लकड़ी आदि चीज़ें धन हैं।

अच्छा क्या हवा और रोशनी आदि भी धन हैं? ये चीज़ें उपयोगी तो हैं, परन्तु प्रायः बहुत अधिक होने के कारण इन को देकर हमें बदले में अन्य उपयोगी वस्तुएं नहीं मिल सकतीं। जहां पर ये बहुत थोड़ी मात्रा में हों, और परिश्रम से मिल सकती हों, उन विशेष दशाओं में, खान आदि में, इनका भी मूल्य होता है, वहां ये भी धन होती हैं। इससे मालूम हुआ कि किसी चीज़ का धन होने के लिए यह आवश्यक है कि उससे मनुष्य की कोई आवश्यकता पूरी हो सकती हो, वह परिमित मात्रा में हो, तथा उसका बदला होसके।

**अदल बदल**—तुम्हें भोजन, वस्त्र, कागज़, कलम, मकान आदि बहुत सी चीज़ें चाहियें। क्या ये सब तुम बना सकते हो? नहीं। किसी आदमी का केवल अपनी ही बनायीवस्तुओं से काम नहीं चल सकता। हर एक आदमी को कुछ न कुछ दूसरों की बनायी हुई वस्तुओं की आवश्यकता होती है।

ये वस्तुएं उसे तभी मिल सकती हैं, जब वह उनके बदले में अपनी चीज़ें दे। समाज में रहने वालों का इस अदल बदल के बिना गुज़ारा नहीं होता।

**विनिमय का माध्यम; रुपया पैसा**—पदार्थों का यह अदल बदल हर जगह और हर समय सुभीते से नहीं हो सकता। सम्भव है, जो वस्तु हम देना चाहें, उसकी दूसरे को ज़रूरत न हो, अथवा यदि उसे ज़रूरत भी हो, तो उसके पास हमारी ज़रूरत की चीज़ न हो। उदाहरण के लिए कल्पना करो कि हमारे पास सेर भर गुड़ है, हम उसे देकर नमक लेना चाहते हैं। अब हमें ऐसे आदमी की तलाश करना है जिसे गुड़ की ज़रूरत हो और जिस के पास हमें देने के लिए नमक भी हो। ऐसा आदमी हर समय आसानी से नहीं मिल सकता। यदि किसी आदमी को गुड़ की तो ज़रूरत है, परन्तु उस के पास नमक नहीं है, और रुई है, तो उस से हमारा काम नहीं चलेगा। यदि हम उस से रुई लेलेंगे तो फिर हमें ऐसे आदमी को तलाश करना होगा जो हम से रुई ले ले और बदले में हमें नमक दे सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीज़ों के अदल बदल में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। इसे दूर करने के लिए मुद्रा या रुपये पैसे से काम चलाने की बात सोची गयी। जो वस्तु हमें देनी हो, उसे बेचकर हम रुपया ले लेते हैं, और फिर,

उस रुपये से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, वह चीज़ मोल ले लेते हैं। इस ख़रीद-बेच (क्रय विक्रय) को 'विनिमय' कहते हैं। विनिमय का अर्थ बदला करना है, परन्तु अब यह शब्द उसी बदले के काम के लिए उपयोग किया जाता है, जहां रुपये से काम लिया जाय। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम रुपये पैसे के द्वारा ही विनिमय कर सकते हैं। अतः रुपये पैसे को 'विनिमय का माध्यम' कहा जाता है।

**माध्यम के गुण**—यह प्रश्न हो सकता है कि मुद्रा को ही विनिमय का माध्यम क्यों माना गया, अन्य किसी वस्तु को क्यों नहीं माध्यम बना लिया गया। वास्तव में बात यह है कि विनिमय के माध्यम के लिए समय समय पर विविध वस्तुओं का प्रयोग किया गया। क्रमशः उनके गुण दोषों का अनुभव होजाने पर यह मालूम हुआ कि माध्यम में ये गुण होने चाहियें :—

१—वह उपयोगी हो।

२—वह हलका हो, लाने लेजाने में सुभीता हो।

३—वह जल्दी ख़राब या नष्ट न हो।

४—उसके भाग हो सकें (पशु आदि के टुकड़े नहीं हो सकते)। टुकड़े होने पर, सब भागों का मूल्य पूरी वस्तु के समान ही रहे। (हीरा मोती आदि में यह बात नहीं होती)।

५—उसके मूल्य में शीघ्र परिवर्तन न हो।

६—उसकी पहचान आसानी से हो सके, या पहचान के लिए उस पर अक्षरों के संकेत किये जा सकें।

ये गुण धातुओं में, और विशेषतया सोना, चांदी में होते हैं। इसलिए इनके ही सिक्के या मुद्रा बनायी जाती हैं।

भारतवर्ष में पहले सरकार जन साधारण से सोना, चांदी और ढलाई खर्च लेकर उनके वास्ते सिक्के ढाल देती थी। परन्तु १८९३ से यह बात नहीं रही। अब सरकार को जितने सिक्कों के ढालने की आवश्यकता मालूम होती है, उतने वह स्वयं ढालती रहती है।

**नोट अर्थात् काग़ज़ी मुद्रा**—पाठको! कभी कभी तुमने काग़ज़ देकर भी कुछ चीज़ मोल ली होगी या दूसरों को मोल लेते हुए देखा होगा। उस काग़ज़ में और साधारण काग़ज़ों में फरक़ होता है। उस काग़ज़ पर सरकारी ख़ज़ाने की छाप होती है। उस में यह लिखा रहता है कि सरकार इस बात की प्रतिज्ञा करती है कि वह इस काग़ज़ के बदले में उस पर लिखी हुई रक़म की देनदार है। इसी लिए उस काग़ज़ की इतनी क़ीमत होती है।

भारतवर्ष में नोट पांच, दस, पचास, सौ, पांच सौ, एक हज़ार, या दस हज़ार रुपये के होते हैं। सौ रुपये या

इससे अधिक के नोट यदि ख़राब या गुम होजांय तो उनका नम्बर बताने पर, उनका रुपया सरकारी ख़ज़ाने से मिल सकता है। इस लिए इन नोटों का व्यवहार करने वालों को चाहिये कि इनका नम्बर अपने पास लिख रखें।

यह प्रश्न हो सकता है कि रुपये पैसे होते हुए, नोट क्यों चलाये जाते हैं। बात यह है कि बड़े व्यापार में सोने चांदी के बहुत से सिक्के एक स्थान से किसी दूसरे दूर के स्थान पर ले जाने में बड़ी असुविधा प्रतीत होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए लोगों को क्रमशः धातुओं का आधार छोड़कर, काग़ज़ी मुद्रा अर्थात् हुंडियों या नोटों से ही काम निकालने की सूझी। नोट सरकार बनाती है, और हुंडियां व्यापारी या महाजन लोग, अपने आपस के व्यवहार के लिए, चलाते हैं।

काग़ज़ी मुद्रा वास्तव में सिक्का नहीं है, यह केवल एवज़ी सिक्का है, जो चलाने वाले के विश्वास या साख पर चलता है। इसे कोई उसी दशा में स्वीकार करता है, जब उसे यह निश्चय होता है कि उसे आवश्यकता होने पर, इसके एवज़ या बदले में उतने धातु के सिक्के मिल जांयगे।

हुंडियों का चलन तो यहां के व्यापारियों में बहुत समय से है, पर नोटों का चलन अंगरेज़ों के समय में ही हुआ है।

हुंडियों की अपेक्षा नोट दूर दूर, तथा बहुत आदमियों में चलते हैं। कारण, कि नोटों को सरकार चलाती है। और, सरकार को देश के सब आदमी जानते हैं; सब का उस पर विश्वास होता है, इस लिए कोई उन्हें लेने से इनकार नहीं करता। हां, एक राज्य के नोटों का दूसरे राज्य में कुछ मूल्य नहीं होता। आवश्यकता से अधिक होने पर तो नोट अपने राज्य के लिए भी हानिकर होते हैं।

जिस तरह नक़ली सिक्के बनाना अपराध है, उसी तरह जाली नोट बनाना भी बड़ा अपराध है, और अपराधी को दंड दिया जाता है।

---

## अठारहवां पाठ

## श्रम और पूंजी

पाठको! पिछले पाठ में तुम पढ चुके हो कि हम सब को धन की आवश्यकता होती है। सब धन पृथ्वी से पैदा हो ता है, परन्तु उसके लिए श्रम और पूंजी की आवश्यकता

होती है। उदाहरण के लिए कल्पना करो कि अन्न उत्पन्न करना है। खेती के लिए किसान को भूमि तो चाहिये ही, उसे हल चलाने, बीज बोने और पानी देने आदि में श्रम भी करना होगा; साथ ही उसे हल, बीज, बैल आदि ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, जिन्हें उसकी पूंजी कहा जाता है।

भूमि के बारे में कुछ बातें तुम कृषि के पाठ में पढ़ चुके हो। अब श्रम और पूंजी के बारे में विचार किया जाता है।

श्रम—तुम जानते हो कि गेहूं भूमि से पैदा होता है, परन्तु वह हमारे काम में उस समय आता है, जब उसे पीस लेते हैं, और, उसके आटे की रोटी बना लेते हैं। इसके लिए श्रम करना होता है। जिस प्रकार खेती में श्रम करना चाहिये, उसी तरह कच्चे माल को उपयोग में लाने के लिए भी श्रम की आवश्यकता होती है।

किसी किसी काम में तो श्रम प्रत्यक्ष दिखायी देता है, और किसी किसी काम का श्रम दिखायी नहीं देता। तथापि श्रम की आवश्यकता प्रत्येक कार्य में होती है। उदाहरण के लिए बढ़ई को लकड़ी से हल तैयार करने में जो श्रम करना पड़ता है, वह तो प्रत्यक्ष है। परन्तु जंगल से लकड़ी काट कर लाने में भी तो श्रम अवश्य हुआ होगा। हमने उसे नहीं

देखा, यह दूसरी बात है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रम दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष।

यद्यपि भारतवर्ष में जन संख्या अच्छी खासी होने के कारण, यहां मज़दूर खूब मिल सकते हैं और वे थोड़ी मज़दूरी पर काम भी करते हैं, परन्तु वे प्रायः कार्य-कुशल ( Skilled) नहीं होते, उनका काम घटिया दर्जे का होता है। नागरिकों को चाहिये कि उनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था करके; तथा उनके रहन सहन आदि में समुचित सुधार करके, उन्हें कार्य-कुशल और योग्य बनावें।

पूंजी—हम पहले बता चुके हैं कि धन पैदा करने के लिए जिस प्रकार भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूंजी की भी ज़रूरत होती है। कोई भी काम हो, उसके करने में कुछ औज़ार आदि ज़रूर चाहियें, फिर काम करते समय श्रम जीवी को या मज़दूर को अपने खाने पहनने का सामान भी चाहिये; ये सब चीज़ें उसकी पूंजी हैं। बिना पूंजी के धन पैदा नहीं किया जा सकता।

बहुत से आदमी पूंजी का मतलब रुपया पैसा समझते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि पूंजी रुपये पैसे की ही हो ; और धन भी पूंजी का काम दे सकता है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सब पूंजी तो धन होती है, परन्तु,

सब धन पूंजी नहीं होता। यदि एक मनुष्य बिना श्रम किये अपने अन्न को खाता रहे, तो यह अन्न उसका धन तो है, पर इसे उसकी पूंजी नहीं कह सकते। जब वह इसे ख़र्च करते समय धन पैदा करेगा, तभी वह अन्न पूंजी गिना जायगा।

कुछ पूंजी तो ऐसी होती है कि वह बहुत समय तक काम नहीं देती, एक ही बार के उपयोग से ख़र्च हो चुकती है। जैसे मज़दूरों को दिये जाने वाले वेतन में या खेती के बीज में जो पूंजी ख़र्च होती है, उसका फिर कुछ उपयोग नहीं होता। ऐसी पूंजी को चल या अस्थायी पूंजी कहते हैं। इसके विरुद्ध कुछ पूंजी इस प्रकार की होती है, कि उसका फल या बदला धीरे धीरे बहुत समय तक मिलता रहता है, जैसे औज़ार, हल, बैल आदि। इस तरह की पूंजी को अचल या स्थायी पूंजी कहते हैं। इससे मालूम हुआ कि पूंजी दो प्रकार की होती है, चल और अचल।

**श्रम और पूंजी का विरोध**—यद्यपि धन पैदा करने में श्रम और पूंजी दोनों ही सहायक होते हैं, परन्तु श्रम करने वालों और पूंजी लगाने वालों का प्रायः परस्पर में विरोध रहता है। मज़दूर सोचते हैं कि हमें अपने काम के बदले जितनी अधिक मज़दूरी और सुविधायें मिलें, उतना

ही अच्छा है। दूसरी ओर कारखाने वाले यह विचारते हैं, कि उन्हें मज़दूरों के वेतन आदि में जितना कम खर्च करना पड़े, उतना ही उत्तम है। प्रत्येक अपने स्वार्थ को देखता है, तो परस्पर में विरोध होने वाला ही ठहरा। दोनों पक्ष अपनी अपनी सफलता के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का उद्योग करते हैं और इसी लिए अपना संगठन मज़बूत करने की फ़िकर में रहते हैं।

हड़ताल—साधारण विचार से यह मालूम होता है, कि जब कोई मज़दूर यह समझे कि अधिक घंटे काम करना पड़ता है या उसे कम वेतन मिलता है, या उसकी अन्य शिकायतों पर मालिक ध्यान नहीं देता, तो वह अपना काम छोड़ दे। परन्तु जहां कारखाने में सैकड़ों और हजारों मज़दूर काम करते हैं, वहां दो चार, या दस बीस के काम छोड कर चले जाने से कारखाने की कोई हानि नहीं होगी; मालिक पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात का अनुभव करके अब मज़दूरों ने इकट्ठे मिलकर, मालिक को पहले से सूचना अर्थात् 'नोटिस' देकर एक साथ काम छोड़ने का ढंग इख्तयार किया है। इसे हड़ताल ( Strike ) करना कहते हैं। हड़ताल के समय अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे पहले से थोड़ी थोड़ी रक़म जमा करके, एक कोष कर लेते हैं; हड़ताल करने पर इस कोष से

ही वे अपना काम निकालते हैं। जिनके पास ऐसा कोष नहीं होता, उनकी हड़ताल सफल नहीं हो सकती।

जब मज़दूरों की शिकायतें उचित हों, और मालिक उन पर ध्यान न दे तो उनका हड़ताल करना उचित ही है। परन्तु उचित हड़ताल के भी सफल न होने का कभी कभी यह कारण होता है कि मज़दूरों में फूट हो जाती है; कुछ मज़दूर, मालिकों से शिकायतें दूर कराने से पहले ही, काम पर जाने को तैयार हो जाते हैं; अथवा उस नगर के या बाहर के अन्य मज़दूर वहां आ जाते हैं। इस विचार से जो लोग हड़ताल करते हैं, वे यह भी कोशिश करते हैं कि अन्य मज़दूर उनकी जगह काम करने के लिए न आ सकें। जो आना चाहते हैं, उन्हें वे रोकते हैं, और उन पर वे कई प्रकार का दबाव डालते हैं। इस से कई बार बहुत उपद्रव होने की आशंका होती है। मज़दूरों को चाहिये कि उपद्रव न होने दें, शान्तिमय उपायों से ही सफलता प्राप्त करने का उद्योग करें।

द्वारावरोध—जिस प्रकार मज़दूर संगठित होकर हड़ताल द्वारा कारखाने के मालिकों से अपनी वेतनादि की शर्तें पूरी कराना चाहते हैं, उसी प्रकार पूंजीपति अपना संगठन करके 'द्वारावरोध' द्वारा मज़दूरों पर विजय पाने का उद्योग करते हैं। द्वारावरोध का अर्थ है, दरवाज़ा बन्द करना। जब कारखाने वाले समझते हैं कि हम मज़दूरों से

कम वेतन पर काम करा सकते हैं तो वे आपस में सलाह करके मज़दूरों को नोटिस दे देते हैं कि अमुक दिन से तुम्हारी ग़रज़ हो तो इतनी मज़दूरी पर, इतने घंटे काम करना, अन्यथा यहां मत आना। यदि मज़दूर मालिक की शर्तें नहीं मानते तो वह अपने कारखाने का फाटक बन्द करके उनका आना रोक देता है। मज़दूर प्रायः ग़रीब तो होते ही हैं, इसके अतिरिक्त यदि उनमें संगठन भी न हो तो उनकी हार निश्चित ही समझनी चाहिये।

विरोध कैसे हटे?—हड़ताल और द्वारावरोध दोनों आज कल के कारखानों के युग में साधारण बात हो गयी हैं। मज़दूरों और पूंजी पतियों को बराबर यह चिन्ता लगी रहती है, कि कहीं दूसरा पक्ष हमसे अधिक बलवान न होजाय। प्रत्येक अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि और दूसरे की पराजय चाहता है। कोई दूसरे के भलाई को नहीं देखता। उधर, हड़ताल हो या द्वारावरोध हो, उससे धनोत्पत्ति का काम तो रुक ही जाता है, इससे देश की बड़ी हानि होती है।

यदि कारखाने में जितना लाभ हो, उसका कुछ अंश मज़दूरों में बांट दिया जाय तो मज़दूरों को संतोष होजाय और वे पूंजी वालों से विरोध न किया करें। इस प्रकार यदि कारखाने में मज़दूरों की कुछ पूंजी लग जाय तो भी वे

कारखाने के काम को, तथा उससे होने वाले लाभ को दूसरे का ही न समझ कर, अपना भी समझने लगें; और, विरोध का अवसर न आवे। पूंजी पतियों और मज़दूरों का विरोध दूर करने का एक उपाय यह भी है कि सब मज़दूर अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजो लगा कर, अपने श्रम से कारखाने को चलावें। इस दशा में कारखाना मज़दूरों का ही होगा। दूसरा पक्ष होगा ही नहीं, फिर विरोध होगा किससे ?

इन उपायों से पूंजी और मज़दूरी का विरोध दूर हो सकता है। जहां जो उपाय सुगमता पूर्वक काम में आ सके, उसका उपयोग किया जाना चाहिये।

---

## उन्निसवां पाठ.

## बैंक

पाठको ! पिछले पाठ में तुम पढ़ चुके हो कि कोई भी काम करना हो, उसके लिए पूंजी अवश्य चाहिये। पूंजी के

बिना कृषि, उद्योग धन्धे या व्यापार किसी भी काम को नहीं किया जा सकता। अच्छा; पूंजी कैसे जमा हो ?

मितव्ययिता—जो धन पैदा हो, उसे सब का सब ख़र्च न किया जाय, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखा जाय, तभी किसी के पास पूंजी हो सकती है, पर जब लोगों को चोरी डाके आदि का भय हो तो वे कुछ जमा करके नहीं रखते। चोरी डाके को रोकने के लिए सरकार पुलिस आदि का प्रबन्ध करती है, यह तुम पहले पढ़ चुके हो।

परन्तु चोरी आदि का भय न होने पर भी बहुत से आदमी आगे की चिन्ता नहीं करते, वे भविष्य के लिए कुछ धन बचा कर रखने की आवश्यकता नहीं समझते। वे कहा करते हैं कि जब मिलता है, तो क्यों न खाये पीयें और मौज उड़ावें। वे भूल जाते हैं कि आज हम स्वस्थ हैं, तो धन पैदा कर रहे हैं। कौन जाने, कल हम बीमार पड़ जायें, या कोई और दुर्घटना हो जाय, जिससे आजीविका—प्राप्ति कठिन हो जाय और दूसरों के सामने हाथ पसारना पड़े। निदान, हमें चाहिये कि यथा शक्ति प्रति मास अपनी आय में से कुछ बचा रखने की आदत डालें, जिससे आवश्यकता होने पर हमारा संचित धन हमारे काम आवे। यदि हमारे पास कुछ पैसा जमा होगा तो हम उससे दूसरे दीन अनाथों आदि की सहा-

यता कर सकते हैं तथा अपने आश्रितों को दूसरों का मोह-
ताज होने से बचा सकते हैं।

अस्तु, यथा शक्ति कुछ धन संचित करते रहना सब का कर्तव्य है। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि संचित धन की अच्छी तरह रक्षा करने का प्रबन्ध हो, और वह धन आवश्यकता के समय मिल सके। इसलिए देश में जगह जगह बैंक खोले जाते हैं।

**बैंकों का काम**—पाठको! बैंकों का नाम तुमने सुना ही होगा। सम्भव है, तुम्हारे शहर या गांव में कोई बैंक या उस की कोई शाखा हो। तुम जानते ही हो कि महाजन लोग बहुधा कोई ज़ेवर आदि गिरवी रख कर या काग़ज़ लिखवाकर किसानों या मज़दूरों आदि को ब्याज पर रुपया उधार दिया करते है। बैंक भी ऐसा ही काम करते हैं, परन्तु महाजन केवल उधार देते हैं, वे लेते शायद ही कभी हैं, और, बैंक ब्याज पर रुपया लेते भी रहते हैं। इस प्रकार बैंकों का काम रुपया उधार लेना, उधार देना, हुंडी पुर्ज़े, आदि खरीदना या बेचना है। जो लोग अपनी बचत का कुछ और उपयोग नहीं करते, उनसे बैंक कुछ कम सूद पर रुपया उधार ले लेते हैं, और, ऐसे आदमियों को कुछ अधिक सूद पर रुपया उधार दे देते हैं जिन्हें उस की आवश्यकता हो। इस प्रकार बैंकों से, जमा करने वालों, तथा उधार लेने वालों, दोनों का भला होता है।

प्रत्येक बैंक में रुपया जमा करने तथा उसमें से लेने के कुछ नियम होते हैं। जो रुपया चालू हिसाब में जमा किया जाता है, (अर्थात् जिसे जमा करने वाला जब चाहे ले सके) उस पर सूद बहुत कम मिलता है, और जो रुपया किसी ख़ास मुद्दत (साल छः महीने) के लिए जमा किया जाता है, उसमें सूद अधिक मिलता है, क्योंकि बैंक वाले उसे किसी स्थायी काम में लगाकर उससे अधिक लाभ उठा सकते हैं।

**भारतवर्ष के बैंक**—भारतवर्ष में कई प्रकार के बैंक हैं, यथा इम्पीरियल बैंक, ऐक्सचेञ्ज बैंक, जाइन्ट स्टाक या मिश्रित पूंजी के बैंक, सेविंग्स बैंक तथा को-आपरेटिव या सहकारी बैंक। इस पाठ में तुम्हें सेविंग्स बैंकों और सहकारी बैंकों का हाल बताया जायगा। अन्य प्रकार के बैंकों का ज्ञान तुम्हें पीछे हो जायगा।

भारतवर्ष में बैंकों की संख्या तथा कार्य धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तथापि अभी बहुत कम हैं। यहां ऐसे बैंकों की तो बहुत ही ज़रूरत है जिन का नाम ख़ास तौर से खेती तथा शिल्प की उन्नति करना हो। नागरिकों को इनकी स्थापना तथा प्रचार में सहयोग करना चाहिये।

**सेविंग्स बैंक**—पाठको! डाक और तार के पाठ में तुम यह पढ़ चुके हो कि डाकख़ानों में सेविंग्स बैंक का भी काम

होता है, वहां आदमी अपनी बचत का रुपया जमा कर सकते हैं। सर्व साधारण को अन्य बैंकों की अपेक्षा इन बैंकों में अधिक सुभीता मालूम होता है। सम्भव है, तुम्हें भी कुछ रुपया जमा कराने की इच्छा हो, इस लिए इनके मुख्य मुख्य नियम यहां दिये जाते हैं:—

१—कोई आदमी, अपने नाम से या अपने किसी रिश्तेदार या नौकर आदि के नाम से, अलग अलग खाता खोल सकता है।

२—ना-बालिग़ लड़के भी अपने नाम से रुपया जमा करा सकते हैं; उन्हें रुपया वापिस लेते समय दूसरे आदमी की गवाही या शहादत करानी होती है।

३—एक बार में कम से कम ।) तक जमा किया जा सकता है।

४—कोई मनुष्य एक साल में ७५०) रुपये से अधिक जमा नहीं कर सकता।

५—एक सप्ताह में, सोमवार से लेकर शनिवार तक, रुपया केवल एक बार वापिस मिल सकता है; हां जमा, तुम चाहो तो हर रोज़ भी करा सकते हो।

६—रुपया जमा कराने वालों को एक 'पास-बुक' मिलती है, उसमें रुपया जमा करने, या वापिस लेने आदि की तारीख आदि का ब्यौरा लिखा जाता है। इसे देखकर डाकखाने वाले

रुपया देते हैं। हर एक पास-बुक का अलग अलग एक नम्बर होता है। यदि किसी की पास-बुक खोई जाय तो उसके यह नम्बर बतलाने पर, तथा १) फ़ीस देने पर उसे दूसरी पास-बुक मिल सकती है।

७—जितना रुपया जमा होता है, उस पर प्रतिमास चार आने सैकडा के हिसाब से सूद दिया जाता है। सूद का हिसाब हर साल १५ जून के बाद होता है।

इस विषय की अन्य बातें तुम्हें किसी डाकखाने से मालूम हो सकती हैं। अब हम सहकारी बैंकों के बारे में कुछ बातें बतलाते हैं।

**सहकारी बैंक**—सेविंग्स बैंकों के अलावा दूसरे प्रकार के बैंक, जिनसे सर्व साधारण और विशेषतया किसानों का बहुत सम्बन्ध है, और जिन का प्रचार नगरों और गांवों में बढ़ता जारहा है, सहकारी बैंक हैं। ये बैंक उधार ले तो सब से लेते हैं, परन्तु सहकारी समितियों * के सिवाय और किसीको देते नहीं। इन के दो भेद हैं, प्रान्तीय और सैंट्रल (Central)। प्रांतीय बैंक, सैंट्रल बैंकों की सहायता तथा उनकी देख रेख करते हैं। सैंट्रल बैंक एक ज़िले या उसके किसी हिस्से की सहकारी समितियों की सहायता करते हैं। सहकारी बैंकों का

* सहकारी समितियों का वर्णन अगले पाठ में किया जायगा।

प्रबन्ध स्थानीय आदमी ही करते हैं । वे अपनी सेवाओं के लिए कुछ नहीं लेते । इनसे किसानों को बहुत लाभ होता है।

इन बैंकों में काम करने वाले वे ही आदमी होते हैं जो इनके हिस्सेदार होते हैं। इससे लोगों को इनमें धोखा कम होता है और काम किफ़ायत से चलता है। ये रुपया कम व्याज पर उधार देते हैं, और खेती के बीज, या बैल आदि ख़रीदने के ऐसे कामों के लिए ही उधार देते हैं जिनसे कुछ आमदनी हो। विवाह शादी आदि की फ़िजूल ख़र्ची के लिए इनसे रुपया नहीं मिलता। इन बैंकों से परस्पर में विश्वास और सहायता का भाव बढ़ता है। लोगों में अपने भविष्य का ध्यान रखकर काम करने का विचार पैदा होता है । इन बैंकों से कृषि, शिल्प आदि की बहुत उन्नति हो सकती है।

---

## बीसवां पाठ.

## सहकारी साख समितियां

रुपये पैसे के पाठ में हमने मुद्रा सम्बन्धी बातों का वर्णन किया है, वहां हमने यह भी बतलाया है कि नोट आदि केवल

साख की ही बदौलत सिक्कों का काम देते हैं। इस पाठ में साख का कुछ विशेष वर्णन किया जायगा।

साख का महत्व—पाठको ! तुमने कभी कभी सुना होगा कि उस आदमी की बड़ी साख है, या उसकी साख अच्छी है। इसका क्या मतलब होता है ? साख उस मनुष्य की अच्छी कही जाती है, जिसका दूसरे आदमी विश्वास करते हैं, जिसे बिना लिखा पढ़ी के, रुपया या माल उधार मिल जाता है, जो वादे पर अपना ऋण चुका देता है। साख वाले आदमी से सूद कम लिया जाता है, क्योंकि उधार देने वाले को यह विश्वास होता है, कि उसका रुपया ( या माल ) मारा नहीं जायगा, समय पर मिल जायगा। किसी की साख तभी हो सकती है, जब वह अपनी बात निबाहे, अपना वचन पूरा करे, ईमानदारी से काम करे; जो रुपया उधार ले, उसे वादे के समय अथवा उससे भी पहले चुकादे।

नागरिकों को अपनी बात व्यवहार से अपनी साख स्थापित करनी चाहिये। इससे, वे ग़रीब होते हुए भी अमीर बन सकते हैं; वे उसी प्रकार माल ख़रीद सकते हैं, जिस प्रकार नक़द रुपया देकर ख़रीदा जाता है। पहले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष में अधिकतर जनता किसानों की है और ये बहुत ग़रीब हैं; इनकी आर्थिक दशा बहुत ख़राब है। इन्हें खेती आदि के लिए रुपये की बहुत ज़रूरत होती है,

परन्तु इनकी साख कम होने के कारण इन्हें महाजन बहुत अधिक सूद पर रुपया उधार देते हैं। इनकी साख बढ़ने का एक उपाय यह है कि ये सहकारी समितियां बनायें।

**साख की सहकारी समितियों की आवश्यकता—** तुम जानते हो कि जो पूंजी एक मनुष्य को, अपनी साख पर, कभी कभी बहुत कष्ट तथा प्रयत्न करने पर भी, नहीं मिल सकती, वही, कई मनुष्यों के सहयोग से, उन सबकी साख पर कम ब्याज में, आसानी से और यथेष्ठ मात्रा में मिल सकती है। इसलिए नागरिकों को ऐसी सहकारी समितियां स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता है, जिनकी साख बहुत अच्छी हो।

सहकारी साख समितियों का उद्देश्य यह होता है कि किसानों की कर्ज़दारी दूर हो, वे फ़िज़ूलखर्ची न करें, तथा उपयोगी कार्यों के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार रुपया उधार मिल सके। भारतवर्ष में इन समितियों की संख्या तथा क्षेत्र क्रमशः बढ़ रहा है, तथापि भारतवर्ष भर की ज़रूरत को देखते हुए ये बहुत कम हैं। देश हितैषी नागरिकों को नयी नयी सहकारी समितियां खोलने तथा उन्हें अच्छी तरह चलाने का भरसक यत्न करना चाहिये। इसलिए इस विषय का सरकारी क़ानून जानना आवश्यक है।

सरकारी क़ानून–भारतवर्ष में सहकारी साख समितियों का पहला क़ानून सन् १६०४ ई० में बना था। इसका संशोधन १६१२ में हुआ। इसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

१—किसी गांव या शहर के एक ही जाति या पेशे के कम से कम दस आदमी मिलकर सहकारी साख समिति बना सकते हैं।

२—समिति के सदस्य वे ही आदमी होने चाहियें जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं।

३—समिति का कार्य अपने मेम्बरों की अमानत जमा करना, दूसरे आदमियों से, एवं अन्य समितियों से रुपया उधार लेना तथा अपने मेम्बरों को आवश्यकतानुसार उधार देना है।

४—समिति का प्रत्येक मेम्बर अपनी समिति का कुल कर्ज़ चुकाने का ज़िम्मेदार होता है।

५—समिति इन सिद्धान्तों को बर्तते हुए, अपनी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार यथोचित उप-नियम बना सकती है।

६—इन समितियों की देख भाल करने तथा इन के काम को बढ़ाने के लिए हर एक प्रान्त में इन का एक प्रधान

अधिकारी रहता है, उसे सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार कहते हैं।

**सहकारी समिति किस प्रकार खुलती है ?**—जब किसी जगह के आदमी ऐसी समिति स्थापित करना चाहें, तो उनमें से कम से कम दस अच्छे चालचलन वाले आदमियों को मिल कर एक दर्ख़ास्त अपने ज़िले के सैंट्रल बैंक के सेक्रेटरी के पास भेजनी चाहिये। इस पर उस गांव या शहर में सेक्रटरी या कोई अन्य कर्मचारी इस बात की जांच करेगा कि वहां समिति खुल सकती है, या नहीं। यदि यह मालूम पड़े कि समिति खुल सकती है तो वह खोली जाती है, और उसकी रजिस्ट्री की जाती है।

समिति का कार्य चलाने के लिए ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं :—

( क ) प्रत्येक मेम्बर की उम्र अठारह साल से अधिक हो।

( ख ) प्रत्येक मेम्बर को ॥) या अधिक, जैसा जहां का नियम हो, प्रवेश फ़ीस देनी होती है।

( ग ) मेम्बरों की संख्या साधारणतया पचास से अधिक नहीं रखी जाती।

( घ ) मेम्बरों को अपनी हैसियत तथा क़र्ज़ का ठीक ठीक हाल समिति को बताना होता है।

( च ) मेम्बर अपनी हैसियत के अनुसार चन्दा निश्चय करके समिति के कोष में जमा करते हैं।

( छ ) समिति अपनी स्थापना के समय, तथा उसके बाद हर साल वार्षिक अधिवेशन पर प्रायः पांच आदमियों को पंच चुनती है। इन पंचों में से एक आदमी सरपंच, एक सेक्रेटरी, और एक ख़ज़ानची चुना जाता है।

( ज ) समिति ज़िले के सेंट्रल बैंक से प्रायः नौ फ़ीसदी तक के सूद पर रुपया उधार लेती है, और इससे कुछ ज्यादह सूद पर अपने मेम्बरों को उधार देती है, समिति को जो लाभ होता है, वह बचत कोष या रिज़र्व फंड में जमा होता है।

( झ ) बचत कोष में काफ़ी रकम जमा होजाने पर समितियां अपने मुनाफ़े का कुछ हिस्सा अपने मेम्बरों में बांट सकती हैं और दसवें हिस्से तक दान पुण्य के काम में खर्च कर सकती हैं।

सहकारी समितियों से लाभ—इन समितियों से सर्व साधारण को बहुत लाभ होता है।

१—इनके मेम्बरों को समितियों से रुपया कम सूद पर मिलता है।

२—लोगों को आपस में मिलकर काम करने की आदत

पड़ती है, इससे उनमें एक दूसरे की जानकारी, प्रेम, और एकता बढ़ती है।

३—लोगों की फ़िजूलखर्ची कम होती है, इससे उनकी आर्थिक दशा सुधरती है।

४—समितियों से रुपया उधार लेने वालों को रजिस्ट्री या स्टाम्प आदि का खर्च नहीं करना पड़ता; सरकार ने इनके लिए क़ानून से यह खर्च माफ़ कर दिया है। समितियों के मुनाफ़े पर इन्कम-टेक्स भी माफ़ है।

५—क़र्ज़े की जवाबदेही सब पर होने से, सब यही चाहते हैं कि किसी मेम्बर का व्यवहार या चालचलन खराब न हो, और सब एक दूसरे को अच्छी सलाह देते हैं, और सुधार करने की कोशिश करते हैं।

सन् १९२३-२४ ई० में, भारतवर्ष में कुल सहकारी साख सतितियां ६१,१०६ थीं, इनके मेम्बरों की संख्या २३ लाख, तथा इनकी कुल पूंजी ४० करोड़ रुपये की थी। भारतवर्ष जैसी बड़े देश की जन संख्या को देखते हुए, इन समितियों के बढ़ने की अभी बहुत आवश्यकता है।

---

# इक्कीसवां पाठ.

## प्रोवीडैंट फ़ंड और बीमा

पाठको ! यह तो तुम जान ही चुके हो कि बैंकों की स्थापना करने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आदमी भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं या संकटों के लिए कुछ रुपया जमा कर सकें। इसी विचार से कुछ संस्थाओं ने अपने यहां के नौकरों को पेन्शन देने का नियम कर रखा है। नौकरों को काम करते हुए जितना वेतन मिलता है, नौकरी का समय, बीस या पच्चीस साल, पूरा होजाने पर, उन्हें उस वेतन का आधे के लगभग हिस्सा उम्र भर के लिए मिलता रहता है, इससे उन्हें बुढ़ापे में आजीविका का अधिक कष्ट नहीं होता।

प्रोवीडैंट फ़ंड—कुछ संस्थाओं का ऐसा नियम है कि वे अपने यहां काम करने वालों को पेन्शन तो नहीं देती, हां, उन के लिए प्रोविडैंट फ़ंड की व्यवस्था कर देती है। यह इस तरह होता है कि नौकरी करने वाले अपने वेतन में से प्रति मास प्रायः एक आना फ़ी रुपया जमा करा देते हैं। यदि

वह निश्चित समय तक काम करने के बाद नौकरी छोड़े तो जितना रुपया उसका जमा होगा, प्रायः उतना ही, या उस से आधा उसमें और मिलाकर उसे दे दिया जाता है, इसके अलावा उसे इस रक़म पर कुछ सूद भी मिलेगा। यदि काम करते करते ही उसका देहान्त होजाय तो उसके प्रोवीडैंट फ़ंड की रक़म का रुपया उसके कुटुम्ब वालों को मिल जाता है।

पेन्शन या प्रोविडैंट फ़ंड देने वाली संस्थाओं को इसके देने से यह लाभ होता है कि उनके यहां आदमी जम कर काम करते हैं, वे जल्दी नौकरी छोड़ने का विचार नहीं करते। इन संस्थाओं में काम करने वालों का इससे जो लाभ होता है, वह तो प्रत्यक्ष ही है। वृद्धावस्था में या ऐसी अवस्था में जब कि वे काम करने के अयोग्य होजाते हैं, उन्हें अपने निर्वाह के लिए बड़ा सहारा मिल जाता है।

बीमा—पेन्शन या प्रौवीडैंट फ़ंड देना न देना तो नौकर रखने वाली सस्थाओं के हाथ में हैं, वे चाहें तो दें, और चाहे न दें; और वे देंगी भी तो अपने नौकरों को ही तो देंगी। जो लोग नौकरी ही नहीं करते, वे अपनी भविष्य की चिन्ताओं को हटाने के लिए क्या करें? वे अपनी ज़िन्दगी का बीमा करा सकते है। वे किसी बीमा करने वाली कम्पनी को समय समय पर अपनी क़िस्त का रुपया भेजते रहें; एक क़िस्त साल,

छः महीने, तीन महिने या हर महिने की होती हैं, जैसा कि आपस में ठहराव होजाय। सब के लिए किश्तें बराबर नहीं होतीं; जमा करने वालों के सुभीते के अनुसार छोटी बड़ी होती हैं। जिन लोगों की थोड़ी आमदनी है, वे भी कोशिश करके क़िस्त के लिए कुछ बचत कर सकते हैं। बीमे की मियाद पूरी होने पर बीमा कराने वाले को या उस के कुटुम्ब वालों को कुल क़िश्तों की इकट्ठी रक़म मिल जाती है। इस के सिवाय, उसे जैसा ठहराव हुआ हो, कुछ मुनाफ़े या सूद की रक़म भी मिलती है।

**बीमे से लाभ**—शायद तुम पूछो कि बैंक में भी तो बचत का रुपया जमा हो सकता है, और उस पर सूद भी मिल सकता है, फिर बीमा कराने में विशेष लाभ क्या है। देखो, बैंक में जमा कराना न कराना तो सदा तुम्हारी इच्छा पर रहता है। मान लो तुमने एक बार कुछ रुपया जमा करा दिया, फिर तुम्हें कोई कहने वाला नहीं, कि इतने समय में इतना रुपया ज़रूर जमा कराना ही चाहिये। परन्तु बीमे में यह बात नहीं है। उसमें तो क़िस्त का समय होने पर तुम्हें जमा कराना ही होगा, नहीं तो पहला जमा किया हुआ रुपया डूबने की शंका रहेगी इस भय से तुम जैसे बनेगा, उस के लिए बचत करोगे ही।

बीमे में दूसरी विशेषता यह है कि बैंक का रुपया तो तुम

चाहे जब वापिस ले सकते हो। इस लिए यह भी सम्भव है कि तुम्हारे पास बड़ी रक़म होने ही न पाये। परन्तु बीमे में यह नहीं होता उसमें तो मियाद पूरी होने पर तुम्हें पूरी रक़म ही मिलेगी।

बीमे से एक लाभ और भी है। बैंक में तो जितना रुपया तुम्हारा जमा होगा, उतना ही तुम लेने के हक़दार होगे। परन्तु बीमे में यह बात है कि अगर बीमा कराने वाले की अचानक मौत होजाय तो जितने का उसने बीमा कराया हो वह पूरी रक़म उसके बाल बच्चों को मिलेगी, यह नहीं कि जितना जमा हुआ हो, सिर्फ़ उतना ही मिले। मान लो किसी ने बीस साल के लिए दो हज़ार का बीमा काराया तो हर साल उसे सौ रुपये से कम जमा कराना होगा, अब अगर दो साल में ही उसकी मृत्यु हो गयी तो उसका जमा तो दो सौ से भी कम रुपया हुआ, पर उसके बाल बच्चे पूरी दो हज़ार की रक़म कम्पनी से ले सकेंगे।

**बीमा कम्पनियां**—बीमे के सम्बन्ध में और बातें तुम किसी बीमा कम्पनी के एजन्ट से मालूम कर सकते हो। ये एजन्ट प्रायः हर एक शहर में रहते हैं और घूमते फिरते हैं। बीमा करना भी एक रोज़गार है, और बीमा कम्पनियां इस काम को अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। बीमा कई प्रकार का होता है। ज़िन्दगी के बीमे की बात हम ऊपर बता ही चुके।

इसके अलावा जहाज़ों का बीमा, आग का बीमा आदि भी होता है। अगर बीमा किया हुआ कोई जहाज़ डूब जाय या किसी मकान या कारख़ाने आदि में आग लग जाय तो उनका बीमा करने वाली कम्पनियां उसके मालिकों को उतनी रक़म दे देती हैं, जितनी का बीमा कराया गया था।

**डाकख़ाने में बीमे का काम**—डाकख़ाने का हाल तुम पहले पढ़ ही चुके हो। डाक से जो चिट्ठी या पार्सल आदि जाते हैं उनके महसूल के अलावा अगर तुम उन पर दो आने का टिकट और लगादो तो उनकी रजिस्टरी हो जाती है। डाकख़ाने वाले उसका अधिक अहतयात करते हैं। अब अगर तुम उसकी और अधिक सुरक्षा चाहते हो तो तुम उसका बीमा करा सकते हो। प्रत्येक सौ रुपये तक के बीमे के लिए दो दो आने का टिकट और ज़्यादह लगाना होगा। बीमा की हुई चीज़ के वास्ते डाकख़ाना ज़िम्मेवार होगा। यदि संयोग से वह चीज़ खोई जाय, और उसका पता न लगे तो डाकख़ाना तुम्हें उतनी रक़म देनदार होगा, जितनी का तुमने बीमा कराया है।

अब तुम समझ गये होगे कि बीमा से चीज़ की भविष्य में सुरक्षा हो जाती है। बीमा का अर्थ ही सुरक्षा का प्रबन्ध है।

# ग्यारहवां पाठ.

## स्वास्थ रक्षा

इस पुस्तक में तुम सेना, पुलिस, शिक्षा संस्थाओं आदि का हाल पढ़ चुके हो; परन्तु किसी राज्य में चाहे ये सब चीज़ें हों, परन्तु यदि सर्व साधारण का स्वास्थ ठीक नहीं तो वह राज्य कदापि उन्नति नहीं कर सकता। पाठको ! तुम्हें अपने अनुभव से यह बात ज्ञात होगी कि जब कोई मनुष्य बीमार पड़ जाता है तो उसका सब सुख नष्ट हो जाता है, उससे कोई काम ठीक तरह नहीं हो सकता। इसके अलावा वह जिस से अपनी बीमारी में सेवा सुश्रुषा कराता है, उसके भी काम में हर्ज होता है। इस लिए हर एक आदमी को स्वस्थ रहने का प्रयत्न करनो चाहिये।

**स्वास्थ रक्षा के उपाय**—स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक आदमी को शुद्ध और सादा भोजन करना चाहिए, साफ़ हवा के मकानों में रहना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिये आवश्यक व्यायाम और विश्राम करना चाहिये, मनमें पवित्र विचार रखने चाहियें, और अच्छे चालचलन के आदमियों में बैठना उठना चाहिये।

इन बातों को समझने में कुछ कठिनाई नहीं होती, परन्तु बहुत से आदमी अपनी निर्धनता और अज्ञान आदि के कारण इन पर अमल नहीं कर सकते। उनके मकान तंग या गंदी गलियों में होते हैं, वे सड़ी गली चीज़ें खा लेते हैं, और जिस कुए पर आदमी नहाते हैं, उसका या तालाब का ही पानी पीते रहते हैं। इससे उनके शरीर पीले और कमज़ोर पड़ जाते हैं, और मलेरिया, प्लेग, हैज़ा आदि रोगों के घर बन जाते हैं। लोगों की निर्धनता दूर करने के लिए देश में उद्योग धन्धे, कला कौशल आदि आजीविका के साधनों का प्रबन्ध होना चाहिये। इसी प्रकार अज्ञान हटाने के वास्ते शिक्षा के बहुत प्रचार की आवश्यकता है। इन का वर्णन पहले किया जा चुका है।

कुछ आदमी ग़रीब तो नहीं होते पर अपनी शौकीनी के कारण ही बड़ा कष्ट पाते हैं। वे अपने खान पान, रहन सहन आदि में अमीरी दिखाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर वे अपने हाथ पांव हिला कर काम करना नहीं चाहते, सब काम नौकरों से कराते हैं; कुछ व्यायाम या कसरत भी नहीं करते। मैदे या बेसन की तली हुई चीज़ें या मिठाई अधिक खाते हैं। पान बीड़ी, इतर फुलेल, चाय, या नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। फिर ये तन्दुरुस्त कैसे रहें? इन्हें संयम और सादगी से रहना चाहिये।

हमारे देश में बाल विवाह तथा परदे आदि की बहुत सी कुरीतियां भी हमारे स्वास्थ में बाधक होती हैं। इन बातों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा हैं, और इन में थोड़ा सुधार भी होता जा रहा है। परन्तु, अभी बहुत काम होना शेष हैं। भारतवासियों की औसत आयु लगभग २३ वर्ष है, जब कि अन्य देशों में ४० वर्ष, तथा इससे अधिक भी है। इसी प्रकार यहां फ़ी हज़ार आदमियों में से कोई ३० आदमी हर साल मर जाते हैं, जब कि संसार में कितने ही देश ऐसे है जहां हज़ार पीछे केवल १० । ११ आदमी ही मरते हैं। स्वास्थ रक्षा के कार्यों की ओर ध्यान देने से इन बातों में बहुत सुधार हो सकता है।

स्वास्थ रक्षा का प्रबन्ध—शहरों में म्युनिसिपैलिटियों के उद्योग से स्वास्थ सम्बन्धी कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं। बड़े क़स्बों में, या शहरों में सफ़ाई का डाक्टर रहता है। गन्दे पानी के बहने के लिए नालियां या मोरियां बन रही हैं कुछ शहरों में खुले बाज़ार और चौडी सडकें भी बन रही हैं। परन्तु आवश्यकता बहुत अधिक काम की है। शहरों में मामूली हैसियत के आदमियों को साधारण किराये पर अच्छा साफ़ हवादार मकान मिलना असम्भव हो गया है। कुछ म्युनिसिपैलिटियों ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया है।

देहातों में खुली हवा का सुभीता होने पर भी वहां स्वास्थ का प्रश्न बहुत कठिन है। प्रायः वहां गंदे पानी के बहने के लिए पक्की नालियों या मोरियों का अभाव ही है, जिधर ढलाव मिल जाता है, उधर ही वह बहने लगता है अनेक स्थानों में रास्ते बडे ऊंचे नीचे या तंग हैं। वर्तमान ढंग के रोशनी वाले खुले चौड़े बाज़ार और सडकें वहां ढूंढे से ही मिलेंगी। रोगों का प्रचार बहुत अधिक है। ज़िला-बोर्ड कुछ ध्यान देते हैं, परन्तु धनाभाव के कारण वे बहुधा बहुत ही कम काम कर पाते हैं।

म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों द्वारा स्वास्थ रक्षा के लिए लोगों को कहीं कहीं मैजिक (जादू की) लालटैन के व्याख्यानों से यह बतलाया जाता है कि भिन्न भिन्न रोग किन किन कारणों से पैदा होते हैं, और उन्हें रोकने का क्या उपाय है। प्लेग और चेचक आदि का टीका लगवाया जाता है। अब कई जगहों में प्रति वर्ष नियमित रूप से 'शिशु सप्ताह' मनाये जाते हैं, इनमें एक सप्ताह तक तन्दुरुस्त बच्चों की नुमायश की जाती है और स्त्रियों को यह समझाया जाता है कि बच्चों के स्वास्थ के लिए किन किन बातों को अमल में लाया जाना आवश्यक है।

**सरकारी स्वास्थ विभाग**—पहले कहा जा चुका है कि स्वास्थ रक्षा का काम शहरों में म्युनिसिपैलिटियां और

देहातों में ज़िला-बोर्ड करते हैं। इन संस्थाओं को इन कामों के लिए अपनी आमदनी के अतिरिक्त कुछ सरकारी सहायता भी मिलती है। इसके अलावा सरकार का हर एक प्रान्त में इस काम के लिए एक अलग विभाग है, उसे 'सार्वजनिक स्वास्थ विभाग' कहते हैं। यह विभाग अपने अपने प्रान्त में स्वास्थ सम्बन्धी कामों का निरीक्षण करता है। प्रान्त भर में इस विभाग का जो सब से बड़ा अधिकारी होता है, उसे सार्वजनिक स्वास्थ का डायरैक्टर कहते हैं। डायरैक्टर के नीचे हर एक ज़िले में एक एक सिविल सर्जन होता है। इसे तुम जानते ही होगे। यह ज़िले के अस्पतालों और शफ़ाखानों को देखने के अलावा ज़िले के स्वास्थ सम्बन्धी कामों का भी निरीक्षण करता है और उनके सम्बन्ध में ज़िला-मेजिस्ट्रेट को आवश्यक बातों की रिपोर्ट करता रहता है।

---

# तेईसवां पाठ

## दुर्व्यसनों का नियंत्रण

पाठको ! तुम अवश्य ही अच्छे नागरिक बनना चाहते होगे। इसके लिए तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये, तथा स्वस्थ रहना चाहिये; शिक्षा और स्वास्थ के विषय में तुम इस पुस्तक में पहले पढ़ चुके हो । परन्तु इसके अतिरिक्त इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि तुम्हारा चालचलन अच्छा हो, तुम्हें कोई बुरी आदत न पड़े। इसके वास्ते, तुम्हें बुरी संगति से बचना चाहिये । बुरी संगति से लोगों को जुआ खेलने, शराब या भंग आदि पीने और अफ़ीम आदि नशीली चीज़ें खाने की आदत पड़ जाती है, और फिर छूटनी मुश्किल होजाती है ।

इस पाठ में तुम्हें यह बताया जायगा कि जुआ खेलने या नशीली चीज़ों का सेवन करना, कैसे हानिकारक दुर्व्यसन हैं और, सरकार इन्हें रोकने के लिए क्या क्या उपाय काम में लाती है ।

जुए का खेल—तुमने सुना होगा कि लालच बुरी

बला है। आदमी झट इसके फन्दे में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि किसी प्रकार बिना मेहनत किये आसानी से ही कुछ धन मिल जाय। इसीलिए वे जुआ खेलने लगते हैं। दिवाली आदि के अवसर पर तो कुछ लोग जुआ खेलना मानों धर्म समझने लग गये हैं। जुए में आदमी बहुत धन दौलत हार जाते हैं, या ज़ेवर तक बिकने की नौबत आजाती है। तुम कभी ऐसा मत सोचना कि अजी, दो चार पैसे से खेला जाय तो क्या हानि है। जुए खेलने का विचार ही बुरा है। एक बार यह लत लगी, फिर बढ़ती ही जाती है। जीतने वाले को अधिक धन पाने की तृष्णा होजाती है। हारने वाले को अपने खोये हुए धन को प्राप्त करने की इच्छा सताती है। इस लिए उचित है कि इसमें हाथ ही न डाला जाय।

सरकार ने इसे रोकने के लिए क़ानून बना रखा है; जो कोई जुआ खेलता पाया जाता है, उसे सज़ा दी जाती है।

**नशीली चीज़ों का सेवन**—अब नशीली चीज़ों के सेवन की बात सुनो। शराब, अफ़ीम आदि चीज़ें किसी किसी बीमारी में दवाई के तौर पर भी काम आती हैं, परन्तु इनका ज़्यादह ख़र्च लोग शौक़िया करते हैं। उन्हें आदत पड़ जाती है। फिर उन्हें दिनों दिन अधिक अधिक ही नशे की ज़रूरत मालूम होती है। अधिक नशा करने पर उनकी बड़ी दुर्दशा

होने लगती है। यह तो तुमने देखा ही होगा कि शराबियों का कैसा बुरा हाल होता है। कोई नालियों में पड़ता है, कोई गाली गलौच बकता है, कोई किसी को मारता पीटता है। अफ़ीम, गांजा, भंग, चरस आदि मादक पदार्थों को सेवन करने वालों की भी ऐसी ही दशा होती है। उन्हें यह होश नहीं रहता कि वे क्या करते हैं, क्या कहते हैं और, कहां जाते हैं। वे अपना धन तो इन चीज़ों में नष्ट करते ही हैं, इनसे उनका शरीर भी पीला, कमज़ोर और अनेक बीमारियों का घर बन जाता है। इस लिए याद रखो कि चाहे तुम्हारे मित्र कहें या रिश्तेदार, भूल कर भी इन चीज़ों का नाम न लेना। यह भी याद रखो कि तमाखू भी बड़ा विषैला पदार्थ है। इससे भी शरीर को बहुत हानि पहुंचती है। दुःख की बात है कि नवयुवकों में सिगरेट और बीड़ी पीने का शौक़ बढ़ता जा रहा है। तुम्हें इससे हर प्रकार बचना चाहियें।

**आबकारी विभाग**—शराब, अफ़ीम, गांजा, भंग, चर्स, आदि मादक पदार्थों के सेवन की रोक थाम करने के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक सरकारी विभाग रहता है। उसे आबकारी या 'एक्साइज़' विभाग कहते हैं। प्रान्त भर में इस विभाग का सबसे ऊंचा अधिकारी 'एक्साइज़ कमिश्नर' कहलाता है। इसके नीचे हरएक ज़िले में एक एक एक्साइज़ अफ़सर रहता है। इसके नीचे इस विभाग के सब-इन्सपेक्टर आदि कर्मचारी होते हैं।

इस विभाग के कर्मचारी जहां तहां घूमते रहते हैं और, इस बात की जांच करते हैं कि कोई आदमी इन पदार्थों को बिना सरकारी इजाज़त तो नहीं बनाता या बेचता; तथा एक आदमी क़ानून से जितना पदार्थ मोल ले सकता है, उससे अधिक तो मोल नहीं लेता। छोटे लड़कों के हाथ ये चीज़ें नहीं बेची जातीं। जो कोई इन नियमों को भंग करता है, उसे आबकारी विभाग के आदमी सज़ा दिलाते हैं।

सब मादक पदार्थ सरकारी देख रेख में, तैयार किये जाते हैं। फिर ये कारख़ानों से मालगोदाम में भेज दिये जाते हैं। प्रत्येक पदार्थ का ठेका प्रति वर्ष नीलाम होता है। नीलाम में जो आदमी ऊंची बोली बोलता है, उसी के नाम साल भर का ठेका होजाता है। ठेकेदारों को ये पदार्थ, मालगोदाम से फुटकर बिक्री के लिए, एक निश्चित भाव से, दिये जाते हैं। इस प्रकार इन पदार्थों के बनने तथा बिकने से सरकार को हर साल करोड़ों रुपये की आमदनी होती है। आबकारी विभाग द्वारा लोगों के इन पदार्थों के सेवन पर जैसा नियंत्रण होना चाहिये, नहीं हो पाता। जिन लोगों को आदत पड़ जाती है, वे इन चीज़ों को मंहगी होने पर भी, ख़रीदते और सेवन करते हैं। यह बहुत अफ़सोस की बात हैं कि हमारे अनेक बहुत ग़रीब आदमी भी, जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता—अपने तथा अपने बाल बच्चों के

खाने पहनने में बहुत कंजूसी करके, इस मद् में बहुत खर्च कर डालते हैं।

इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि जहां तहां ऐसे उपदेशों तथा मेजिक लालटेन के व्याख्यानों आदि का प्रबन्ध किया जाय, जिन से लोग नशे की हानियों को समझें और, इसे छोड़ने लगें। देश में कहीं कहीं ऐसी सभायें काम कर रही हैं जिनका उद्देश्य मादक वस्तुओं के लिए सर्व साधारण के मन में घृणा पैदा करना है। इन्हें 'टैम्परेंस' सभायें कहते हैं। इन से, आबकारी विभाग को सहानुभूति रखनी चाहिये तथा, इन्हें सरकार की ओर से समुचित सहायता मिलनी चाहिये। कुछ देशों में इस विषय का क़ानून बन गया है कि वहां केवल औषधियों के लिए ही मादक वस्तुएं बनें, अधिक नहीं। अच्छा हो, भारतवर्ष में भी नशीली चीज़ों का इतना अधिक प्रचार, सरकारी क़ानून द्वारा बन्द कर दिया जाय।

# चौबीसवां पाठ.

## नागरिकों के कर्तव्य

इस पुस्तक के दूसरे पाठ में हम यह बता चुके हैं कि जब किसी परिवार के सब आदमी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी वह परिवार सुखी रहता है, और उन्नति कर सकता है। नागरिकों को समझ लेना चाहिये कि राज्य भी एक बड़े परिवार की तरह है, उसकी सुख समृद्धि तथा उन्नति के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिये।

अच्छा, नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं? इस पुस्तक में जिन जिन विषयों का वर्णन किया गया है, उनके सम्बन्ध में नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी उनके साथ ही बता दिये गये हैं। यहां उनके साधारण कर्तव्य बतलाये जाते हैं।

पाठको! तुम इस पुस्तक में यह पढ़ चुके हो कि राज्य की ओर से नागरिकों की शिक्षा तथा स्वास्थ रक्षा आदि के लिए तरह तरह के काम किये जाते हैं, परन्तु उनसे लाभ उठाना या न उठाना तो नागरिकों के ही हाथ में है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रत्येक नागरिक की अलग अलग उन्नति

करने की ओर ध्यान नहीं देसकता। बहुत से कार्य नागरिकों को स्वयं ही करने होंगे। उन्हें अपनी शारिरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये, और स्वावलम्बन, सादगी तथा मितव्ययिता आदि सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिये।

नागरिकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनके किसी काम से उनके गांव या नगर आदि का कभी अहित न हो। चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय का क्यों न हो, सबसे प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिये, सबकी यथा शक्ति सेवा और सहायता, तथा जान माल की रक्षा करनी चाहिये। नागरिकों के इस तरह के कर्तव्य पालन से ही देश का कल्याण होता है।

नागरिकों को कानूनों का पालन करना चाहिये, राज्य-प्रबन्ध में, जहां तक सम्भव हो, हर प्रकार से सहायक होना चाहिये और, अपने देश की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिये। इन विषयों के सम्बन्ध में तुम विशेष बातें हमारी 'सरल भारतीय शासन' पुस्तक में पढोगे। अस्तु, इन कर्तव्यों को पालन करने से ही तुम अपने राज्य के सुयोग्य नागरिक बन सकते हो, और, तुम्हें इस का भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

# पारिभाषिक शब्द

### अ

अदालत — Court
अबाध व्यापार — Free Trade
अधिकार — Right. Authority
,, जन्म सिद्ध— Birth-right
,,—विभाजन — Decentra-lisation
,,—सीमा — Jurisdiction
अधिकारी — Official
अनियन्त्रित — Absolute
अनिवार्य — Compulsory
,,—सैनिक सेवा — Cons-cription
अनुदार — Conservatvie
अनुशासन — Discipline
अन्ताराष्ट्रीय — International
अभियुक्त — Accused
अमानतदार — Trustee
अराजक — Anarchist
अल्प मत — Minority
अल्प वयस्क — Minor
अवधि — Time limit
असहयोग — Non-co-opera-tion.
सविनय अवज्ञा — Civil Dis-obedience
अवैध — Unconstitutional
अस्त्र विधान — Arms act
अहिंसात्मक — Non-violent

### आ

आदेश-युक्त — Mandatory
आन्दोलन — Movement
,, वैध— Constitutional-
आबकारी — Excise
आबपाशी — Irrigration
आय — Income.
,,—की मदें — Heads of Revenue
आय व्यय अनुमान पत्र — Budget, Budget-estimate

आयात Imports.
आयात निर्यात कर Customs
आसामी Tenant.

इ

इत्तिलानामा Summon.
इंगलैंड की सरकार Home Govt.
इंगलैंड में होने वाला खर्चा (भारत का) Home Charges.

उ

उत्तरदायी Responsible.
उदार Liberal
उपनियम Bye-law. Regulation.
उपनिवेश Colony.
,, राजकीय—Crown-
उपसभापति Vice-chairman Vice-president.
उम्मेदवार Candidate
उम्मेदवारी का प्रस्तावपत्र Nomination paper

क

कर Tax. Duty. Rate.
,,–उठा देना Abolish a—
,, दरिद्र रक्षा—Poor rate
,,–दाता Rate payer.
,, मनुष्य पर– Poll tax.
,,–वसूल करने का खर्च Direct demands on revenue
,, हैसियत–Tax on circum stances and property.
क़ानून Law. Act.
,, अस्थायी—Ordinance
,,–विज्ञान Jurisprudence
कांजी हौज़ Kine house.
काश्तकार Land holder. Tenant.
,, शिक्मी— Sub-tenant
काश्तकारी Tenancy
कुलीन राज्य Aristocracy
कूटनीतिक Diplomatic
केन्द्रीकरण Centralisation
केन्द्रीय Central
क़ैद Imprisonment
क़ैदियों का अफ़सर Convict-officer
कोषाध्यक्ष Treasurer

कौंसिल युक्त गवर्नर Governor-in-Council
क्रान्ति Revolution

ख

ख़र्च Expenditure Expense
ख़िराज Tribute
ख़ुफ़िया विभाग C. I. D. ( Criminal Investigation Dept. )

ग

ग़दर Mutiny
गृह—कर House-Tax
गृह—युद्ध Civil war
गृह-सचिव Home Member
गुप्त सभा Privy Council
ग़ुलामी Slavery
ग़ैर—सरकारी Non-offical community
ग्राम्य क्षेत्र Rural area

च

चिकित्सा सम्बन्धी Medical
चुंगी Octroy
चुनाव Election
चुनौती देना Challenge

ज

जन्म भूमि Motherland
" स्थान Birth-place
ज़मींदार Land-lord
जल सेना Navy
जल सेना विभाग Admiralty
जाति People. Race.
जातिगत Communal
ज़ाब्ता दीवानी Civil Procedure Code
जायज़ Lawful
ज़िम्मेदारी Responsibilty
ज़िला District
जेल का पहरुआ Jail warder
जङ्गी लाट Comnander-in-Chief

द

दत्तक लेना Adoption.
दमन Repression.
दल Party
दलबन्दी नीति Party-politics.
दलित श्रेणियां Depressed Classes.

दस्तावेज़ Document
दाग़ियों का रजिस्टर Register of bad characters
दाय भाग Inheritance
दासत्व ( दासता ) Slavery
,,—से मुक्ति Emancipation
दीवानी Civil
,,—कार्य विधान Civil-Procedure Code
देश Country
,,—निकाला Transportation
,,—भक्त Patriot
,,—रक्षा National defence
देशी माल पर कर Excise
देशीयकरण Naturalisation
देशी रियासतें Native states
दोषी } Convict
दोषी ठहराना } Convict
दंड Penalty, Punishment, Sentence
,,—क़ानून Penal law
,, प्राण—Death sentence
,,—विधान Penal Code
द्वैध शासन Dyarchy
,, ,,—पद्धति ,,

ध

धरोहर Trust
धर्म ( कर्तव्य ) Duty
धर्म ( मत, मज़हब ) Religion
धर्म सम्बन्धी विभाग Ecclesiastical dept.

न

नगर सम्बन्धी Civic
नज़रबन्दी Internment
नज़रसानी Review
नज़राना Tribute
नरेन्द्र मण्डल Chamber of Princes
नरेश Ruler. Chief. King
नागरिक Citizen
नागरिक शास्त्र Civics
नामज़द Nominated
नाविक Naval
नियम Regulation Rule

नियम संग्रह Code
नियंत्रण Control
निरीक्षण Inspection. Observation. Supervision.
निर्माण कार्य,(सरकारी) Public works
निर्यात् Export
निर्वाचक Elector.
,,—समूह Electorate
,,—संघ Constituency
निर्वाचक सूची Electoral roll
निर्वाचन Election
,,—अधिकार देना Enfranchise.
,,—अधिकार छीन लेना Disenfranchise.
,,—अफसर Returning Officer Election.
,,—पत्र Ballot paper.
,, पूरक- Bye—election.
नीति Policy
नौकरशाही Bureaucracy.
न्याय Justice. Equity.
,,—कर्त्ता वर्ग Judiciary.
न्यायाधीश Judge.
न्यायालय Court.

प

पट्टा Lease
पट्टीदारी Tenure. Land tenure.
पद के कारण Ex-officio.
पद्धति System.
परदेश से आकर रहना Immigration.
परदेशी Immigrant. Foreign.
परिवर्तन विरोधी Conservative.
परिषद् Council.
पर्चा डालना Ballot.
पुरातन प्रेमी Conservative
पेश करना (मसविदा) Introduction
पंच Jury
पंचायती राज्य Commonwealth
प्रजा Subjects. Ryot
,,—तन्त्र Democracy
,,—वादी Democrat
प्रतिक्रिया Reaction

प्रतिनिधि Representative. Delegate

„—पत्र Proxy

„—सभा ( अंगरेजी ) House of Commons

प्रतिवादी Defendent

प्रत्यागमन Repatriation

प्रधान सेनापति Commander in-chief

प्रबन्धक अफ़सर Executive officer

प्रबन्ध कारिणी Executive

प्रभुता (प्रभुत्व) Sovereignty

प्रवास Emigration

प्रश्न रोकना Disallow a question

प्रस्ताव Proposal, Resolution

प्राण दंड, फांसी Capital punishment.

प्रान्त Province.

प्रान्तीय स्वराज्य Provincial autonomy.

फ

फ़ौजदारी Criminal

फ़ौजदारी विधान Criminal Procedure Code.

फ़ौजी Military.

ब

बदला Retalliation

बरी होना Discharge.

बहिष्कार Boycott.

बहुमत Majority.

बादशाह King. Crown.

बालिग़ Adult.

बेदख़ली Ejectment

बन्दोबस्त Settlement

भ

भत्ता Allowance

भर्ती, सेना में Recruitment

भारत मन्त्री Secretary of State for India

भारत रक्षा क़ानून Defence of India Act

भारत सरकार Govt. of India

भारतीयकरण Indianisation

म

मज़दूर दल Labour party

मत देना Poll. vote.
मताधिकार Franchise. Sufferage
मताभिलाषी स्त्रियां Suffer-egettes
मद्द Head
मध्यस्थता Arbitration
मसविदा (क़ानून का) Bill
महसूल Cess
महासभा Congress
मातृभूमि Motherland. Nativeland
मालगुज़ारी Revenue
मित्र राष्ट्र Allies
मियाद Time-limit
मुक़द्दमा Case
मुक़द्दमेबाज़ी Litigation
मुखिया Headman
मुद्दई Plaintiff
मुद्रा Currency
मौरूसी Hereditary.
मंडल Chamber, Federa-tion
मन्त्री Minister
,,—दल Ministry
,,—मंडल Cabinet
,, प्रधान—Prime minister

र

रचनात्मक Constructive
रद्द करना Nagative, Veto
रक्षा Defence. Protection
रक्षित विषय Reserved subject
राज तन्त्र Monarchy
,, नियम बद्ध — Limited (or Constitutional.)—
राजदूत Ambessador
राजद्रोह Sedition,
राजनीति Politics
राज विद्रोह Rebellion
राजस्व Finance
राज्य State
,, एकात्मक— Unitary—
,, कुलीन — Aristocracy
,,—क्रान्ति Rebellion
,,—परिषद् Council of—
,, रक्षित— Protected State
,, संयुक्त—United States Fedral Govt.
राष्ट्र Nation
,,—निर्माण Nation-building

,,—संघ League of Nations
राष्ट्रीकरण Nationalisation
रियासत State.
रिश्वत Bribery
रिसाला Cavalry

ल

लगान Rent
लिखित कानून Lex Scripta
लेखन और भाषण Press & Platform

व

वादी Plaintiff
,,—प्रतिवादी Parties ( to a suit )
वायु सेना Air force
व्यक्ति Individual. Person
,,—वाद Individualism.
व्यवस्था Legislation
व्यवस्थापक परिषद् Legislative Council

श

शहीद Martyr.
शासक Administrator. Ruler.
शासन Administration.
,,—आदेश Mandate
,,—व्यवस्था Constitution

स

सदर आला Sub-judge
सदर मुकाम Head quarter
सदस्य Member
सनद Charter. Certificate
सनदी Patent
सपरिषद् गवर्नर Governer-in-Council
(सभा) द्वितीय— Second chamber. Upper House.
(सभा) भङ्ग करना Dissolve
सभापति President, Chairman
सभ्य Civilised, Civil
समिति Association. Committee. Trust
,,—वादी Communist
सम्मेलन Conference,
सम्राट Emperor. His Majesty
सरकार Government
सरकारी Official. Public
,,—मंतव्य resolution
सरदार सभा ( अंगरेजी ) Br. House of Lords

सर्वदल सम्मेलन Round-table-confernce
सर्वोच्च शक्ति Paramount power
सहकारिता Co-operation
सहयोग Co-operation
साख Credit
साम्यवादी Socialist
साम्राज्य Empire
सार्वभौम Universal
सिंचाई Irrigation
सुधार Reform
„-पाठशाला Reformatory
श्रम Labour.
सचिव Secretary.
सत्ता Sovereignty.
सेक्रेटरियों का दफ्तर Secreteriat
सेना Army, Torse
„ आपत्काल— Reserve force
„ भारतीय जल— Royal Indian marine
सैनिक Military.
संगठन Constitution, Organisation.
संघ Confederation.; Federation. League.
संघात्मक ( संघीय ) Fedral
संधि Treaty
संरक्षण Protection.
संशोधन Ammendment. Revision.
स्थगित करना ( अधिवेशन ) Adjourn.
स्थानीय स्वराज्य Local self Govt.
स्थायी समिति Standing committee.
स्वतन्त्रता, Liberty.
स्वयं निर्णय Self-determination.

ह

हलका Circle
हवालात Lock-up
हस्तान्तरित विषय Transferred subject

क्ष

क्षतिपूर्ति Indemnity
क्षेत्र, प्रभाव— Sphere of Influence.

यह पुस्तक मध्य प्रान्त के स्कूलों में पारितोषिक के लिये, तथा गवालियर और बड़ौदा में पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है।

"....हमें आशा है कि विद्यार्थी वर्ग व अन्य साहित्य प्रेमी इस से अवश्य लाभ उठावेंगे और लेखक के परिश्रम को सफल करेंगे"।

— अध्यापक।

## ३–भारतीय राष्ट्र निर्माण–Indian Nation Building.

राष्ट्र किस प्रकार बनते हैं, भारतवर्ष के सुदृढ़, सुयोग्य तथा महान राष्ट्र बनने के क्या क्या साधन हैं, इन बातों को जानने, तथा संगठन और हिंदू मुस्लिम प्रश्न, आदि विषयों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना हो तो इस पुस्तक का मनन कीजिये। दूसरा संस्करण। मूल्य चौदह आने।

"....पिछली दो पुस्तकों की भांति यह भी अपने ढंग की अनूठी है, अपूर्व है, और संग्राह्य है"। — चित्रमय जगत।

## ४–भावना।

इस पुस्तक के स्वाध्याय से पाठकों को अपना हृदय टटोलने की, अपने जीवन को अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने की, और स्वयं दूसरों के अभिमान की वस्तु बनने की सामग्री मिलेगी। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक सभी प्रकार के विचार पढ़ते ही बनते हैं। मूल्य चौदह आना।

## ५–सरल भारतीय शासन।

यह पुस्तक माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिये लिखी गयी है। इसमें भारतवर्ष की शासन पद्धति के मुख्य मुख्य विषय ज़िला मेजिस्ट्रेट, गवर्नर, वाइसराय और भारत मंत्री आदि के कार्य बहुत सरल भाषा में समझाये गये हैं। स्थानीय स्वराज्य और नागरिकों के कर्तव्यों पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। मूल्य केवल आठ आने।

## ६–भारतीय जागृति ७–देशभक्त दामोदर (समाप्त)

## ८–भारतीय चिन्तन ।

इस पुस्तक में राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, विविध प्रकार के विषयों का विवेचन है। इसके कुछ लेख ये हैं:–प्रेम का शासन, साम्राज्यों का जीवन मरण, प्यारी मा, स्वराज्य का मूल्य, मेरे ३० मिनट, राजनैतिक भूल भुलैया, तीर्थों में आत्मिक पतन, धर्म युद्ध, राष्ट्र की वेदी पर, मौत की तय्यारी आदि। मूल्य चौदह आने।

"····भारतीयों के किसी अंग को भी न छोड़कर, हर एक विषय को खूब खोला है। कहीं कहीं काव्य का मज़ा मिलता है। —**महारथी**।

"····बड़े ही भाव पूर्ण शब्दों में भारत की हित चिन्तना की है।"

—**अध्यापक**।

## ९–भारतीय राजस्व–Indian Finance.

टैक्स क्यों, और किस हिसाब से दिये जाते हैं, भारतवर्ष में सरकार प्रति वर्ष दो सौ करोड़ रुपये से अधिक किन किन करों से वसूल करती है, और इस रकम को किन किन कामों में खर्च करती है, इसमें क्या सुधार होना चाहिये, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिये इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिये। मूल्य चौदह आने।

यह पुस्तक संयुक्त प्रान्त और गवालियर राज्य के पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है, और हिंदी साहित्य सम्मेलन की पाठ विधि में सम्मिलित है।

"····भारत की निर्धन दशा में ऐसी पुस्तकों का धर्म ग्रन्थों के समान आदर होना चाहिये। मूल्य बहुत कम है।" —**बर्मा समाचार**।

## १०–निर्वाचन नियम–Election Guide.

इसमें भारतवर्ष की व्यवस्थापक सभाओं म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों के चुनाव सम्बन्धी नियमों की विवेचना की गयी है। वोटर

या मतदाता, और उम्मेदवार कौन कौन व्यक्ति होसकते हैं, मत किस प्रकार दिये जाते हैं, क्या सुधार होने चाहियें, सब बातें सरल भाषा में समझायी गयी हैं।

यह पुस्तक संयुक्त प्रान्त के ट्रेवलिंग, सरक्यूलेटिंग और मिडल वर्नाक्यूलर पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है; और, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की पाठविधि में भी सम्मिलित है।

"इसे प्रत्येक मतदाता को में पढ़ना चाहिये। यह 'मार्ग प्रदर्शक' का काम दे सकती है। इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिये।"

— सुधा।

## ११—वानब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी।

देवी कुन्ती का जीवन विकट परिस्थितियों की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर खरे सोने की भांति चमक रहा है। आप इसे अपनी मां बहिनों, बहू बेटियों के हाथ में देकर उनके चरित्र उज्ज्वल बनाइये। पृष्ठ संख्या लगभग ढाईसौ। रंग बिरंगे १२ चित्र। मूल्य साधारण प्रति १॥) सजिल्द १॥।) और, बढ़िया आर्ट पेपर पर राज संस्करण ३) है।

यह पुस्तक मध्यप्रान्त और बरार के लड़के और लड़कियों के सब प्रकार के हिन्दी स्कूलों में पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत है, और गवालियर और धौलपुर रियासतों में कन्या पाठशालाओं के लिये मंगायी गयी है।

"....आपकी जीवनी आदर्श गृहस्थ, धर्म, तप, योग, वैराग्य और समाज सुधार आदि अनेकों विभूतियों की चित्रावली है।" — **महारथी.**

"....यह जीवन चरित अच्छे ढंग से एक ऐसे सज्जन का लिखा हुआ है, जो शुद्ध साहित्य के प्रचार के लिये हिंदी संसार में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं।

— **आर्य मित्र.**

## भारतीय ग्रन्थ माला की स्वीकृत पुस्तकें.

| प्रान्त | पुस्तकें | आर्डर नं० तथा तारीख़ | किस लिये स्वीकृत हुईं |
|---|---|---|---|
| मध्य प्रान्त | भारतीय विद्यार्थी विनोद | ८३७४<br>२० सितम्बर १९२८. | वर्नाक्यूलर, ऐंग्लोवर्नाक्यूलर, मिडिल, हाई और नार्मल स्कूलों में पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये. |
| | वानब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी | ७६०४<br>२८ नवम्बर १९२७. | लड़कों और लड़कियों के सब प्रकार के हिंदी स्कूलों में पारितोषिक और पुस्तकालयों के लिये. |
| | राजनीति शब्दावली | १५१०<br>७ मार्च १९२८. | हिंदी मिडिल और हाई स्कूलों में पुस्तकालयों के लिये. |
| संयुक्त प्रान्त | भारतीय शासन | सप्लीमैंट नं० १८<br>१४ अगस्त १९२६. | पुस्तकालयों के लिये. |
| | भारतीय राजस्व | ,, ,, | ,, ,, |
| | निर्वाचन नियम | टेक्स्ट बुक कमेटी.<br>१४ दिसम्बर १९२७. | ट्रैवलिंग सरक्यूलेटिंग और मिडिल वर्नाक्यूलर पुस्तकालयों के लिये. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| पंजाब | भारतीय शासन | सरक्यूलर नं० १६<br>१३ दिसम्बर १९२४. | वर्नाक्यूलर और ऐंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूल–पुस्तकालयों के लिये. |
| ग्वालियर | भारतीय शासन<br>भारतीय विद्यार्थी विनोद<br>भारतीय स्वराज्य | ६९३० / २४ जनवरी १९२५ | बीस बीस प्रतियां भेजदें |
| | वानब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी | ३७० / २०–७–१९२७ | छः प्रतियां भेजदें |
| बड़ौदा | भारतीय शासन<br>भारतीय विद्यार्थी विनोद | २० / ८ सितम्बर १९१६ | ये पुस्तक स्कूल पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत की गयीं हैं। |

## १२—राजनीति शब्दावली।

इसमें राजनीति के एक हज़ार से अधिक हिन्दी-अंगरेज़ी तथा आठसौ से अधिक अंगरेज़ी-हिन्दी पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है। मूल्य पांच आना।

"....शालाओं के विद्यार्थियों, भाषण कर्ताओं, और हिन्दी भाषी समाचार पत्र पाठकों तथा राजनैतिक संस्थाओं के कार्य कर्ताओं के काम की चीज़ है। ऐसे ठोस उद्योगों की हिंदी भाषा में बहुत आवश्यकता है।

—कर्मवीर।

## १३—नागरिक शिक्षा—Elementary Civics.

मिडल स्कूलों और साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिये सरकार के कार्यों सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग धंधे, शिक्षा, स्वास्थ आदि विषयों का सरल भाषा में विचार। मूल्य ॥)

## अन्य उपयोगी पुस्तकें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| हमारा प्राचीन गौरव | -) | भारतीय अर्थ शास्त्र प्रथम भाग | १॥) |
| भारतीय प्रार्थी | ॥) | ,, ,, द्वितीय भाग | १) |
| राजा महेन्द्र प्रताप | ।=) | कृषक दुर्दशा नाटक | ॥=) |
| बदरी केदार यात्रा | ।) | हिन्दी भाषा में अर्थ शास्त्र | -) |
| जमुना लहरी | ≥) | हिन्दी भाषा में राजनीति | -) |

**आठ आने प्रवेश फ़ीस भेजकर, स्थायी ग्राहक बनने वालों को सब पुस्तकें पौने मूल्य में।**